भारत सरकार

संक्षिप्त रिपोर्ट

कैलेण्डर वर्ष 2013

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय,
बजट प्रभाग
नई दिल्ली

संक्षिप्त रिपोर्ट
कैलेण्डर वर्ष 2013

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय,
बजट प्रभाग
नई दिल्ली

प्रस्तावना

संसद में 17 फरवरी, 2014 को अन्तरिम बजट 2014-15 प्रस्तुत किया जाना है ताकि केन्द्र सरकार 2014-15 के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान की मांग करने में समर्थ हो सके। पूर्ववर्ती अनुसार, अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे, परिणाम बजट और वार्षिक रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित बजट के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। संसद में लेखानुदान पर होने वाली चर्चा को सुसाध्य बनाने के लिए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों और लक्ष्यों के साथ उसके कार्यकलापों का समावेश है।

वित्त मंत्रालय केन्द्र सरकार के वित्त साधनों के प्रशासन हेतु जिम्मेवार है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाने के कार्य सहित समग्र रूप से देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों से संबंधित है। यह राज्यों को किए जाने वाले संसाधनों के अंतरण सहित केन्द्र सरकार के व्यय को विनियमित करता है।

इस मंत्रालय में पांच विभाग हैं, नामतः

i. आर्थिक कार्य विभाग;
ii. व्यय विभाग;
iii. राजस्व विभाग;
iv. विनिवेश विभाग; तथा
v. वित्तीय सेवाएं विभाग।

इस रिपोर्ट में कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है।

विषय सूची

	पैरा सं.	पृष्ठ सं.
अध्याय-I		
आर्थिक कार्य विभाग		
* आर्थिक प्रभाग	1	1
* बजट प्रभाग	2	2-7
* पूंजी बाजार प्रभाग	3	7-17
* अवसंरचना और ऊर्जा प्रभाग	4	17-21
* निवेश प्रभाग	5	21-26
* करेंसी निदेशालय (सीएण्डसी)	6	26-28
* बहुपक्षीय संस्था प्रभाग	7	28-36
* बहुपक्षीय संबंध प्रभाग	8	37-38
* प्रशासन प्रभाग	9	39-41
* सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग	10	41-42
* द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग	11	42-44
* एकीकृत वित्त शाखा	12	44-46
अध्याय-II		
व्यय विभाग		
* कार्यकलाप और संगठनात्मक ढांचा	1	47
* संस्थापना प्रभाग	2	47
* योजना वित्त-I प्रभाग	3	47-49
* योजना वित्त-II प्रभाग	4	49
* एकीकृत वित्त एकक (आईएफयू)	5	50
* लोक प्रापण नीति प्रभाग	6	50
* कर्मचारी निरीक्षण एकक (एसआईयू)	7	50
* महालेखानियंत्रक (सीजीए)	8	50-51
* मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए)	9	52
* मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय	10	52
* केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	11	52
* राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम)	12	52-53
अध्याय-III		
राजस्व विभाग		
* केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	1	54-62
* केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड	2	62-75
* राज्य कर	3	75-77
* आर्थिक सुरक्षा कक्ष	4	77
* केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो	5	77-79
* एकीकृत वित्त प्रभाग	6	80-81
* वित्त आसूचना एकक-भारत	7	81-82
* कर प्रशासन सुधार आयोग	8	82

	पैरा सं.	पृष्ठ सं.
अध्याय IV		
विनिवेश विभाग		
* *कार्य*	1	83
* विनिवेश नीति	2	83
* लक्ष्य और उपलब्धियां	3	83-84
* कार्यान्वयन के अधीन विनिवेश मामले	4	84
* विनिवेश की प्राप्तियों का उपयोग	5	84
अध्याय V		
वित्तीय सेवाएं विभाग		
* सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश	1	85
* बीमा ब्रोकिंग व्यवसाय में बैंकों की प्रविष्टि-बजट घोषणा	2	85
* महिला बैंक-भारतीय महिला बैंक	3	85
* निजी क्षेत्र में नए बैंकिंग लाइसेंस	4	85-86
* ऋण वसूली अधिकरण	5	86
* वित्तीय समावेशन	6	86-87
* लोक शिकायत	7	88
* अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण	8	88
* शिक्षा ऋण योजना	9	88
* महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि	10	88
* भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	11	88
* भारत निर्यात आयात बैंक	12	88-89
* वित्तीय समावेशन योजना	13	89
* लोक अदालत के जरिए एमएसीटी मामलों का निपटान	14	89
* आपदा जोखिम में कमी के लिए जोखिम अन्तरण तंत्र हेतु कार्य योजना	15	89
* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आमेलन	16	90
* पुनर्पूंजीकरण	17	90
* शाखा विस्तार कार्यक्रम/कोर बैंकिंग समाधान	18	90
* आरआरबी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति	19	90
* आरआरबी - कार्य निष्पादन संबंधी मुख्य निर्देशकों की तुलनात्मक स्थिति	20	90
* राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीए)	21	90
* पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विधेयक, 2013	22	90
* राष्ट्रीय आवास बैकं (एनएचबी)	23	90
* 2012-2013 तक संचयी पुनर्वित्त संवितरण	24	91
* वर्ष 2013-14 के दौरान घोषित नई पुनर्वित्त योजना (जुलाई 2013-दिसम्बर 2013)	25	91
* कर मुक्त बॉण्ड	26	91
* सिडबी	27	91-92
* सतर्कता मामलेः	28	92
* आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई):	29	92

अध्याय-I
आर्थिक कार्य विभाग

1. आर्थिक प्रभाग

1.1 बृहत एकक

- आर्थिक समीक्षा 2012-13 में अर्थव्यवस्था और संभावनाओं की अवस्थिति संबंधी प्रथम अध्याय को तैयार किया और सभी अध्यायों के लिए आकड़ों के संकलन के कार्य में समन्वय स्थापित किया ।
- प्रत्येक माह की मासिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार की और उसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध किया ।
- वार्षिक बजट 2013-14 के लिए बृहत आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार की
- मध्य वार्षिक आर्थिक विश्लेषण संबंधी समन्वय कार्य में सहायता प्रदान की
- वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान अर्थव्यवस्था के रुखों की त्रैमासिक समीक्षा का विश्लेषण करने संबंधी कार्य का समन्वय किया
- राज्यों के संयुक्त विकास सूचकांक तैयार करने के लिए डॉ. रघुराम जी.राजन की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल को अपने विचार-विमर्श और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में सहायता की
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष डाटा प्रचार-प्रसार मानक के अनुसार डाटा के प्रसार कार्य में समन्वय स्थापित किया ।
- संसदीय प्रश्नों, ध्यानाकर्षण नोटिस, विशेष उल्लेख आदि के उत्तर तैयार करने से संबंधित दायित्वों को नियमित रूप से निभाया ।

1.2 कृषि एकक

- आर्थिक समीक्षा 2012-13- कृषि और खाद्य प्रबंधन अध्याय
- त्रैमासिक आर्थिक समीक्षा/विश्लेषण 2013-14 कृषि अनुभाग
- मध्यवार्षिक विश्लेषण 2013-14 कृषि और खाद्य प्रबंधन अनुभाग
- आर्थिक संपादक अभिसमय (ईएफसी) 2013 की पृष्ठभूमि सामग्री
- कृषि और खाद्य प्रबंधन एकक संबंधी वार्षिक रिपोर्ट-2013 की सामग्री
- कृषि उत्पाद संबंधी मूल्य नीति, केंद्रीय निर्गम मूल्य/पीडीएस/खुली बाजार बिक्री योजना/खाद्य सुरक्षा/मीडिया संचार रणनीति आदि जैसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों संबंधी मंत्रिमंडल/सीसीईए/ ईजीओएम/सीओएस हेतु टिप्पणियों की जांच एवं विश्लेषण
- खाद्य तेल क्षेत्र की शुल्क संरचना संबंधी विश्लेषण
- रबी और खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी विश्लेषण
- सार्वजनिक वितरण और केंद्रीय निर्गम मूल्य संबंधी विश्लेषण
- संसदीय मामले
- प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ
- वीआईपी संदर्भ
- मासिक आर्थिक समीक्षा

1.3 उद्योग एवं अवसंरचना एकक

- प्रमुख अवसंरचना उद्योगों के आईआईपी आधारित औद्योगिक विकास और प्रगति की मासिक प्रवृत्तियों को मॉनीटर किया।

- उद्योग के आईआईपी आधारित कार्य-निष्पादन के विश्लेषण के आधार पर त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की और आईआईपी की गैर मौसमी श्रृंखलाओं पर आधारित आगामी माह के लिए अनुमानों का पूर्वानुमान लगाया
- औद्योगिक विकास, विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता; अवसंरचना क्षेत्रक नीति संबंधी मामलों आदि से संबंधित मामलों पर नीतिगत सलाह दी
- उद्योग एवं अवसंरचना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश आदि से संबंधित मामलों पर मंत्रिमंडल, टिप्पणियों संबंधी जानकारी/सीओएस टिप्पणियों पीएमओ संदर्भों पर टिप्पणियां उपलब्ध करवाईं तथा उनकी जांच की
- वार्षिक आर्थिक समीक्षा 2012-13 के लिए ''औद्योगिक निष्पादन'' तथा ''ऊर्जा, अवसंरचना एवं संचार'' संबंधी अध्यायों का प्रारूप तैयार किया एवं उन्हें अंतिम रूप दिया
- बजट-पूर्व ज्ञापन तैयार किया और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके वित्त मंत्री हेतु बजट-पूर्व सार तैयार किया
- विश्व बैंक तथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सहयोग से ''लघु व्यवसाय सुगम बनाने'' से संबंधित कार्यशाला आयोजित की
- मध्यवार्षिक समीक्षा 2013-14 हेतु उद्योग एवं अवसंरचना से संबंधित आशंका प्रारूप तैयार किया और उसे अंतिम रूप दिया

1.4 मूल्य एकक

- घरेलू/वैश्विक मूल्यों तथा मूल्य सूचकांकों ट्रेंड्स के साथ-साथ उपभोक्ता (जिसमें नई श्रृंखला शामिल हैः शहरी और ग्रामीण दोनों, औद्योगिक कामगारों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण मजदूर) का मॉनीटर तथा विश्लेषण किया
- मुद्रास्फीति बढ़ाने वाली वस्तुओं तथा वस्तु समूहों की पहचान की और मौजूदा मुद्रास्फीति के कारणों का पता लगाया
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उपयुक्त कर्रवाई करने और आंतरिक व्यापार की कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सुझाव दिया
- मौद्रिक नीति से संबंधित घटनाक्रमों को मॉनीटर किया
- राष्ट्रीय सरकारी वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के साथ मुद्रास्फीति संबंधी नीतिगत दस्तावेज तैयार किए।

1.5 वित्तीय क्षेत्र एकक

- वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मंत्रिमंडल टिप्पणियों/सीओएस टिप्पणियों/पीएमओ संदर्भों सहित इस प्रभाग में प्राप्त संदर्भों पर नीतिगत सुझाव/टिप्पणियां मंगवाने तथा वित्तीय क्षेत्र के घटनाक्रमों को मॉनीटर किया ।
- वार्षिक आर्थिक समीक्षा 2012-13 के लिए ''वित्तीय मध्यस्थता'' संबंधी अध्यायों का प्रारूप तैयार किया तथा उन्हें अंतिम रूप दिया
- बजट-पूर्व ज्ञापन का प्रक्रियान्वयन किया तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के परामर्श से वित्त मंत्री का बजट-पूर्व सार तैयार किया
- भारत में दिवालियापन कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना संबंधी कार्यशाला आयोजित की
- मध्यवार्षिक समीक्षा 2013-14 के लिए ''अवसंरचना वित्त'' से संबंधित अंश का प्रारूप तैयार किया और इसे अंतिम रूप दिया

1.6 भुगतान संतुलन एकक(बीओपी)

- यह एकक चालू भुगतान संतुलन स्थिति और इसके अल्पावधिक पूर्वानुमानों का मूल्यांकन कराने के लिए अल्पावधिक भुगतान संतुलन निगरानी समूह की बैठक आयोजित करता है
- यह एकक वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखता है और देश के विदेशी क्षेत्र में आने वाले अवरोधों का विश्लेषण करता है
- यह प्रमुख वैश्विक मुद्रा के मुकाबले रुपये की विनिमय दर नीति और गतिविधियों को मॉनीटर करता है।

- यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और इसके प्रयोग में लाने की प्रणालियों को मॉनीटर करता है
- यह आर्थिक समीक्षा के लिए भुगतान संतुलन संबंधी अध्याय को तैयार करती है और मध्य वार्षिक विश्लेषण, बजट भाषण और एफआरबीएम, वार्षिक रिपोर्ट और मासिक आर्थिक रिपोर्ट/समीक्षा के लिए जानकारी मुहैया कराता है ।

1.7 विदेशी ऋण प्रबंधन एकक(ईडीएमयू)

- ईडीएमयू भारत के विदेशी ऋण संबंधी आंकड़ों के समेकन और प्रसार हेतु जिम्मेदार है यह एकक भारत के विदेशी ऋण की वार्षिक अवस्थिति रिपोर्ट तथा सितम्बर माह और दिसम्बर माह के अंत में भारत के विदेशी ऋण की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है
- ईडीएमयू आर्थिक समीक्षा, वार्षिक रिपोर्ट, मध्यावधिक विश्लेषण और मासिक आर्थिक रिपोर्ट/समीक्षा के लिए भारत के विदेशी ऋण संबंधी ब्यौरेवार विश्लेषणात्मक समीक्षा/सुझाव प्रदान करता है।
- ईडीएमयू राष्ट्रमंडल सचिवालय ऋण रिकॉर्डिंग तथा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित कार्यों में वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक में समन्वय स्थापित करता है
- ईडीएमयू प्रत्येक तिमाही में एक बार विश्व बैंक के केंद्रीय डाटाबेस प्रणाली त्रैमासिक विदेशी ऋण सांख्यिकी के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने वाली नोडल एजेंसी है

1.8 व्यापार एवं सेवा क्षेत्र एकक

- यह एकक आर्थिक समीक्षा 2012-13 के लिए 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार' और 'सेवा क्षेत्र' संबंधी अध्याय तैयार करता है
- यह मध्यवार्षिक समीक्षा 2013-14 के व्यापार और सेवाओं से संबंधित अंश के लिए जानकारी मुहैया कराता है
- सेवा व्यापार सहित विदेशी व्यापार को प्रत्येक माह मॉनीटर करता है ।
- मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणियों की जांच करता है ।
- यह एकक वित्त मंत्री/सचिव/आर्थिक सलाहकार/मुख्य आर्थिक सलाहकार/स्पीकर/संसदीय समिति के लिए विभिन्न व्यापार और सेवा संबंधी संक्षिप्त विवरण/वार्ता बिंदु/टिप्पणियां तैयार करता है।
- सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें आयोजित की और ''उभरती वैश्विक मंदी: सेवा सेक्टर के लिए अवसर और नीतिगत मुद्दे'' शीर्षक का कार्यकरण दस्तावेज तैयार किया ।

1.9 सामाजिक क्षेत्र एकक

- गरीबी, श्रम के मुद्दे, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित अन्य विषयों का विश्लेषण ।
- मानव विकास संबंधी संकेतकों का मॉनीटरिंग ।
- सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम/क्रियाकलापों से जुड़े मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया ।
- आर्थिक समीक्षा का मानव विकास संबंधी अध्याय तैयार किया और मध्यावधिक समीक्षा हेतु सुझाव दिया ।
- ''मुख्य सामाजिक क्षेत्र की स्कीमः प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट'' संबंधी कार्यकरण दस्तावेज तैयार किया ।

1.10 लोक वित्त एकक :

- वर्ष 2012-13 से संबंधित आर्थिक समीक्षा में लोकवित्त से संबधित अध्याय को तैयार किया जाता है जिसमें राजस्व प्राप्ति, व्यय तथा केंद्र सरकार के लिए इसके उप घटकों जैसे विषय शामिल किए गए जाते हैं । इस अध्याय में राज्य तथा केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय के रुझान से संबंधित विषय भी शामिल किए जाते हैं ।
- केंद्र सरकार के बजट की विस्तृत अनुदान मांग पर आधारित आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण 2012-13 का वार्षिक प्रकाशन तैयार किया जाता है तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।
- केंद्र तथा राज्य सरकार के बजट से भारतीय लोक वित्त से संबंधित सांख्यिकीय रिपोर्ट 2012-13 तैयार की जाती हैं ।
- सरकार के वित्त से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े संकलित किए जाते हैं और वार्षिक प्रकाशन के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष को भेजे जाते हैं ।

- आर्थिक प्रभाग संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक वर्ष की दूसरी तिमाही में मध्यवार्षिक आर्थिक विश्लेषण संबंधी पुस्तिका तैयार करता है। मध्यवार्षिक आर्थिक विश्लेषण 2013-14 में शामिल किए जाने के लिए केंद्र सरकार के वित्त साधनों के संबंध में एक अध्याय उपलब्ध कराया जाता रहा है ।
- इनके अतिरिक्त, एकक द्वारा वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा समय-समय पर अपेक्षित राजकोषीय मामलों के संबंध में विभिन्न विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार की गईं ।

1.11 समन्वयन एकक :

- मध्यवार्षिक आर्थिक समीक्षा 2013-14 तथा आर्थिक समीक्षा 2012-13 प्रकाशित कराया; और
- ''आगामी पांच वर्षों के लिए कार्यसूची'' विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 11 और 12 दिसंबर, 2013 को चौथे दिल्ली इकॉनोमिक्स कन्क्लेव के नाम से आयोजन किया। इस कन्कलेव में विश्व भर से आए विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री, अकादमीशियन और औद्योगिक क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति शामिल थे।
- बजट के लिए वित्त मंत्री की बजट-पूर्व बैठकों का आयोजन किया ।
- वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के उपयोग के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति और नीतिगत मुद्दों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी तैयार की ।
- सभी संसदीय समितियों और संसद प्रश्नों सहित संसद संबंधी सभी मामलों का समन्वय किया।
- आर्थिक प्रभाग के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का समन्वयन किया।

2. बजट प्रभाग

2.1.1 बजट प्रभाग केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों की सरकारों के वार्षिक बजट (रेलवे को छोड़कर), अनुदानों की पूरक मांगें और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें तैयार करने तथा उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग लोक ऋण, केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों, राज्य सरकारों द्वारा लिए और दिए गए उधारों, भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा भारत की आकस्मिकता निधि से संबद्ध मामलों का निपटान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का उत्तरदायित्व उस अनुदान में बचतों के पुनर्विनियोजन के लिए जहां वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है, वहां अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करके सरकारी व्यय के प्रवाह को विनियमित करने का भी है। यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) तथा अल्प बचत योजनाओं, राष्ट्रीय रक्षा निधि से संबंधित मामलों का भी निपटान करता है। धर्मार्थ निधि कोषपाल से संबंधित कार्य भी बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है।

2.1.2 यह प्रभाग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों, केन्द्र के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के सम्मुख पेश करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 26 रिपोर्टें संसद के सम्मुख पेश की गईं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को विभिन्न निकायों की लेखा परीक्षा सौंपने/पुनः सौंपने से संबंधित 56 मामले इस प्रभाग द्वारा निपटाए गए।

2.1.3 बजट प्रभाग 'उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003' के प्रशासन हेतु भी जिम्मेदार है। इसे 5 जुलाई, 2004 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को भी उसी तारीख से प्रभावी बनाया गया। मध्यावधि समीक्षा सहित तिमाही समीक्षा, एफआरबीएम अधिनियम की शर्तों के अनुसार संसद में प्रस्तुत की गयी थीं।

2.1.4 बजट प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 'जेन्डर बजटिंग' के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है और इसे सुगम भी बनाता है।

2.1.5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत रखे गए लेखा फार्म संबंधी कार्य को यह प्रभाग देखता है। सरकार की नई स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु तैयार गणना प्रक्रिया और सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण पर इस प्रभाग द्वारा सलाह भी दी जाती है।

2.2 राष्ट्रीय लघु बचत

2.2.1.1 लघु बचत योजना वर्तमान में चालू लघु बचत योजनाएं हैं : डाकघर बचत खाता, डाकघर सावधि जमा (1,2,3 व 5 वर्ष),

डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वां-निर्गम), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (9वां निर्गम) और लोक भविष्य निधि।

2.2.1.2 लघु बचत स्कीमों को और अधिक आकर्षक तथा निवेशकों के अनुकूल बनाने की दृष्टि से सरकार ने स्कीम विषयक दिशानिर्देशों में संशोधन किए है। सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बचत खाते की 'बुनियादी बचत खाता' नामक एक नई श्रेणी को अधिसूचित किया गया है, जिसके जरिए किसी सरकारी कल्याणकारी स्कीम का कोई भी लाभार्थी किसी पोस्ट आफिस में शून्य शेष पर खाता खोल सकता है।

2.2.2 लघु बचत संग्रहण

2.2.2.1 पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान, 122226.30 करोड़ रुपए की जमाराशि की तुलना में, 2013-14 (अक्तूबर 2013 तक) के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत सकल जमाराशियां 125237.67 करोड़ रूपए रही। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) को निवल लघु बचत संग्रहणों के हिस्से के रूप में, पिछले वर्ष में अन्तरित 22688.86 करोड़ रूपए की राशि की तुलना में 24859.39 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है।

2.2.3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि

2.2.3.1 केन्द्र सरकार की लघु बचत योजनाओं के तहत समस्त मौद्रिक संव्यवहारों के हिसाब-किताब को एक स्थान पर लाने के लिए भारतीय लोक लेखा में 1 अप्रैल, 1999 से राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) की स्थापना की गयी थी। लघु बचत योजनाओं में निवल उपचयों को विभिन्न राज्य संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित)/केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि से उधार लेने का राज्यों का न्यूनतम दायित्व घटाकर निवल संग्रहण का 50 प्रतिशत कर दिया गया है जो 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी है।

2.2.4 जनता के साथ और अधिक सम्पर्क के उपाय

2.2.4.1 केन्द्र और राज्य सरकारें प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिए लघु बचत स्कीमों को प्रोत्साहन देने और लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर कई उपाय करती है साथ ही सेमिनारों और बैठकों का आयोजन करती है और लघु बचत स्कीमों के अन्तर्गत जमा राशि जुटाने में लगी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराती है।

2.3.4.2 राष्ट्रीय बचत संस्थान, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) के अन्तर्गत एक अधीनस्थ संगठन भी लघु बचतों विषयक व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए जनता के साथ सम्पर्क को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के सहयोग से अपनी वेबसाइट अर्थात nsiindia.gov.in का संचालन करता है। इसमें आन-लाइन रजिस्ट्रेशन और निवेशकों की शिकायतों के समाधान की भी व्यवस्था है।

2.3 सरकारी ऋण और देनदारियां व नकद प्रबंधन

2.3.1 वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटे को पारू करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से केन्द्र सरकार का सामान्य उधार क्रमशः 5,79.000 करोड़ रुपए (सकल) और 4,84,000 करोड़ रुपए (निवल) रहा है। दिसम्बर, 2013 तक दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल बाजार उधार क्रमशः 5,03,000 करोड़ रुपए और 4,28,265 करोड़ रुपए रहा।

2.3.2 2013-14 के दौरान (दिसम्बर, 2013 तक) निर्गमित केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत लाभ और भारित औसत परिपक्वता 2012-13 में 840 और 13.50 की तुलना में क्रमशः 8.41 और 14.34 थी।

2.3.3 केन्द्र सरकार हेतु अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएम) की अधिकतम सीमा चालू वित्त की पहली छमाही अर्थात अप्रैल-सितम्बर, 2013 के लिए 30,000 करोड़ रुपए और चालू वित्त की दूसरी छमाही के लिए 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी।

2.3.4 चालू वित्तीय वर्ष में, सरकार की सामान्य दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने प्रत्येक 1,000 करोड़ रुपए प्रत्येक की 6 किस्तों में 6,000 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य पर मुद्रास्फीति निर्देशित बांड मूल्य जारी किए हैं। यह धनराशि 2013-14 हेतु बजटीय सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम के भीतर है।

2.4 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003

2.4.1 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम), 2003 का प्रशासन और इसके तहत बनाए गए नियम जुलाई, 2004 से प्रभावी हैं। यह अधिनियम पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त कर और राजकोषीय स्थायित्व के अनुरूप मौद्रिक नीति और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय अड़चनों को दूर कर राजकोषीय प्रबंधन और

दीर्घावधि वृहत-आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम केन्द्र सरकार के उधारों, ऋण और घाटों, केन्द्र सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और मध्यावधिक फ्रेमवर्क में राजकोषीय नीति के संचालन और उससे संबंधित और तत्संबंधी प्रासंगिक मामलों में सीमा निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा कतिपय विवरणों और उन्हें संसद में प्रस्तुत करने संबंधी उत्तरदायित्व के निर्धारण की भी व्यवस्था है। तदनुसार जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के दौरान संसद में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

(i) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण 2012-13

(ii) राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण 2012-13

(iii) बृहद-आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण 2012-13

} बजट के 20120-13 साथ प्रस्तुत किया गया।

(iv) बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा संबंधी तिमाही विवरण

(क) वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट

(ख) वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही रिपोर्ट

(v) एफआरबीएम नियमों 2004 में यथा अपेक्षित, बजट 2013-14 में समावेशन हेतु निम्नांकित विवरण तैयार किए गए थे।

(क) राजस्व बढ़ाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया।

(ख) गैर कर राजस्व के बकाया

(ग) परिसंपत्ति रजिस्टर

2.4.2 प्राप्ति एवं व्यय में रूझानों के निम्नांकित तिमाही समीक्षा विवरण भी तैयार किए गए थे और इन्हें आगामी संसद सत्र में सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है।

(क) वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही की समाप्ति पर बजट संबंधी प्राप्तियों एवं व्यय में रुझानों की तिमाही समीक्षा का विवरण।

(ख) वित्त वर्ष 2013-14 की दूसरी तिमाही की समाप्ति पर बजट संबंधी प्राप्तियों एवं व्यय में रुझानों की तिमाही समीक्षा का विवरण।

2.4.3 उपर्युक्त अवधि के दौरान वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियमों को भी दिनांक 7.5.2013 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया।

2.5 मध्यावधिक व्यय ढांचा

2.5.1 एफआरबीएम अधिनियम 2003 की धारा 3(1) में संशोधन किया गया है ताकि अधोलिखित परिकल्पनाओं तथा शामिल जोखिमों के विनिर्देशन के साथ व्यय संकेतकों के लिए तीन-वर्षीय चल लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मध्यवाधिक व्यय ढांचा विवरण संकल्पना को आकार रुप दिया जा सके। वर्ष 2013 में दिनांक 23 अगस्त 2013 को एमटीईएफ विवरण संसद के दोनों सदनों में रखा गया था।

2.6 ऋण प्रबंधन कार्यालय

2.6.1 "सरकार ने स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय (संघ बजट 2007-08) स्थापित करने की घोषणा के परिणामस्वरुप आर्थिक कार्य विभाग में मिडिल ऑफिस (एमओ) स्थापित किया है। मिडिल ऑफिस का मुख्य फोकस पूर्णतः कार्यशील ऋण प्रबंधन कार्यालय के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता विकसित करने पर है। मिडिल ऑफिस के मुख्य कार्यों में 'भारत की सरकारी ऋण प्रबंधन एजेंसी' का विधान बनाना, ऋण प्रबंधन कार्यनीति विकसित करना, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए कलेंडर जारी करना, नकदी व उधार आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, ऋण संबंधी सूचना तैयार करना एवं उसका प्रचार करना शामिल है।

2.6.2 मिडिल ऑफिस केन्द्र सरकार के ऋण संबंधी नियमित ऋण आंकड़ों के सरकारी ऋण प्रबंधन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। यह सरकारी ऋण के संबंध में स्टेटस पेपर का प्रकाशन भी करता है। 2013-14 से, केन्द्र सरकार के ऋण संबंधी आंकड़ों की हस्तपुस्तिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।"

2.7 चौदहवें वित्त आयोग का गठन

2.7.1 वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, (1951 का 33) के प्रवधानों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर डॉ वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में चौदहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस संबंध में दिनांक 2 जनवरी, 2013 के का.आ. 31(ङ) के जरिये भारत के राजपत्र (आसाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। आयोग से 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ होने वाले पांच वर्ष की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2014 को पेश करने के लिए कहा गया है। तदनुसार, विचारर्थ विषय संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.2.2013 को लोकसभा और दिनांक 26.2.2013 को राज्यसभा में प्रस्तुत की गई।

2.8 हिंदी शाखा

2.8.1 हिंदी शाखा में अनुवाद प्रकोष्ठ राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनायी गई नियमावली में यथापिरकल्पित सभी दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। इनमें मंत्रिमंडल टिप्पणियां, अधिसूचनाएं, विभिन्न रिपोर्टें, विदेशी सरकारों व एजेंसियों के साथ करार, संसदीय प्रश्न/आश्वासन, सरकारी पत्र, प्रेस विज्ञप्तियां, स्थायी समिति, लोक लेखा समिति और परामर्शदात्री समिति से संबंधित दस्तावेज आदि शामिल हैं।

2.8.2 सभी बजटीय दस्तावेजों जिनमें अत्यंत महत्वपूर्ण और भारी-भरकम आर्थिक सर्वेक्षण, परिणाम बजट, अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे, वार्षिक रिपोर्ट, पूरक अनुदान मांगें भी शामिल हैं, का अनुवाद तैयार करने के अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस प्रकोष्ठ द्वारा अन्य दस्तावेजों जैसे मध्यवर्षीय आर्थिक विश्लेषण, त्रैमासिक आर्थिक समीक्षा, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता की प्रास्थिति रिपोर्टो का हिंदी रुपांतर प्राथमिकता आधार पर तैयार किया गया है।

3. पूंजी बाजार प्रभाग

3.1 वैदेशिक बाजार (ईएम/ईसीबी)

3.1.1. सरकार ने आरबीआई और सेबी के परामर्श से संयुक्त प्रयास किया है और अपतटीय पोर्टफोलियो निवेश को आकर्षित करने और निवेशकों की रूचि को बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। ये कदम निम्नवत हैंः

- **एफआईआई ऋण सीमा** को दिसम्बर 2012 के अंत में पहले के 66 बिलियन (कार्प. बंधपत्र 46 बिलियन यूएस डॉलर एवं जी-सेक्शन 20 बिलियन यूएस डॉलर) से बढ़ाकर 81 बिलियन (कार्प. बंधपत्र 51 बिलियन यूएस डॉलर एवं जी-सेक्शन 30 बिलियन यूएस डॉलर) करना।
- 1 अप्रैल 2013 से अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न उप-ऋण सीमाओं के विलय और लॉक-इन एवं बकाया परिपक्वता प्रतिबंधों को हटाकर भारतीय ऋण प्रतिभूतियों में **एफआईआई निवेशों का एकीकरण एवं सरलीकरण।**
- कार्प. बांड एवं जी-सेक्शन दोनों के लिए '**ऑन-टैप प्रणाली**' को अपनाना।
- निवेशकों की सुविधा के लिए **केवाईसी** के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं और **जोखिम आधारित पद्धति** की शुरूआत करना।
- विदेशी पोर्टफालियो निवेश मार्गों को तर्कसंगत बनानाः सेबी ने पोर्टफालियो निवेश के विभिन्न मार्गों को सुसंगत बनाने और विभिन्न केवाईसी मानकों की समाभिरूपता तथा केवाईसी हेतु एक जोखिम आधारित पद्धति अपनाने के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 जून, 2013 को प्रस्तुत कर दी है। समिति की संस्तुतियों के आधार पर सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) विनियमनों को अधिसूचित किया गया है। नए एफपीआई की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैंः

  i. विद्यमान एफआईआई/उप खाता एवं क्यूएफआई को ''विदेशी पोर्टफालियो निवेशक/(एफपीआई) के नाम से ज्ञात एक एकीकृत श्रेणी में विलय किया जाएगा।

  ii. एफपीआई को सेबी के साथ सीधे पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय सेबी द्वारा अधिकृत विनिर्दिष्ट न्यासधारी सहभागी (डीडीपी) जोखिम आधारित केवाईसी के अध्यधीन एफपीआई को पंजीकृत करेगा।

  iii. एफपीआई को उनके जोखिम प्रोफाइल के आधार पर तीन श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाएगा नामतः **निम्न जोखिम** (जैसे कि सरकार से संबंधित कंपनियां), **मध्यम जोखिम** (जैसे कि म्युचुअल फंड, व्यापक प्रतिभूति आधारित फंड, बैंक, बीमा/पुनर्बीमा कंपनियां, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां आदि) और **उच्च जोखिम** (सभी अन्य विदेशी निवेशक कार्पोरेट निकाय, न्यास, व्यष्टि, पारिवारिक कार्यालय आदि)

  iv. पात्रता की अन्य शर्तों में, डीपीपी सेबी में पंजीकृत एक अभिरक्षक होगा और डीपीपी आरबीआई के अनुसार अधिकृत डीलर श्रेणी 1 बैंक होगा।

- विदेशी पोर्टफालियो निवेश को निम्नलिखित के माध्यम से सुकर किया जाएगाः

  v एफआईआई द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव खंड में सहभागिता।

  vi एफआईआई की अंतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आनुषंगिक के रूप में कार्पोरेट बंधपत्रों एवं सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के उपयोग की अनुमति।

- **गैरसूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को पहले अथवा एक साथ घरेलू सूचीबद्ध होने की शर्त के बिना विदेश में सूचीबद्ध होने की अनुमति देनाः**

  vii गैरसूचीबद्ध कंपनियों को भारत में पहले या एक साथ सूचीबद्ध होने की आवश्यकता के बिना विदेश में पूंजी इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है।

  viii इस योजना को योजना की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा। प्रारंभिक दो वर्ष की अवधि के पश्चात इस व्यवस्था के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। विदेश में सूचीबद्ध होने के लिए स्वीकृति कतिपय नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगी।

  xi इसे सरकार द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 के सा.का.नि संख्या 684(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

3.1.2. आईएफसी अपतटीय बंधपत्र कार्यक्रमः आईएफसी, विश्व बैंक समूह के एक सदस्य ने भारत के पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने के लिए 1 बिलियन डालर का अपतटीय बंधपत्र कार्यक्रम शुरू किया है जो अपतटीय रूपया बाजार में इस तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 19 नवम्बर, 2013 को आईएफसी ने अपने 1 बिलियन यूएस डालर वैश्विक रूपया बंधपत्र कार्यक्रम के तहत 161 मिलियन यूएस डालर का पहला भाग जारी किया। इस प्रथप्रदर्शक बंधपत्र इश्यू को जबर्दस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और यह तथ्य कि यह 261 मिलियन डालर की लक्ष्य राशि की तुलना में दो गुना तक अत्यधिदत्त हुआ, वैश्विक निवेशकों के लिए भारतीय रूपया कागज की गुणवत्ता के आकर्षण को दर्शाता है। अवसंरचनात्मक निधिपोषण की विशाल आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से भारत के लिए डालर निधिपोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में अपतटीय रूपया बाजार को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूंजी निर्माण अवसंरचना सहित हमारी विभिन्न विकास आवश्यकताओं हेतु निधियों के इस्तेमाल के लिए एक नया रास्ता खोलता है। आईएफसी का अपतटीय बंधपत्र कार्यक्रम, अपतटीय रूपया बाजार के लिए गहराई और विविधता लाने में मदद करेगा और भारतीय कंपनियों के लिए निधिपोषण के एक वैकल्पिक स्रोत हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा।

3.1.2. एडीआर/जीडीआर योजना की समीक्षाः नए कंपनी कानून और वित्तीय बाजार में हाल के विधायन; समष्टि आर्थिक परिस्थिति और वित्तीय बाजारों के विकास; भारतीय कंपनियों और विदेशी निवेशकों की आवश्यकताओं; और योजना के सरलीकरण और कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1993 की एडीआर/जीडीआर योजना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 नवम्बर 2013 को सौंप दी। आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

- ईसीबी, जी-सेक्शन और कार्प. बंधपत्रों के लिए **डब्लूएचटी को 20 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया गया है।**
- भारतीय वित्तीय क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार का विश्लेषण और सलाह देने के लिए **विशेषज्ञों की स्थायी परिषद** और इसकी उप-समिति का गठन किया गया है।
- **रोड शो कार्यक्रम और निवेशकों की बैठकेंः** विदेशी निवेशकों के साथ सरकारी वार्तालाप को मजबूत करने और भारत को एक वैकल्पिक निवेश स्थान के रूप में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 2013 के दौरान सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, फ्रैंकफर्ट, कनाडा, दुबई, जापान और सान फ्रांसिस्को में कई रोड शो कार्यक्रम और निवेशक बैठकें आयोजित की गई।
- कलैण्डर वर्ष 2013 के दौरान 46 फेमा संशोधन अधिसूचनाओं की जांच, अधिसूचित की गई और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया।
- इसके अतिरिक्त, कलैण्डर वर्ष 2013 के दौरान विदेशी कंपनियों के एलओ/बीओ/पीओ के कुल 155 मामलों की जांच की गई और उनका निपटान किया गया।

3.1.3. ईसीबी नीति का उदारीकरण/बौद्धिकरणः अवसंरचना विकास पर विशेष जोर देने के साथ दीर्घावधि न्यून लागत निधियों की उपलब्धता सुकर करने के लिए ईसीबी के मुख्य घटकों, जैसे कि राशि एवं परिपक्वता, सब मिलाकर लागत और स्वीकृत अंतिम उपयोगों आदि का क्रमिक उदारीकरण और बौद्धिकरण किया गया है।

- ईसीबी को अवसंरचना क्षेत्र के लिए नए ईसीबी के 25% तक के रूपये ऋणों को पुनर्वित्त पोषित करने की अनुमति दी गई है।

- ईसीबी को कम लागत की/वहनीय आवासीय परियोजनाओं की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हाऊसिंग वित्त कंपनियों को कम लागत की/वहनीय हाऊसिंग इकाइयों के भावी मालिकों के वित्त पोषण के लिए ईसीबी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।

- स्वतः मार्ग के तहत एनबीएफसी-आईएफसी के लिए, ईसीबी की सीमा को बकाया ईसीबी सहित उनकी खुद की निधियों का 50% से बढ़ा कर 75% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मुद्रा जोखिम के लिए प्रतिरक्षा आवश्यकता की सीमा को उनके निवेश का 100% से घटाकर 75% कर दिया है।

- सिडबी की कतिपय शर्तों के अध्यधीन एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए ईसीबी की सुलभता के लिए एक पात्र उधारकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है।

- भारत में कार्यरत बहुदेशीय कंपनियों की सहायक कंपनियों को आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित अनुबंध व शर्तों के अध्यधीन सामान्य नैगम उद्देश्यों के लिए कम से कम 7 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ उनकी मूल कंपनी से अनुमोदन के माध्यम से ईसीबी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।

- प्रारंभिक व्यापार ऋण संविदा अवधि को मौजूदा 15 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया था कि पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए अवसंरचना क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई 5 वर्ष तक व्यापार ऋणों की सुविधा सभी अन्य क्षेत्रों को प्रदान की जाएगी। तथापि साख-पत्र/सहूलियत पत्र/बैंक गारंटी की सुविधा इस तरह के व्यापार ऋणों को प्रदान नहीं किए जाएगें।

सरकार वृद्धि को पुनःप्रवर्तित करने, निवेश को बढ़ाने, व्यवसाय हितैषी वातारण सृजित करने, बाजारों की तक्षता व अभिगम्यता में सुधार लाने, निवेशकों की भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा विनियामक व संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वृहत्तर निवेशों का मार्ग प्रशस्त और भारतीय अर्थव्यवस्था की संभाव्य वृद्धि को हासिल किया जा सके।

3.2 गौण बाजार

3.2.1. राजीव गांधी इक्विटी बचत स्कीम (आरजीईएसएस) के क्षेत्र का विस्तारः

वर्ष 2012-13 के केन्द्रीय बजट की घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने 23 नवंबर, 2013 को, अनन्य रूप से प्रतिभूति बाजारों में, प्रथम बारगी खुदरा निवेशकों के लिए राजीव गाँधी ईक्विटी बचत स्कीम "(आरजीईएसएस)" नामक एक नई कर बचत स्कीम अधिसूचित की है। यह स्कीम फरवरी, 2013 में प्रारंभ की गई थी और निक्षेपागारों के माध्यम से क्रियान्वित की गई थी। आरजीईएसएस को केन्द्रीय बजट 2013-14 में और उदारीकृत किया गया है ताकि प्रथम बारगी निवेशक सूचीबद्ध मुचुअल फंडों और ईक्विटी में एक वर्ष के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर तीन लगातार वर्षों के लिए निवेश करने में सक्षम हो सकें। आरजीईएसएस लाभार्थियों पर लागू आय सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा 18 दिसंबर, 2013 को जारी की गई है।

3.3. प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में कटौतीः

3.3.1. 2012-13 के केन्द्रीय बजट की घोषणा के अनुकरण में,नकदी बाजार में सुपुर्दगी आधारित लेनदेनों के लिए एसटीटी के दर को 1 जुलाई, 2012 से 0.125% से घटाकर 20% से 0.1% के बीच कर दिया है।

3.3.2. केन्द्रीय बजट 2013-14 में लेनदेन कर को और अधिक मुक्तिसंगत किया है। अन्य बातों के साथ-साथ जून, 2013 से ईक्विटी वायदा सौदों के लिए एसटीटी को 0.017% से घटाकर 0.01% कर दिया है।

3.4. प्रारंभिक लोक प्रस्ताव दिए बिना लघु एवं मझले उद्योगों (एसएमई) की एक्सजेंज में संस्थागत व्यापार प्लेटफॉर्म पर लघु एवं मझले उद्योगों की विशिष्ट प्रभिभूतियों को सूचीबद्ध करनाः

3.4.1 एसएमई के लिए पृथक व्यापार प्लेटफॉर्म प्रारंभ किए गए थे और जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर क्रमशः मार्च, 2012 और सितंबर, 2012 में कार्यरत हो गए हैं। प्रारंभिक कंपनियों सहित लघु एवं मझले उद्योगों को प्रारंभिक लोक प्रस्ताव (आईपीओ) देने की आवश्यकता के बिना ही एसएमई में एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति देने के लिए एक आवश्यक ढांचे की घोषणा केन्द्रीय बजट 2013-14 में की गई थी। तथापि यह अनुमति सुविज्ञ निवेशकों तक ही सीमित है। यह सुविधा मौजूदा एसएमई प्लेटफॉर्म जिसमें किसी प्रारंभिक लोक प्रस्ताव के माध्यम से और वृहत्तर निवेशक भागीदारी के साथ सूचीबद्ध हुआ जा सकता है, के अतिरिक्त होगी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड(सेबी) ने 8 अक्टूबर, 2013 को सेबी (संस्थागत व्यापार प्लेटफॉर्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का सूचीकरण)विनिमय, 2013 जारी किया है और 24 अक्टूबर, 2013 को एक्सचेंजों को परिपत्र जारी किया है।

3.5. निवेश सलाहकार विनिमयः

3.5.1 विभिन्न क्षेत्रीय विनियामकों और मंत्रालय के परामर्श से सेबी ने 21 जनवरी, 2013 को सेबी(निवेश सलाहकार) विनियम 2013 जारी किया है जिसके माध्यम से निवेश सलाहकारों के पंजीकरण और विनिमय के लिए ढांचा प्रदान किया गया है। इस नियम के परिणामस्वरूप निवेशक को बेहतर संरक्षण मिलेगा और इसमें निवेशकों के लिए और अधिक निवेश संबंधी विशेषज्ञ सलाह अपेक्षित है।

3.6. कंपनियों के निलंबन से संबंधित संशोधित ढांचाः

3.6.1 सूचीकरण संबंधी शर्तों के गैर-अनुपालन पर,एक्सचेंज सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के व्यापार को निलंबित करता रहा है,जिससे प्रवर्तकों की अपेक्षा गैर-प्रवर्तकों के हित कहीं अधिक प्रभावित होती थी क्योंकि इन निवेशकों के लिए व्यापार निलंबित होने के बाद बाहर निकलने का मार्ग बंद हो जाता था। अतः इस मुद्दे को सुलझाने और अल्पसंख्यक/लघु/गैर-प्रवर्तक शेयर होल्डरों के संरक्षण के लिए एक उपयुक्त ढांचे के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई।

3.6.2 सेबी ने 30 सितंबर, 2013 के परिपत्र के तहत, निदेश दिया है कि एक्सचेंज गैर-अनुपालक कंपनियों के मामले में, कंपनी के शेयरों को निलंबित करने से पहले अर्थ-दंड लगाना, प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के शेयरों पर रोक लगाना, कंपनी के शेयरों में होने वाले व्यवसाय को पृथक श्रेणी में स्थानांतरित करना इत्यादि जैसे अन्य विभिन्न उपायों का सहारा लेगा। तदनुसार, सूचीकरण करार की कतिपय महत्वपूर्ण सूचीकरण संबंधी शर्तों जैसे कि खंड 35, खंड 41, खंड 49 के गैर-अनुपालन पर सूचीबद्ध निकायों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की निरंतरता और एकरूपता बनाए रखने के लिए सेबी ने शेयरों के व्यापार के निलंबन और निलंबन के निरसन के लिए मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) का सुझाव दिया है और एक्सचेंजों के बीच समान अर्थ-दंड ढांचे को लागू किया है।

3.7. प्रतिभूति और पण्य बाजारों के बीच समानताः

3.8 केन्द्रीय बजट 2013-14 के तहत, गैर-कृषि पण्य वायदा कारोबार संविदाओं पर उसी दर से ईक्विटी वायदा कारोबार पर लागू है, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) के समान ही 1 जुलाई, 2013 से पण्य लेनदेन कर (सीटीटी) लगाया गया है।

3.8.1 जमाकत्ताओं के निवेशक संरक्षण कोष को आयकर से दी गई छूटः

स्टाक/जिन्स विनिमय के निवेशक कोष को इस समय आयकर से जो छूट दी जा रही है उसे अब केन्द्रीय बजट 2013-14 तहत् उन कोषों को भी दिया जा रहा है जिनकी इसी उद्देश्य से जमाकर्त्ताओं ने की है। इससे निवेशक संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।

3.9 प्राथमिक बाजार

3.9.1 प्रतिभूति नियम (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 9)

3.9.1.1 प्रतिभूति नियम (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का सं,8) की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2013 को संविधान के अनुच्छेद 123 के उपवाक्य (1) के अंतर्गत की गई थी। चूंकि इस अध्यादेश का स्थान लेने वाले प्रतिभूति नियम (संशोधन) विधेयक 2013 को संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका था अतः राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को पुनः16 सितंबर 2013 घोषित किया। इस अध्यादेश में निम्नलिखित के लिए प्रावधान किये गए हैं:

- प्रतिभूति संव्यहार से सम्बंधित जानकारी हासिल करने की व्यापक शक्ति
- तलाशी और जब्ती करने की शक्ति
- सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) को विनियमित करने की शक्तियों में वृद्धि
- कुर्क करने और आर्थिक दण्ड लगाने की शक्ति
- सेबी द्वारा अपनी सामान्य शक्तियों के तहत् जो भी कार्रवाई करता है उसको स्पष्ट विधिक समर्थन देना-
  - अन्य विनियामकों से जानकारी का आदान-प्रदान करने की शक्ति
  - सहमति आदेश पारित करने की शक्ति
  - डिसजार्जमेंट आदेश पारित करने की शक्ति
- विनियामक संरचनाओं को सुदृढ़ करनाः
  - विशेष न्यायालयों की स्थापना और सेबी के वकीलों को लोक अभियोजक मानना
  - विनियमों को जारी करना

3.10 प्राथमिक बाजारों में सुधार

3.10.1 माननीय वित्त मंत्री जी ने केन्द्रीय बजट 2012-13 को प्रस्तुत करते समय अन्य बातों के साथ साथ इनीशियल पब्लिक आफर्स (आईपीओ), बढ़ती पूंजीगत लागत में कमी लाने और कम्पनियों की इसलिए मदद करने कि वे छोटे-छोटे नगरों में खुदरा निवेशकों तक पहुंच सकें, के अपने इरादे से अवगत कराया था। इस बारे में प्राथमिक बाजारों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैंः-

- स्टाक एक्सचेंज के राष्ट्र व्यापी ब्रोकर नेटवर्क (इलेक्ट्रानिक आईपीओ) के माध्यम से आईपीओ में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाना।
- एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लाक्ड एमाउंट (एएसबीए) की पहुंच का विस्तार करना।
- आईपीओ में प्रत्येक खुदरा आवेदकों के लिए कम से कम शेयर आवंटन को सुनिश्चित करना।
- 20% तक के इश्यू के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए इश्यूअर्स की पूंजी में बढ़ोत्तरी लाने का प्रयास करना।
- न्यूनतम सार्वजनिक शेयर होल्डिंग मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाओं के रूप में क्यूआईपी में इश्यू के मूल्य को जारी करना, डिस्कलोजर्स को सरल बनाना तथा राइटस और बोनस इश्यू को जारी करना।
- केवल इश्यूअर्स को 15 करोड़ रुपए के कर पूर्व न्यूनतम औसत लाभ की अनुमति देकर बाजार की एकता तथा निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना जिससे कि वे लाभप्रदता के माध्यम से पूंजीगत बाजार में प्रवेश कर सकें। तथा निम्न गुणवत्ता वाले मसौदा प्रस्ताव दस्तावेजों को निरस्त करने के लिए व्यवस्था कायम करना।
- आईपीओ प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर गैर-खुदरा निवेशकों के लिये बोली को वापस लेने या उसके आकार को कम करने की अनुमति न देना।
- 'सामान्य निगम उद्देश्यों को ईश्यू आकार के 25% तक ईश्यू लक्ष्य को सीमित रखते हुए पूंजीगत पारदर्शिता को बढ़ाना।

3.10.2 सितंबर 2012 में शुरू किये गये उपर्युक्त सुधारों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2013-14 में सामूहिक साभ्या राशि जो संकिलत की गई थी यह अप्रैल 2013 से नवम्बर 2013 तक 3313.45 करोड़ रुपए की तथा यह 31 ईश्यू से प्राप्त की गई थी। जबकि 2012-13 की इसी अवधि (अर्थात् अप्रैल 2012 से नवम्बर 2012 तक) में यह राशि 7445.76 करोड़ रुपए थी जो कि 25 ईश्यू से प्राप्त की गई थी। जनवरी 7, 2014 तक 55 एएसबीए बैंकों की लगभग 76135 शाखाओं में एएसबीए की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है जबकि इसके पहले 9,843 शाखाओं में ही यह उपलब्ध थी।

3.11 भारत में कार्पोरेट ब्राण्ड बाजार का विकास

2012-13 के दौरान व्यापारिक बांड बाजार की वृद्धि को तेज करने तथा नियामक पद्धति में सुधार करने के लिए आरबीआई, सेबी,एमसीआई तथा आईआरडीए के परामर्श के साथ विभिन्न नितिगत उपायों को लागू किया गया है। जो कि निम्नलिखित हैः

- कम्पनी अधिनियम की धारा 117(ग) के साथ जारी किए गए परिपत्रों में संशोधन के द्वारा, बांड इश्यूएंस के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरडी) में 25% तक की कमी करना।
- कम्पनी नियमावली (जमा की सहमति से) 1975 में जमा की परिभाषा में सुधार।
- प्रतिभूति ऋणों के लिए कर नीति में स्पष्टता सुनिश्तित करके प्रतिभूति ऋण बाजार का सुधार।
- सरकारी प्रतिभूतियों तथा कारपोरेट बांड के लिए एफआईआई पर कर काटने का पुनर्गठन।
- व्यापारिक बांडों में उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के पेंशन/बीमा निवेश प्रोत्साहन की निवेश शर्तों में छूट।
- निवेश के लिए बांडों की योग्यता को बढ़ाने के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा 5 वर्ष से 10 वर्ष कर के संरचनात्मक बांडों में निवेश के लिए कम से कम कार्यकाल।
- संरचनात्मक कम्पनी के योजनागत मूल्य (एसपीवी) पर आधारित बांडों में बीमा कम्पनियों द्वारा निवेश के लिए निवेश कसौटी के निर्धारण को अनुमति देना।
- बैंकों के द्वारा टायर II पूंजी को बढ़ाने के लिए व्यापारिक बांडों के सार्वजनिक इश्यूएस को बढ़ावा देना विशेषकर जबसे बैंकों को सार्वजनिक निवेशकों द्वारा अधिक विश्वसनीय माना जाने लगा है।

- बीमा कम्पनियों की तरलता को बढ़ाने के लिए, रेपो बाजार में सहभागिता की अनुमति प्रदान करती हैं।
- व्यापारिक बांडों पर आरईपीओ पर हेयर कट में कमी।
- बीमा कम्पनियां तथा म्यूचुअल फंड इस उत्पाद में ट्रेडिंग में सुधार के लिए, सीडीएस मार्केट में मार्केट मेकर्स के रूप में सहभागिता की अनुमति प्रदान करती है।
- व्यापारिक ऋणों के लिए एफ-11 नीलामी प्रक्रियाओं को पुनः देखना।
- सेन्ट्रल काउंटर पार्टी (सीसीपी) की स्थापना करना तथा स्टॉक एक्सचेंज में कारपोरेट बांड में व्यापार के लिए व्यापारिक गारंटी फंड का सृजन करना।
- एए से अधिक श्रेणीक्रम वाले तरल बांडों के लिए डीवीपी 111 प्रक्रिया को प्रारंभ करना ताकि नेट केश बेसिस आधार पर सक्षम भुगतान के लिए सुविधा सुनिश्चित हो सके।
- केश मार्केट सेगमेट में व्यापारिक तथा सूचीबद्ध व्यापारिक बांडों के लिए जोखिम प्रबंधन रूपपेखा।
- दो तरीके के दाम प्रदान करने के लिए एक बाजार निर्माण योजना को प्रारंभ करना।
- नेगोसिएटिज डिलिंग सिस्टम-ओएम की तर्ज पर ट्रेडिंग प्लेटफार्म शुरू करना अथवा बढ़ाना (आर्डर मैचिंग सिस्टम)।
- सूचना के बिखराव को समाप्त करने के लिए बकाया धन राशि, बन्दोबस्त कीमत और व्यापारिक कीमत के कारपोरेट बान्डों के सम्बन्ध में केन्द्रीयकृत आंकड़े।
- मानकीकरण के लिए एकीकृत बाजार कन्वेशन का अनिवार्यात्मक उपयोग।
- कारपोरेट बान्डों के क्रेडिट में बढ़ोतरी।

3.12 सूची बद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में न्यूनतम शेयर धारकों में बढ़ोतरी:

3.12.1 प्रतिभूति संविदा (विनियम) विनियमावली 1957 में सभी सूची बद्ध कम्पनियों के गैर प्रमोटर की सार्वजनिक शेयर होल्डिंग को 25% करने का प्रावधान है (सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को छोड़कर जहां यह सीमा 10% है)। सेबी ने एससीआरआर के नियम 19(2)(ख) और 19(क) की शर्तों के अनुसार एमपीएस की अपेक्षाओं को विनिर्धारिति अवधि अर्थात गैर-सरकारी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए 03 जून, 2013 तथा सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 08 अगस्त, 2013 के अन्दर पूरा करने के लिए विभिन्न पद्धतियां शुरू की है। अनुपालना नही करने वाली 105 गैर-सरकारी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा 04जून, 2013 को उपयुक्त निदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की, अनुपालना नहीं करने वाले एक उद्यम अर्थात हरियाणा वित्त निगम लि. के लिए सेबी द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2013 को निदेश जारी कर दिए गए हैं।

3.13 बजट उद्घोषणा 2013-14 के अनुक्रम में निम्नलिखित को कार्यान्वित किया गया:

3.13 म्यूचुअल फंड वितरकों को, स्टाक एक्सचेंज के म्यूचुअल फंड घटक में सदस्य बनने की अनुमति दे दी गई ताकि वे अपनी पहुंच तथा वितरण में सुधार लाने के लिए स्टाक एक्सचेंज नेटवर्क को बढ़ा सके।

- वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष प्रयोजन के वाहन द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों की संवीक्षा किए जाने को सुकर बनाने के आशय से स्क्यूरिटीजेशन ट्रस्ट द्वारा आय के वितरण के समय ही, कम्पनियों के मामले में 30% की दर से तथा एकल व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में 25% की दर से कर लगाया जाएगा। स्क्यिूरिटीजेशन ट्रस्ट से निवेशकों को, प्राप्त आय पर और कोई कर नहीं लगाया जाएगा।
- वेन्चर कैपिटल फन्ड को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पास थ्रु दर्जा दिया गया है। सेबी के के संगत विनियमों के स्थान पर वैकल्पिक निवेश निधि 1 विनियमावलियां प्रतिस्थापित की गई है। एंजल निवेशको को श्रेणी i एआरएएफ के रूप में मान्यता दी गई है तथा वेन्चर कैपिटल फंड को भी पास थ्रू दर्जा दिया जाएगा।
- सेबी ने एंजल निवेशक पूल की अपेक्षाएं निर्धारित की है जिससे उन्हें श्रेणी I एआईएफ वेन्चर कैपिटल फन्ड के रूप में माना जा सकता है।

3.14 वित्तीय साक्षरता

3.14.1 साइनरजेटिक तरीके से वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एफएसडीसी उप-समिति के तत्वाधान में वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा तैयार किया गया है तथा इस पर सार्वजनिक परामर्श भी लिया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा

बोर्ड इस समय कक्षा vi से x तक स्कूल के पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को समेकित करने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तैयार कर रहा है।

3.15.1 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

3.15.1.1. सम्प्रभु क्रेडिट रेटिंग अभिकरण

भारत के सम्प्रभु ऋण की प्रायः छः मुख्य सम्प्रभु क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों द्वारा समीक्षा की जाती है। ये है-फिच रेटिंग, मूडी इन्वेस्टर सर्विस, स्टैन्डर्ड एंड पूअर, डामिनियन बान्ड रेटिंग सर्विस, जैपनीस क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी तथा रेटिंग एंड इनवैस्टमैन्ट इन्फारमेशन इन्का, टोक्यो (आरएण्डआई)। इन अभिकरणों द्वारा जारी की गई अद्यतन समीक्षा निम्नानुसार हैः-

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग की प्रविष्टि की तारीख	विदेशी मुद्रा		स्थानीय मुद्रा	
		रेटिंग	आऊट लुक	रेटिंग	आऊट लुक
मूडी	05.12.2013	बीएए3	स्थिर	बीएए3	स्थिर
फिच	12.06.2013	बीबीबी-(एलटी) एफ3(एसटी)	स्थिर नकारात्मक	बीबीबी-	स्थिर
एस.एण्ड.पी	17.05.2013	बीबीबी-(एलटी)	नकारात्मक	स्थानीय मुद्रा में कोई रेटिंग नहीं दी गई।	
जे.सी.आर.ए	13.12.2013	बीबीबी+	नकारात्मक	बीबीबी+	नकारात्मक (स्थिर से बढ़ते हुए)
आर.एण्ड.आई	22.11.2012	बीबीबी (एलटी) (बीबीबी+ से निम्न ग्रेड) ए-2(एसटी)	स्थिर	स्थानीय मुद्रा में कोई रेटिंग नहीं दी गई।	
डी.बी.आर.एस	30.09.2013	बीबीबी(न्यून) (एलटी) आर-2एम(एसटी)	एल.टी. और एस.टी दोनो के लिए स्थिर	बीबीबी (न्यून) (एलटी) आर-2एम (एसटी)	एल.टी. और एस.टी दोनो के के लिए स्थिर

एल.टी-दीर्घावधिक, एस.टी.-लघु अवधि

1) एस. एण्ड पी. ने भारत के सम्प्रभु क्रेडिट रेटिंग की वार्षिक समीक्षा के लिए अप्रैल 25, 2013 को भारत का दौरा किया तथा 17 मई, 2013 को अपना अद्यतन रिसर्च अपडेट जारी किया। अपनी रिपोर्ट में एस. एण्ड पी ने अपनी बी.बी.बी(-) दीर्घावधि तथा ए-3 लघु अवधि सम्प्रभु रेटिंग ऑन इण्डिया की पुष्टि की तथा नकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखा।

2) हाल ही में फिच रेटिंग ने भी 12 जून, 2013 को प्रैस रिलीज जारी की है जिसमें भारत की विदेशी मुद्रा दीर्घाअवधि रेटिंग को बी.बी.बी.- तथा एफ.सी. लघु अवधि रेटिंग की एफ-3 के रूप में नकारात्मक से स्थिर होने के दृष्टिकोण होने की पुष्टि की है।

3) दिसम्बर 05, 2013 को मूडी इन्वेसटर सर्विस ने भारत की सम्प्रभु क्रेडिट रेटिंग के सम्बन्ध में अपने स्थिर दृष्टिकोण की पुष्टि की है। उन्होंने विदेशी मुद्रा तथा स्थानीय मुद्रा की भी बीएए3 स्तर पर पुष्टि की है।

4) डी.बी.आर.एस. ने दिनांक 26 जुलाई, 2013 को वित्त मंत्रालय का दौरा किया। उनकी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2013 को जारी की गई जिसमें भारत की दीर्घावधि की विदेशी और स्थानीय मुद्रा की सम्प्रभु क्रेडिट रेटिंग को स्थिर आऊट लुक के साथ बीबी(न्यून) पर दिखाया गया।

5) आर. एण्ड आई. ने 31 अक्टूबर, 2013 को मंत्रालय का दौरा किया तथा उनकी रेटिंग अभी जारी की जानी है।

6) हाल ही में 13 दिसम्बर, 2013 को जे.सी.आर.ए. ने भारत की विदेशी मुद्रा तथा स्थानीय दीर्घावधि मुद्रा को बीबीबी+ रेटिंग के रूप में पुष्ट करते हुए नकरात्मक से स्थिर के संशोधित दृष्टिकोण के साथ अपनी रिपोर्ट जारी की है।

3.15.2. भारत के स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार द्वरा उठाए गए कदमों से भारत को स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग के सुधार के तर्क को मजबूती मिलने की संभावना है। इन सुधारों में वित्तिय समेकन सरकारी खर्चों की क्षमता में सुधार दीर्घावधि वृद्धि की संभावना में सुधार तथा निवेश परिवेश में सुधार

करने के उपाय सम्मिलित है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने भारत के स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैः

- स्वायत्त वित्तीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (एससीआरए) के साथ व्यवहार करने के लिए उपागम तथा प्रणाली की जांच के लिए एएस की अध्यक्षता में एक अंतः विभागीय समिति की संस्थापना।

- उनको जिस भी सूचना की आवश्यकता हो उसे प्रदान करने के लिए एससीआरए के साथ संरचनात्मक पारस्परिक प्रक्रिया का प्रारंभ एससीआरए की डीईए में यात्रा के दौरान भारत की स्वायत्त रेटिंग पर उनके वार्षिक समीक्षा कराने के लिए, सचिव(ईए) उद्घाटन सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पारस्परिक सम्मेलनों की श्रृंखला चलती है। इन सभाओं के दौरान सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बारे में अपने दृष्टिकोण को एससीआरए के समक्ष प्रस्तुत करती है तथा सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों के बारे में बताती है। हम एससीआरए को भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दीर्घावधि क्रेडिट का पूर्ण रूप में विचार करने और इस प्रकार की मजबूती को ध्यान में रखते हुए भारत के स्वायत्त ऋणों की रेटिंग में सुधार पर विचार के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं।

- मुख्य अर्थव्यवस्था सूचकांकों पर भारत और समान रूप से रेटिड अर्थव्यवसथाओं की तुलनातमक स्थिति के बारे में विभिन्न देशों का व्यापक प्रस्तुतिकरण भी एससीआरए के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3.15.2.1 इन कदमों ने नकारात्मक से स्थायी दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त हम और अधिक हम एससीआरए को हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अधिक सकरात्मक भाषा प्रयोग करने तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को अधिक सकरात्मक रूप से प्रदर्शित करने में सफल रहे हैं।

3.15.2 फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)

- एफएटीएफ एक अंतः सरकारी अंग है जो धन शोधन तथा आंतकवादी वित्तीयन के विरूद्ध वैश्विक वित्तिय व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए नितियों को विकसित तथा प्रोत्साहित करती है। इसमें 34 देश तथा दो क्षेत्रीय अंगों जैसे कि यूरोपीय यूनियन तथा इसके सदस्यों के रूप में जीसीसी तथा पर्यवेक्षकों के रूप में 21 अंतराष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं।

- जून 2010 में भारत एफएटीएफ की सदस्यता प्राप्त कर ली। भारत ने इसकी सदस्यता प्राप्त करते हुए, वित्त मंत्री के अनुमोदन से, जैसाकि तीन वर्ष की समय-सीमा के भीतर इसके एएमएल/सीएफटी रूपरेखा में, भारत की परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट में एफएटीएफ के द्वारा बताई गई कमियों का उल्लेख करते हुए, एफएटीएफ को एक कार्य योजना दी।

- भारत ने अपनी सभी कार्य योजनाओं को 2013 में पूरा कर लिया तथा एफएटीएफ मंच पर नियमित अनुवर्ती प्रक्रियाओं को छोड़ दिया तथा इस प्रकार बिना किसी शर्त के एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया। एफएटीएफ सचिवालय ने भारत को तीन वर्ष वर्ष के रिकार्ड समय-सीमा के भीतर अपनी अनुवर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के प्रयासों की प्रशंसा की है जो कि अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

3.15.3 धन शोधन तथा आंतकवादी वित्तीयन (ईएजी) का सामना करने के लिए यूरेशियन समूह

- धन शोधन तथा आंतकवादी वित्तीयन (ईएजी) का सामना करने के लिए यूरेशियन समूह-एक एफएटीएफ प्रकार के क्षेत्रीय अंग (एफएसआरबी) की स्थापना रूस की पहल कदमी पर, मास्को में एक उद्घाटन सम्मेलन में, 6 अक्टूबर, 2004 को हुई थी इसके छः संस्थापक सदस्यों में बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, किरगिस्तान, रूस तथा तजाकिस्तान सम्मिलित हैं। 2005 में एक सदस्य राज्य के रूप में उजबेकिस्तान इसमें 2005 में सम्मिलित हो गया।

- भारत ने 15 दिसम्बर, 2010 में मास्को रूस में नवें सदस्य के रूप में यूरेशियाई समूह की सदस्यता प्राप्त कर ली।

- ईएजी में 9 देश है बेलारूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उजबेकिस्तान हैं। इसमें 14 राष्ट्र अफगानिस्तान, आर्मेनिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिथुआनिया, मॉलदीवा, मंगोलिया, मांटेनिग्रो, पौलेंड, टर्की, सर्बिया, युक्रेन हैं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कि विश्व बैंक, यूएनओडीसी, आईएमएफ इत्यादि पर्यवेक्षक के रूप में हैं।

- नवम्बर 2013 में अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में होने वाली ईएजी की बैठक में भारत को सर्वसम्मपति से अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण प्रगति है। 2004 में ईएजी के गठन के बाद से पहली बार रूस के अतिरिक्त किसी अन्य राष्ट्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।

3.15.4 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग

- वित्त मंत्री ने वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग के गठन की घोषणा 2010-11 के अपने बजट अभिभाषण के दौरान की और सरकार ने एफएसएलआरसी को अधिसूचित करने वाला संकल्प 24 मार्च, 2011 को जारी किया। उच्चतम

न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री बी.एन. श्री कृष्ण की अगुवाई वाले आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार का 22 मार्च 2013 को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन का हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर वित्त मंत्रालय की वेबसाइट http://finmin.nic.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और एक अनन्य ई-मेल feedback-fslrc@nic.in ऑन लाइन टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए बनाई गई है।

- वित्त मंत्री के 2013-14 के बजट अभिभाषण अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि सरकार चाहती है वह एफएसएलआरसी की सिफारिशों की जांच करे तथा जल्दी से और निर्णायक रूप से कार्य करे ताकि वित्तीय क्षेत्र सुनियंत्रित, कार्यक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सके और मजबूत विधिक आधारों पर खड़ा हो सके।

- उक्त के अनुसरण मे, एफएसएलआरसी के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है तथा आयोग की सिफारिशें पर वित्तीय क्षेत्रक नियामकों एवं संबंधित हितधारकों के परामर्श से सरकारी विचार निश्चित किए जा रहे हैं।

- आयोग की सिफारिशों को मोटे तौर पर दो भागों में, अर्थात विधायी और गैर विधायी में बांटा जा सकता है। 3 जून, 2013 को आयोजित एफएसडीसी की 7वीं बैठक में सिद्धांततः यह सहमति हुई कि विनियामक अभिकरण ऐसी सिफारिशों की पहचान करेंगे जिन्हें विधायी परिवर्तन के बिना लागू किया जा सके। एफएसडीसी की 7वीं बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, आर्थिक कार्य विभाग ने उन गैर विधायी सिफारिशों की सूची चिह्नित की जिनका अधिकांश रूप से संबंध विनियामक अभिशासन में सुधार, पारदर्शिता, विनियामक कार्य की पूर्वानुमेय प्रणाली, विनियामक लागत लाभ विश्लेषण आदि से है और जिन्हें विधायी परिवर्तनों की अपेक्षा के बगैर विद्यमान विनियामक ढांचे के अंदर कार्यान्वित किया जा सकता है।

- 24 अक्तूबर, 2013 को आयोजित एफएसडीसी की 8वीं बैठक में परिषद ने निर्णय किया कि विनियामक उन अभिशासन सुधार सिफारिशों को स्वेच्छा से अंगीकार कर सकते हैं जिनके लिए उचित आगामी समय-सीमा के अंदर विधायी परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। विनियामकों के कार्य को सुकर करने और गैर विधायी अभिशासन सुधार सिद्धांतों के बारे में एकरूप तर्काधार आधारित सहमति विकसित करने में मदद करने के विचार से विस्तृत मार्ग दर्शन पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें मूलतः अभिशासन को बढ़ावा देने वाले प्रावधान/संस्तुतियां, उनका तर्काधार, विश्व स्तर पर बेहतर अभिशासन व्यवहारों के उपयुक्त उदाहरण और उनके कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश शामिल हैं। इन संस्तुतियों में उपभोक्ता संरक्षण, खुदरा ग्राहकों हेतु उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विनियमों के लिए समय-सीमा, विनियमों को तैयार करने के लिए अपेक्षाएं, विनियमित निकायों को नोटिस, पारदर्शिता, बोर्ड बैठकों में पारदर्शिता, रिपोर्ट करना, अनुमोदन, जांच-पड़ताल, अधिनिर्णयन, जुर्माने का अधिरोपण और क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

- 'पुस्तिका' वित्तीय क्षेत्र विनियामकों को परिचालित कर दी गई है और इसे व्यापक रूप से सर्वसाधारण को सूचनार्थ वेबसाइट http://www.finmin.nic.in पर लोक क्षेत्र में रख दिया गया था।

- एफएसडीसी की 8वीं बैठक में, नये अभिकरणों जैसे समाधान निगम (आरसी), वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अभिकरण (एफएसएटी), लोक ऋण प्रबंधन अभिरकरण (पीडीएमए) और वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र (एफडीएमसी) की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु परियोजना अभिधारणा वाला साथ कार्य दल तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अनुसरण में, वित्तीय क्षेत्र विनियामकों को उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए मसौदा विचारार्थ विषय परिचालित कर दिए गए हैं।

3.15.5 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) सचिवालय

3.15.5.1 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी)

- सरकार ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) का गठन दिसम्बर, 2010 में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में किया। इसके सदस्य वित्तीय क्षेत्रक विनियामक प्राधिकरणों के प्रमुख और संबंधित विभागों के सचिव हैं। परिषद विशाल वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के वृहत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करती है तथा वित्तीय समझ और वित्तीय समावेशन से जुड़े मसलों सहित अंतर विनियामक समन्वयन और वित्तीय क्षेत्रक विकास मसलों पर ध्यान देती है।

- 2013-14 के दौरान परिषद ने 3 जून (7वीं बैठक) को और 24 अक्तूबर, 2013 को (8वीं बैठक) दो बैठकें कीं। इन बैठकों में परिषद ने देश में बैंकिंग व्यवस्था की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता की स्थिति, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यशैली, वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग की सिफारिशों, संयुक्त राज्य अमरीका में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने की नीति समाप्त करने के प्रभाव और किए जाने वाले निवारक उपायों, कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्धारित 'कारपोरेट संकट समाधान तंत्र' को सुसाध्य बनाने के लिए विनियामकों/सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों आदि की समीक्षा की। परिषद ने अब तक कुल 8 बार बैठकें की हैं। 31 जनवरी, 2013 को आयोजित छठी बैठक वित्तीय क्षेत्रक विनियामकों के साथ वित्त मंत्रालय की बजट पूर्व परामर्श थी।

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में गठित एफएसडीसी की उपसमिति की बैठक संपूर्ण समिति की बैठक की तुलना में प्रायः अधिक होती है। एफएसडीसी के सभी सदस्य उपसमिति के सदस्य भी होते हैं। वर्ष 2013 के दौरान, उपसमिति ने तीन बैठकें, 8 मार्च, 7 अगस्त और 12 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की। कुल मिलाकर अब तक उपसमिति की 11 बैठकें हुई हैं।

3.15.5.2 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

- वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय प्राधकरणों, मानक निर्धारण निकायों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को एकजुट करते हुए जी-20 के तत्वावधान में 2009 में की गई ताकि दोषों पर ध्यान दिया जा सके तथा वित्तीय स्थिरता के पक्ष में सख्त विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियां ईजाद करके लागू की जा सकें। भारत एफएसबी का सक्रिय सदस्य है और इसके पूर्ण अधिवेशन में इसकी तीन सीटें हैं जिनका प्रतिनिधित्व सचिव (आर्थिक कार्य), डिप्टी-गवर्नर-आरबीआई तथा सेबी अध्यक्ष करते हैं। एफएसबी के साथ नियमित संवाद आवधिक सम्मेलनों और बैठकों के आयोजन के जरिए किया जाता है। एफएसबी के सदस्यों के अधिभार के साथ अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं एवं मानकों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान बारंबार किया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग में एफएसडीसी सचिवालय एफएसबी के साथ भारत के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न वित्तीय क्षेत्रक नियमाकों एवं अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ समन्वय करता है।

3.15.5.3 वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम

- 1999 में स्थापित वित्तीय क्षेत्रक निर्धारण कार्यक्रम (एफएलएपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के संयुक्त कार्यक्रम के रूप में किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण करता है।

- डिप्टी गवर्नर, आरबीआई और वित्त सचिव, भारत सरकार की सह-अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति ने 2009 में स्व-मूल्यांकन किया था जिसका प्रतिवेदन भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया था। सितम्बर, 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने व्यवस्थगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों वाले भारत सहित 25 अधिकार क्षेत्रों के लिए इसे अनिवार्य किया ताकि एफएसएपी के तहत वित्तीय मूल्यांकन निर्धारण प्रत्येक पांच वर्ष में कराए जा सके।

- भारत का पूर्ण-कालीन एफएसएपी 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ, मिशन के उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय विकास और वित्तीय क्षेत्र निगरानी रूपरेखा से संबंधित संस्तुतियों की जांच करना और तैयार करना था।

- आईएमएफ द्वारा भारत के लिए एफएसएपी रिपोर्ट - वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन (एफएसएसए) अपडेट - 15 जनवरी, 2013 को प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात, प्रत्येक वित्तीय क्षेत्र जैसे बैंकिंग, प्रतिभूति बाजार और बीमा क्षेत्र के संबंध में भी आईएमएफ द्वारा विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्टें (डीएआर) 29 अगस्त, 2013 को प्रकाशित की गई थीं। बाद में इन रिपोर्टों में किए गए मूल्यांकन पर अपनी स्थिति को दर्शाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, आईआरडीए और सेबी द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई।

- एफएसबी, बीसीबीएस और आईएमएफ के सदस्य के रूप में, भारत सक्रिय रूप से जी-20 के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों और पर्यवेक्षी रूपरेखा के पश्च संकट सुधारों में भागीदारी कर रहा है। भारत, जहां कहीं भी आवश्यक हो, एक चरणबद्ध और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नपे-तुले तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और उत्कृष्ट व्यवहारों को ग्रहण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.15.5 संकट निवारण और प्रबंधन संरचना (सीपीएमएफ)

- एफएसडीसी उप-समिति के निर्णय के अनुसरण में, संपूर्ण वित्त मंत्रालय के लिए संकट निवारण और प्रबंधन संरचना (सीपीएमएफ) वित्त मंत्रालय के सभी विभागों के परामर्श से एफएसडीसी सचिवालय द्वारा तैयार की गई थी और 1 अक्तूबर, 2012 से परिचालित की गई थी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय और वृहत अर्थव्यवस्था स्थिरता के उभरते संकटों को चिह्नित करने और उन्हें कम करने में विनियामक प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना और सहायता करना; तथा संकट की घड़ी में, वित्तीय बाजारों के अलावा स्थावर क्षेत्र पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना शामिल है। यह 'निवारण' पहलू को 'प्रबंधन' पक्ष से अलग करके विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। 'प्रमुख' प्रभागों को निगरानी करने, विश्लेषण नीतिगत विकल्प सृजित करने और अपने संबंधित क्षेत्रों में उभरती कमियों पर कार्रवाई करने को दायित्व दिया गया है।

- मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में वृहत वित्तीय निगरानी समूह (एमएफएमजी) गठित किया गया है और इसमें वित्त मंत्रालय के सभी विभागों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह समूह वृहत अर्थव्यवस्था और वित्तीय घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए, कमियों को चिह्नित करने, और पूर्व चेतावनी संकेत उपलब्ध कराने के लिए बैठकें करता है। अभी तक इस समूह ने 12 बैठकें की हैं।

3.15.6 कमोडिटी व्युत्पाद

बाजारों सहित वित्तीय बाजारों के बेहतर विनियमन के उद्देश्य से, कमोडिटी व्युत्पादों की नीति और विनियमों का अधिदेश सितम्बर, 2013 उपभोक्ता मामले विभाग से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को अंतरित किया गया है। ऐसा वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों को वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से और विनियामकों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय शुरूआती तौर पर वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) को प्रशासनिक और वित्तीय शाक्तियों का प्रत्यायोजन करके वायदा बाजार आयोग तथा विनियामक संरचनाओं को मजबूत करने की प्रक्रिया में लगा है। इसके साथ ही, यह कार्य एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2010 के जरिये विधायी रूपरेखा का सुदृढ़ीकरण करके भी किया जा रहा है। प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक में वस्तुओं अथवा कमोडिटी व्युत्पादों में मांग विकल्पों में व्यापार को अनुमत करने के लिए प्रावधान बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें एफएमसी की शक्तियों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

4. अवसंरचना और ऊर्जा प्रभाग

4.1 अवसंरचना

4.1.1 ''अवसंरचना के उप क्षेत्रों की सुम्मेलित सूची'' को उद्यतन और उन्नयन करने और संस्थागत तंत्र (आईएम) के गठन के लिए अवसंरचना के लिए मंत्रिमंडल समिति के निर्णय और भारत सरकार की 27 मार्च 2012 की अधिसूचना के आधार पर, अवसंरचना अनुभाग ने संस्थागत तंत्र (आईएम) की तीन बैठकें सचिव, आर्थिक कार्य की मध्यक्षता में जिसमें सदस्य सचिव, योजना आयोग, सचिव राजस्व विभाग, सीईए, आर्थिक कार्य विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, इरडा के प्रतिविधि, पीएफआरडीए के प्रतिनिधि और संबंधी मंत्रालयों के सचिव शामिल थे, आयोजित की। हितधारकों, जिसमें नियामक और निवेशक शामिल है, के बीच यह कार्यवाही की अवसंरचना के संदेह से बचाएगी।

4.1.2 डीएमआईसी ट्रस्ट का संचालन सचिव, आर्थिक कार्य विभाग करता है, जो दिल्ली, मुम्बई औद्योगिक कारिडोर (डीएमआईसी) के कार्यान्वयन को देखते हैं। जिसमें विभिन्न डीएमआईसी परियोजना की परीक्षा, ट्रस्ट की बैठकों का आजोजन आदि 2013 में डीएमआईसी ट्रस्ट की तीन बैठकों का आयोजन किया गया।

4.1.3 यह अनुभाग दूररंचार विभाग, डाक विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, रेल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के क्षेत्रक प्रभार के साथ इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार मंत्रिमंडल टिप्पणी, ईएफसी टिप्पणी, सचिवों की समिति टिप्पणी, पीआईबी टिप्पणी, मंत्रियों के समूह की टिप्पणी आदि की समीक्षा भी करता है।

4.2 अवसंरचना वित्त

4.2.1 **अवसंरचना ऋण निधियां (आईडीएफएस):** सरकार ने अवसंरचना विकास निधि पर विचार किया, अवसंरचना सेक्टर में विदेशी निवेशकों से दीर्घावधिक ऋण के निकास के मामलों से निपटने के लिए एक प्रगतिशील प्रयास है। विशेषताओं निम्न प्रकार से दी गई हैः

- इनमें संभावित निवेशकों में अपतटीय संस्थागत निवेशक, अपतटीय उच्च निवल मूल्य वाले व्यष्टि और अन्य संस्थागत निवेशक (बीमा निधियां, पेंशन निधियां, सरकारी धन निधियां, आदि) शामिल हो सकते हैं।
- अवसंरचना ऋण निधि की आय को कर मुक्त किया गया है।
- आईडीएफ-एनबीएफसी के निवेश उचित उच्च रिटर्न की संभावना के साथ सुरक्षित और जोखिम रहित है।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक कार्य की केबिनेट समिति ने 24.9.2013 को ''अवंसरचना ऋण निधियों का संचालन- विशेष अवरोधों का हटाना'' पर मंत्रिमंडल टिप्पणी अनुमोदित की है। उपरोक्त मंत्रिमंडल निर्णय इस समय आईडीएफ के सचालन में आई बाधाओं को दूर करेगा। यह निवेश वातावरण बनाएगा और आईडीएफ - शीघ्र ही निवेश की घोषणा करेगा।

4.2.2 कर मुक्त बांड :एक अन्य पहल में सरकार ने अवसंरचना बांडों को कर मुक्त करके निगम बांड़ बाजार विस्तृत करने का प्रयास किया है। सरकार का 'करमुक्त बांड' का विचार अवसंरचना कमी को पूरा करने के लिए बनाया है। विशेषकर सड़क, बन्दरगार, एयरपोर्ट और विद्युत क्षेत्रों में, जो किसी भी देश की आर्थिक दृष्टि के लिए आवश्यक है। वित्त वर्ष 2013-14 में सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को 10,15 और 20 वर्ष के 48,000 करोड़ रुपए के कर मुक्त बांड पहले ही आबंटित किए है। शेष राशि शीघ्र ही आवंटित की जा सकती है। ये बांड अवसंरचना क्षेत्र के लिए सस्ते लम्बी अवधि की निधियां प्रदान करेंगे। ऐसी लम्बी अवधि के साथ, उन बांड पर प्राप्त ब्याज से निवेश को कर-मुक्त रखा जाएगा और नकदी विंडो खुला रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की अनुमति है।

4.2.3 रोड़ शोः सरकार ने विभिन्न देशों में भारत में सकारात्मक निवेश के लिए प्रोत्साहित करने और संस्थागत निवेशकों को आकृषित करने के लिए रोड़ शो किए, जिनमें, हांगकांग, सिंगापुर, फिनलैंड, यूएई, कतर, यूएसए, कनाडा, लंदन आदि शामिल हैं।

4.2.4 निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई): परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदनों/स्वीकृतियों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) गठित की है।

सभी रूकी हुए परियोजनाओं पर ध्यान रखने के लिए संस्थागत तंत्र का संचालन मंत्रिमंडल सचिवालय से किया गया है। आरम्भ में रूकी हुई परियोजनाओं का परियोजना मोनिटरिंग समूह (पीएमजी) द्वारा ध्यान रखा गया। संबंधित मंत्रालयों ने चिन्हित परियोजनाओं के कार्यान्वन के प्रभावित करने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा की। इसके स्थान पर वेब आधारित सूचना प्रणाली शुरु की गई, जिसमें उद्यमी अपनी परियोजनाओं के साथ-साथ उनके निर्बाध कार्यान्वयन में आ रही रूकावटों के ब्यौरे में सकते है। इन विचार-विमर्श के आधार पर स्वीकृतियों/अनुमोदन देने और रुकावटें दूर करने को गति दी जाती है। अनसुलझे नीतिगत मुद्दों और स्वीकृतियों पर अन्तिम निर्णय सीसीआई द्वारा लिए जाते हैं।

ग. सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)

4.3.1 भारत में पीपीपी के कदम

भारत सरकार आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों के सृजन में निजी क्षेत्र की दक्षताओं को लाने के लिए तथा गुणवत्ताकारी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी निजी भागीदारियों को प्रभावी उपकरण के रूप में बढ़ावा दे रही है। कई नीतियों तथा केंद्र सरकार द्वारा ली गई संस्थागत पहलों के कारण भारत, हाल ही में विश्व में एक अग्रणी पीपीपी बाजार के रूप में उभरा है। वर्तमान वित्त वर्ष (दिसम्बर, 2013 के अंत तक) अवसंरचना क्षेत्र में 1,821 परियोनाएं थी। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में हैं जैसे बिडिंग, निर्माण और संचालन।

4.3.2 केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं का अनुमोदन

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रकोष्ठ सरकारी निजी भागीदारी से संबंधी मामलों, जिसमें नीति, योजनाएं, कार्यक्रम और भवन निर्माण और पीपीपी संबंधी अन्य प्रमुख मामलों के लिए जिम्मेवार है। पीपीपी प्रकोष्ठ पीपीपी अनुमोदन समिति पीपीपीएसी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जिसका गठन पीपीपी परियोजनाओं हेतु मूल्यांकन तंत्र तथा मार्गनिर्देशों की स्थापना के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से पीपीपीएसी का गठन किया गया है। पीपीपीएसी की अध्यक्षता सचिव, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की जाती है। जनवरी, 2006 में इसके गठन के बाद, सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) ने 2,88,984.40 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 267 केंद्रीय परियोजनाऑ के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (218 परियोजनाएं), पत्तन (32 परियोजनाए), विमान पत्तन (2 परियोजनाए), पर्यटन अवसंरचना (1 परियोजना), आवास (8 परियोजनाएं) तथा खेल स्टेडियम (5 परियोजनाएं) शामिल हैं। **वित्त वर्ष (दिसम्बर 2013 के अन्त तक) 36308.11 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं पीपीपीएसी द्वारा अनुमोदित की गई।**

4.3.3 पीपीपी परियोजनाओं के लिए अर्थक्षमता अंतराल निधियन

पीपीपी प्रकोष्ठ ''अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता हेतु स्कीम (अर्थ क्षमता अंतराल निधियन स्कीम'' को कार्यान्वित करता है, जो पीपीपी परीयजना को वीजीएफ अनुदान प्रदान करता है, इस स्कीम के अधीन 166 परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, इनमें से 39 परियोजनाओं को अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया गया है।

	सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन			अन्तिम अनुमोदन		
	परियोजनाओं	टीपीसी	वीजीएफ अनुमोदित	परियोजनाओं की संख्या	टीपीसी	वीजीएफ अनुमोदित
दिस. 2013 तक	166	85499.41	16670.54	39	27379.55	5433.61
2013-14	19	7018.36	1142.05	6	16951.86	3387.98

** (100 करोड़ रुपए से अधिक और 200 करोड़ रुपए से कम की वीजीएफ सहायता वाले प्रस्तावों को सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता वाली अधिकारिता समिति के अनुमोदन की जरूरत होगी।)*

4.3.4. आईआईडीपीएफः परियोजना विकास गतिविधियों को लिए सहायता

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने 2007-08 के बजट भाषण में परियोजना की तैयारी की प्रक्रिया को तेज करने, गुणवत्तापूर्ण परियोजना विकास गतिविधियों के लिए राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संसद में 100 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि वाली परिक्रामी निधि की स्थापना की घोषणा की; भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना के लिए मार्गनिर्देश अधिसूचित किए गए हैं जिनमें परियोजना विकास कार्यों का 75% खर्चा लगेगा। इस वित्तीय वर्ष में (दिसंबर, 2013 तक) 4.35 करोड़ रुपए की सहायता से 4 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। (कुल पीडीई का 75%)

4.3.5 पीपीआईः प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रारंभ

आर्थिक कार्य विभाग ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से पीपीसी संबंधी प्रायोगिक परियोजनाएं शुरु की हैं जहां पीपीपी परियोजना की संरचना की प्रक्रिया केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है, ताकि चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में प्रदर्शन योग्य पीपीपी परियोजनाएं बनाई जा सके।

4.3.6 राज्य और केन्द्रीय संस्थाओं का क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण

राष्ट्रीय पीपीपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम, के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष (दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान 5004 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 160 प्रतिशत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत एडीबी की सहायता से पीपीपी के क्षमता निर्माण तथा उनको मुख्यधारा में लाने के लिए सहायता हेतु अखिल भारतीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। विश्व बैंक की सहायता से पीपीपी परियोजनाओं में संविदा प्रबंधन के लिए नीतिगत उपायों तथा संस्थागत तंत्रों पर कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ एक पीपीपी आदान-प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें राष्ट्रीय राजकोष के केन्याई कर्मचारियों को भारत में पीपीपी परियोजनाओं से संबंध में जानकारी दी गई थी तथा पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थागत तंत्रों से अवगत कराया गया था।

4.3.7 मार्गनिर्देश

सरकारी पहलों तथा सरकारी निजी-भागीदारी के जरिए अवसंरचना के विकास को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में सूचना के प्रसार पर स्पष्टता के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रकाशित व परिचालित कीए गए थे.

- केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए मार्गनिर्देश।
- अवसंरचना में पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए योजना और मार्गनिर्देश।
- भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि के लिए योजना और मार्गनिर्देश।

4.3.8 वेबसाइट

एक वेबसाइट www.pppinindia.com पूरी तरह से पीपीपी के लिए है और वह पीपीपी संबंधी परियोजनाओं, नीतियों तथा पहलों के वास्तविक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करती है। राज्य की पहलों पर सूचना प्रदान करने के लिए वेबसाइट ने राज्य की पीपीपी इकाइयों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क विकसित किए हैं। वेबसाइट का प्रयोजन केन्द्र, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर भारत में पीपीपी संबंधी पहलों की स्थिति तथा विस्तार के बारे में व्यापक और वर्तमान सूचना प्रदान करता है। पीपीपी संबंधी परियोजनाओं के बारे में साइट होस्टिंग ऑनलाइन डाटाबेस www.pppindiadatabase.com का वृद्धि के लिए और डाटा को अद्यतन बनाने के लिए नवीकरण चल रहा है।

4.3.9 पीपीपी को मुख्य धारा में लाने के लिए अन्य गतिविधियां : विश्वसनीय, भरोसेमंद परियोजनाओं की प्रक्रिया की तैयारी हेतु जिसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए निजी क्षेत्र को भी प्रदान किया जा सकता है तथा पीपीपी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को इन-हाउस पीपीपी, वित्तीय/जोखिम विशेषज्ञों, एमआईएस विशेषज्ञों था कानूनी फर्मों के पैनल तक पहुँच के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। अन्य उपायों में पीपीपी संबंधी नियम पुस्तिका को तैयार करना तथा प्रयोगकर्ताओं को मार्गगर्शन देने के लिए मानक प्रलेखीकरण तथा पीपीपी के संबंध में लोक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करना, परियोजना संबंधी वित्तपोषण, जोखिम आकलन तथा परियोजनाओं की बोलीपूर्व श्रेणीकरण की जानकारी तथा प्रायोगिक परियोजनाओं का विकास शामिल है जिसे परियोजना प्राधिकारियों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए वर्धित किया जा सकता है।

4.4 ऊर्जा

4.4.1. प्राकृतिक संसाधनों के अंतरण संबंधी समिति (सीएएनआर) की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा सकने वाले उपायों संबंधी मंत्रियों के समूह ने 21 जनवरी, 2011 को त्वरित आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देश की जरूरतों के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में पारदर्शिता, प्रभावशीलता और धारणीयता बढ़ाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के निर्णय लिया था। तदनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा पूर्व वित्त सचिव श्री अशोक चावला की अध्यक्षता में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 31 मई, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

सीएएनआर की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति 26 जुलाई, 2012 को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित की गई थी।

प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में योजना आयोग, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, विधायी कार्य विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विद्युत प्राकृतिक गैस विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, जल-संसाधन मंत्रालय, भूमि-संसाधन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के सचिवों के साथ मानिटिरिंग समिति की प्रथम बैठक 8 नवम्बर, 2012 को हुई। दूसरी बैठक 28 जनवरी, 2014 को होनी निर्धारित हुई है।

4.4.2. सरकार और सरकार द्वारा नियंत्रित सांविधिक प्राधिकारियों के स्वामित्व वाली भूमि के स्थानांतरण अथवा हस्तांतरण संबंधी नीति को अन्तिम रूप देना

मंत्रिमंडल ने 23.5.2013 को आयोजित अपना बैठक में मंत्रिमंडल टिप्पणी पर विचार किया था और निर्देश दिया था कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों के संदर्भ में, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाले उपयुक्त समूह द्वारा प्रस्ताव की पुनः जांच की जाए। तदनुसार, सचिवों की समिति के लिए एक टिप्पणी तैयार की गयी तथा उस पर 13 अगस्त, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में सचिवों की समिति ने विचार किया और इस प्रस्ताव को भूमि स्वामित्व वाले मुख्य मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के समूह को प्रस्ताव की व्यापक रूप से जांच करने तथा सचिवों की समिति के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया। अधिकारियों के समूह की दो बार बैठकें हुई थी तथा अधाकारियों के समूह की सिफारिशों पर 3.12.2013 को आयोजित बैठक में सचिवों की समिति द्वारा विचार किया गया। सचिवों की समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल टिप्पणी का मसौदा पुनः तैयार किया जा रहा है।

4.4.3. तेल और गैस अन्वेषण निति

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए डा. सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर समान लाइसेंसिंग नीति के संबंध में मंत्रिमंडल टिप्पणी का एक मसौदा परिचालित किया है, जिस पर अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाएगा।

- शेल गैस संबंधी नीति

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) ने 24 सितंबर, 2013 को नामांकित व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा शेल गैस तथा तेल के अन्वेषण तथा दोहन पर विचार किया तथा इसकी स्वीकृति दे दी।

- प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण नीति

घरेली प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण मार्गनिर्देश, 2014, 10.01.2014 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

- एनईएलपी ब्लॉक

40 एनईएलपी ब्लॉकों में से, ई और पी गतिविधियों के लिए 31 ब्लॉक स्वीकृत किए गए हैं, शेष 9 ब्लॉक अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

- दाभोल, महाराष्ट्र में 5 एमएमटीपीए एलएनजी टर्मिनल 2013-14 में पूर्णरूप से कार्यरत हो जाएगा।

टर्मिनल 10/01/2013 को प्रारंभ हुआ। टर्मिनल के व्यावसायिक प्रचालन के लिए आरजीपीपीएल ने गेल के साथ 25 वर्षों के लिए करार किया है। दाभोल, महाराष्ट्र में 5 एमएमटीपीए एलएनजी टर्मिनल 2012-13 में पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाएगा।

सभी प्रणालियां और सुविधाएं प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। तथापि, टर्मिनल की पूरी क्षमता का उपयोग तभी किया जा सकता है जब विद्युत संयंत्र को गैस भेजने की एकीकृत निम्न दाब प्रणाली प्रचालनरत हो जाए और मानसून अवधि के दौरान एलएनजी के जहाज अंदर लाने के लिए ब्रेकवाटर निर्माण पूरा हो जाए। ब्रेकवाटर निर्माण की प्रकिया, जो दिल्ली उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन होने के कारण रुकी हुई थी, अब स्वीकृत हो चुकी है और संविदा प्रक्रिया शुरु हो चुकी है तथा 2016 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।

4.4.4 व्यवहार्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आगे उधार देने के लिए इरेडा को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से कम ब्याज वाली निधियां

इरेडा के जरिए पुनर्वित्त स्कीम शुरु करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से कम लागत वाली निधियों तक पहुंच की एक स्कीम एमएनआरई द्वारा बनाई गई है। अंतर-मंत्रालयी समूह की 11.11.2013 को हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैः

(i) चालू वित्त वर्ष में कम समय बचने को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष (2013-14) के दौरान इरेडा को 100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

(ii) इरेडा को यह राशि बिना लागत के उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) इस स्कीम के अनुसार शेष चार वर्ष के दौरान इरेडा को उपलब्ध करायी जाने वाली निधियों की प्रणात्रा बाद में निर्धारित की जाएगी।

4.4.5. पन-बिजली ऊर्जा परियोजनाओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा की जा चुकी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2012-13 के दौरान स्थापित पन-बिजली ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन की वचनबद्ध देयताएं पूरी करने के लिए इरेडा को 230 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बजट घोषणा में मंत्रालय के संशोधित अनुमान प्रस्तावों में 740 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है।

4.4.6. स्वतंत्र कोयला विनियामक :

मंत्रिमंडल ने 27.6.2013 को हुई अपनी बैठक में कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के गठन, संसद में कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013 पेश करने के अनुमोदन के बारे में कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया और इसका मसौदा बनाने में, यदि कोई संशोधन हों तो विधायी विभाग के साथ परामर्श के अध्यधीन संसद में इसे पेश करने के लिए कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013 अनुमोदित किया।

4.4.7. कोयले का मूल्य निर्धारण

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने आयातित कोयले के चलते मूल्य के पूलिंग के बारे में कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया और निर्देश दिया कि 4660 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्रों को भी कोयला आपूरित करें जिनके कोई ईंधन संपर्क नहीं हैं और वह भी कोयले की उपलब्धता और इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी आपूर्तियां दिए गए अनुमोदन के अनुसार 78000 मेगावाट क्षमता वाले चिन्हित संयंत्रों हेतु कोयले की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव न डालें।

4.4.8. कोयला ब्लॉकों की नीलामी

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने अपनी 24 सितंबर, 2013 को हुई बैठक में कोयला मंत्रालय के कोयला ब्लॉकों की नीलामी के प्रस्ताव पर विचार किया और इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) बोली लगाने की प्रक्रिया का पालन किया जाए; (ii) चयन के मापदंड का अनुपालन किया जाए; और (iii) न्यूनतम/आरक्षित मूल्य निर्धारण हेतु प्रक्रिया बनाया जाना शामिल है।

4.4.9. भेषज नीति

मंत्रिमंडल ने 30.10.2013 को भेषज क्रय नीति अनुमोदित कर दी है। यह नीति 5 वर्ष की अवधि के लिए 103 दवाओं पर लागू होगी। नीति फार्मा सीपीएसई पर ही लागू रहेगी और थोक मूल्य सूचकांक से जुडे मूल्यों के वार्षिक पुनरीक्षण के प्रावधान के चलते इनकी कीमतें लागत आधारित सूत्र के आधार पर एनपीपीए द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

5. निवेश प्रभाग

5.1. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

5.1.1 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, जिसके निर्माण की घोषणा 2008-09 के बजट भाषण के (पैरा 101) में की गई थी, 2009-10 में कार्य करना शुरू किया। एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या 2013 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान 100 तक पहुंच गई। 100 प्रस्तावों की संचयी प्रतिबद्धता में मार्च, 2013 तक अनुमोदित 88 प्रशिक्षण प्रस्तावों एवं 18 एसएससी प्रस्तावों के लिए 1859.45 करोड़ रुपए हैं। समग्र आधार पर 600,000 से अधिक लोगों ने कौशल प्रशिक्षण में प्रमुख रोजगार अखिल भारत में प्राप्त किए। इनमें से 62 प्रतिशत लोग काम पर रखे गए हैं। 2012-13 के दौरान एनएसडीसी के सहभागियों ने 333 जिलों में स्थित 2,598 अचल एवं चल प्रशिक्षण सुविधा केंद्रों के जरिए प्रस्तुत 570 पाठ्यक्रमों के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, आतिथ्य एवं यात्रा, बैंकिंग, वित्तीय सेवा, फुटकर व्यवसाय, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, चमड़ा, हस्तकला एवं कृषि संबंधी स्वचालन, कोल्ड चैन और प्रशीतन जैसे विविध क्षेत्रों की व्यापक सूची में 402,506 लोगों को प्रशिक्षित किया। इसके अलावा, युवकों को कौशल विकास संस्थाओं में स्वैच्छिक रूप से नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने की एक योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपये अलग से रखने तथा कौशलों के लिए मनोरथ का भाव पैदा करने हेतु मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपए का प्रोत्साहन मुहैया कराने के निर्णय की घोषणा 2013 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई।

5.2 मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन और पुरस्कार (एसटीएआर) योजना

5.2.1 एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल प्रमाणीकरण और पुरस्कार योजना (मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन और पुरस्कार) के कार्यान्वयन का नेतृत्व भी करती है। एसटीएआर मौद्रिक पुरस्कार की परिकल्पना करेगी जो नए कौशल को हासिल करने या अपने कौशल को

उच्च स्तर का करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देगी। एसटीएआर योजना 1000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 16 अगस्त, 2013 को आरंभ की गई थी और एक मिलियन युवाओं को इस कार्यान्वयन वर्ष के दौरान व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपेक्षा की जाती है। एनएसडीसी योजना को कार्यान्वित करने वाली नामित एजेंसी है और विभिन्न सेक्टर कौशल समितियों, प्रशिक्षण प्रदान करने वाली और मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करती है।

5.3 राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/न्यास (एनएसडीएफ/टी)

5.3.1 एनएसडीएफ/टी भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन सरकारी 995.10 करोड़ रुपये के अंशदान से आधारभूत निधि के साथ एक न्यास के रूप में शुरू की गई, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कंपनियों, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय और दूसरे दाता जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को इसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निधि प्रदान करते हुए निधि वितरण के निधान के रूप में कार्य करेगी। इस संबंध में 23/12/2008 के लोक न्यास करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। न्यास का प्रबंधन न्यासियों बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसमें तीन न्यासी, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सचिव योजना आयोग, अध्यक्ष एनएसडीसी शामिल हैं। सचिव, आर्थिक कार्य विभाग एनएसडीएफफ/टी के पदेन अध्यक्ष हैं। एनएसडीएफ/टी 2011-12 में आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 119(1) 12क और 12कक के अंतर्गत पंजीकृत भी किया गया है।

5.3.2 एनएसडीएफ/टी और एनएसडीसी 27/03/2009 विनिमय प्रबंधन करार (आईएम) में प्रवेश किया। एनएसडीएफ से आवश्यकता के आधार पर एनएसडीसी में निधि हस्तांतरण करता है।

5.4 अन्य मुख्य विशेषताएं

5.4.1 निवेशित निधियों को कर-मुक्त करने का मुद्दा राजस्व विभाग के समक्ष उठाया गया था। उक्त धारा की उप-धारा(3) के खण्ड (iii) के उप-खण्ड (च) के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय कौशल विकास निधि अधिसूचित करते हुए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194क की उप-धारा (3) के खण्ड (iii) के उप-खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24/01/2013 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 272 (अ) जारी की है।

5.5 द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (बिपा)

5.5.1 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, सरकार विदेशी निवेश नीति उदारीकृत की गयी और अनेक देशों को बिपा से जुड़ने से जुड़ने के लिए वार्ताएं प्रारंभ की गई। बिपा का उद्देश्य निवेशकों के हितों को पारस्परिक आधार पर संवर्धित एवं संरक्षित करना है। नवबंर, 2013 के अनुसार, भारत सरकार ने 82 देशों के साथ बिपा पर हस्ताक्षर किए है जिनमें से 72 बिपा पहले ही प्रवृत्त हो गए हैं।

बिपा में महत्वपूर्ण उपबंध निम्नवत रूप से विद्यमान हैं—

- विदेशी निवेशकों के निवेशों के साथ निष्पक्ष और न्यायोचित बरताव होने देना;
- विदेशी निवेश पर राष्ट्रीय बरताव अर्थात घरेलू निवेश और विदेशी निवेश के साथ बराबरी का बरताव करना;
- अधिकतम अनुकूलित राष्ट्र के साथ बरताव अर्थात् अन्य विदेशी निवेशको के साथ बराबरी का बरताव करना;
- प्रतिफलों का बिना अनुचित विलंब के और निर्विधन परिवर्तनीय मुद्रा में अंतरण का अधिकार देना;
- कानून के अनुसार, भेदभाव रहित आधार और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर सरकारी प्रयोनाष के सिवाय स्वमित्वहण के विरुद्ध अधिकार
- विदेशी निवेशक और मेजबान साकार के बीच तथा दो संविदाकर्ता सरकारों के बीच विस्तृत विवाद समाधान तंत्र;

5.5.2 किंतु विधिक विवक्षाओं सहित हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए बिपा का आदर्श पाठ समीक्षित किया जा रहा है तकि इन संधियों के तहत मांगों एवं दायित्वों के सही स्वरूप को समझा जा सके।

5.5.3 यद्यपि बिपा के आदर्श पाठ की समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है, तथापि सरकार ने यूएई सरकार के साथ वार्तायें करने का निर्णय किया और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ बिपा को स्टैंड अलोन आधार पर अंतिम रूप दिया जस पर 12 दिसंबर, 2013 को हस्ताक्षर किए गए। यह करार दस (10) वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। इस अवधि में और 01-01-2016 तक निश्चित रूप से दोनों संविदाकर्ता पक्षकार इस करार की अवधि पर पुनः वार्ताएं शुरू करेंगे और युक्तियुक्त मीयाद के भीतर संशोधित या नया करार निष्पादित करने की कोशिश करेंगे। संशोधित या नए करार पर दोनों संविदाकारी पक्षकारों के सहमत होने पर वह करार को निष्पादन के प्रवृत होने की तिथि से वर्तमान करार का स्थान लेगा।

5.6 एफआईपीबी यूनिट

5.6.1 विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए एकल समाशोधन मार्ग है तथा यह आर्थिक कार्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, लघु उद्योग मंत्रालय, राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, विदेश मंत्रालय तथा अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिवों के कोर समूह से संघटित है और, जैसे और जब आवश्यक हो, केंद्र सरकार के सचिवों और वित्तीय संस्थानों, बैंकों के शीर्ष कर्मचारियों और उद्योग और वाणिज्य के पेशेवर विशेषज्ञों को सहयोजित करता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष आर्थिक कार्य विभाग के सचिव हैं और इसकी बैठकें 3-4 सप्ताह के अंतराल पर नियमितता से होती हैं।

एफआईपीबी अनुमोदन के लिए अनुरोध करने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव इस विभाग द्वारा निपटाए जाते हैं और अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी अंतरण व्यापार चिह्न करार और 100 प्रतिशत आर्थिकोन्मुखी यूनिटों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी आंक? भी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा रखे जाते हैं।

5.6.2. वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल 14 बैठकें आयोजित की गई जिनमें 33565.72 करोड़ रुपए वाले 190 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष/अनिवासी भारतीय का अंतर्वाह था। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान (30 नवंबर, 2013 तक), कुल 09 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 133 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/अनिवासी भारतीय का अंतर्वाह लगभग 30423.645 करोड़ रुपए का था।

5.7 विदेशी निवेश एकक

5.7.1 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का केंद्रीय विभाग है। एफआईयू अनुभाग डीआईपीपी को प्रत्यक्ष विदशी निवेशगत नीति के बारे में टिप्पणियों/विचारों को अपने आप उपलब्ध कराता है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेशगत वर्तमान नीति को अद्यतन/संशोधित/संवर्धित किया जा सके। भारत के निवेश के माहौल को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की दृष्टि से सुधारने के उपाय भी इसके द्वारा सुझाये जाते हैं।

5.8 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

5.8.1 भारत सरकार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करने और वैश्वीकरण प्रक्रिया में एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभरने की दृष्टि से 1991 के मध्य से प्रमुख आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए हैं। किए सुधारों में कठोर विनियामक प्रक्रिया से उद्योगों के नियंत्रण को हटाना; निवेश प्रक्रियाविधियों को सरल बनाना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संवर्धन, मुद्रा नियंत्रण का उदारीकरण, करों का यौक्तिकीकरण और सरकारी क्षेत्र का निर्निहितीकरण शामिल है।

5.8.2 मौजूदा नीति के अनुसार, अधिकांश क्षेत्रों/ कार्यकलापों में स्वतः मार्ग के अंतर्गत 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। स्वतः मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित नहीं है। निवेशकों से केवल यह अपेक्षित है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवक विप्रेषणों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अधिसूचित करें और विदेशी निवेशकों को शेयरों के निर्गम के 30 दिनों के भीतर उस कार्यालय में अपेक्षित दस्तावेज फाइल करें।

5.8.3 सरकरी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदनों और ''एकल ब्रांड'' उत्पाद खुदरा व्यापार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रस्तावों को छोडकर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बहु ब्रांड खुदरा कारोबार (एम बी आर टी) में प्रस्तावों के लिए आवेदन आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में प्राप्त किए जाते हैं। ''एकल ब्रांड'' उत्पाद खुदरा व्यापार में और अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु प्रस्ताव औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, में प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद इन प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है।

5.8.4. पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश, भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पृथक विनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं।

5.8.5 निरंतर आधार पर नीति की समीक्षा करके और स्वतः मार्ग के अंतर्गत अधिक उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देकर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का प्रगामी रूप से उदारीकरण किया गया है। वर्ष 2000, 2006 और 2007-08 में तीन मुख्य समीक्षाएं की गईं। अप्रत्यक्ष निवेश को परिभाषित करते हुए एक प्रमुख नीतिगत निर्णय वर्ष 2009 में लिया गया था जिसमें विदेशी स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों द्वारा अधोप्रवाही निवेशों के लिए दिशानिर्देशों तथा साथ ही संवेदी क्षेत्रों में निवासियों से अनिवासियों को स्वामित्व के अंतरण हेतु दिशानिर्देशों और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना का विस्तृत खुलासा किया गया था।

5.8.6. मौजूदा नीति के अनुसार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध है :

(i) लॉटरी व्यवसाय

(ii) जुआ खेलना और सट्टेबाजी

(iii) चिट फंड का व्यवसाय

(iv) निधि कंपनी

(v) अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) में व्यापार

(vi) स्थावर सम्पदा व्यवसाय या फार्म हाऊसों का निर्माण

(vii) सिगारों, चुरूट, सिगारिलोज तथा सिगरेट का, तम्बाकू का या तम्बाकू के प्रतिस्थापकों का विनिर्माण

(viii) निजी क्षेत्र निवेश के लिए न खोले गए क्रियाकलाप/क्षेत्र जिनमें परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन (जन द्रुत परिवहन प्रणाली को छोड़कर) शामिल हैं।

5.8.7. वे क्षेत्र, जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी उच्च सीमाएं मौजूद हैं:

क्रम सं	क्षेत्र	क्षेत्रक उच्चतम सीमा/मार्ग
1	रक्षा उत्पादन	26% एफआईपीबी (एफडीआई अनुमत नहीं)। 26% से अधिक, यदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी परिकल्पित हो, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के जरिए
2	नागर विमानन	
	(i) नियत हवाई परिवहन सेवाएं/ घरेलू नियत यात्री एयरलाइंस	49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीयों के लिए 100s) स्वतः मार्ग
	(ii) अनियत हवाई परिवहन सेवा/अनियत एयरलाइंस और कार्गो एयरलाइंस	74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीयों के लिए 100%) स्वतःमार्ग (अब विदेशी हवाई कंपनियां भी निवेश करने हेतु अनुमोदित हैं)
	(iii) भूतल संचालन सेवायें	100% अनिवासी भारतीयों के लिए स्वतःमार्ग 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीयों के लिए 100%) 49% से आगे एफआईपीबी
3	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां	100% (एफडीआई+एफआईआई)-49% से आगे एफआईपीबी
4	बैंकिंग निजी क्षेत्र	74% (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश+विदेशी संस्थागत निवेश) 49s से आगे एफआईपीबी
	बैंकिंग सरकारी क्षेत्र	20% (एफडीआई+एफआईआई) एफआईपीबी
5	प्रसारण	
	(i) एफ एम(एफ एम रेडियो)	26% (एफडीआई + एफआईआई) एफआईपीबी
	(ii) केबल नेटवर्क	49% (एफडीआई + एफआईआई) स्वतः मार्ग
	(iii) (डीटीएच) डायरेक्ट टू होम	
	(iv) हैडेंड इन दि स्काई (हिट्स)	
	(v) हार्डवेयर सुविधाओं को तैयार करना; अपलिंकिंग, हब, आदि	74% (एफडीआई + एफआईआई) 49% से आगे एफआईपीबी
	(vi) समाचार और सामयिक विषयों संबंधी टीवी चैनलों की अपलिंकिंग	26% (एफडीआई + एफआईआई) एफआईपीबी
6	कमोडिटी एक्सचेंज	49% (26% एफडीआई 23% एफआईआई) स्वतः मार्ग
7	ऋण सूचना कंपनियां (सी आई सी)	74% स्वतः मार्ग (केवल 24% एफआईआई)

क्रम सं	क्षेत्र	क्षेत्रक उच्चतम सीमा/मार्ग
8	बीमा	26% स्वतः मार्ग
9	स्टॉक एक्सचेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम	49% (26% एफडीआई + 23% एफआईआई) स्वतः मार्ग
10	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिष्करण	49% एफडीआई पीएसयू के मामले में स्वतः मार्ग
11	समाचार और सम-सामयिक विषयों संबंधी समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन	26% (एफडीआई + एफआईआई) एफआईपीबी
12	निजी सुरक्षा अभिकरण	49% एफआईपीबी
13	उपग्रह-स्थापना और संचालन	74% एफआईपीबी
14	एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार	100% 51% से आगे उद्गम शर्तों के अध्यधीन; 49% से आगे एफआईपीबी
15	बहु ब्रांड खुदरा व्यापार	51% एफआईपीबी-विभिन्न शर्तों के अध्यधीन
16	दूरसंचार सेवायें	100% एफडीआई-एफआईपीबी 49% के आगे; दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस और सुरक्षा संबंधी तय की गई शर्तों के अध्यधीन
17	भेषज क्षेत्र	100% एफआईपीबी 8 नवम्बर, 2011 से प्रभावी
18	पावर एक्सचेंज	49% (26% एफडीआई+23% एफआईआई) स्वतः मार्ग

5.8.8 अन्य क्षेत्रों में, एफडीआई, लागू होने वाले कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन, स्वतः मार्ग से 100% तक अनुमत है।

5.8.9 जुलाई-अगस्त, 2013 में, मंत्रिमंडल ने निम्नानुसार एफडीआई अधिकतम सीमाओं/मानकों में परिवर्तन को अनुमति दी है, ये उपर्युक्त सारणी में पहले से ही अंतर्वेशित की गई हैं:-

1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, (विद्यमान पीएसयू में किसी विनिवेश अथवा घरेलू इक्विटी को कम किये बिना): स्वतः मार्ग पर रखा गया।

2) कमोडिटी एक्सचेंजः स्वतः मार्ग पर रखे गए

3) पावर एक्सचेंज स्वतः मार्ग पर रखे गए

4) स्टॉक एक्सचेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगमः स्वतः मार्ग पर रखे गए

5) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनीः अधिकतम सीमा बढ़ाई गई और 49% तक स्वतः मार्ग पर रखी गयी

6) क्रेडिट सूचना कंपनियांः अधिकतम सीमा बढ़ाई गई और 49% तक स्वतः मार्ग पर रखी गयी

7) चाय क्षेत्र चाय बागान सहितः विनिवेश शर्त हटाई गयी

8) एकल - ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार : 49% तक स्वतः मार्ग पर रखा गया और सोर्सिंग शर्तों में ढील दी गई

9) टेस्ट मार्किटिंगः खण्ड विलोपित चूंकि यह अब प्रासंगिक नहीं रहा।

10) दूसंचार सेवाएंः अधिकतम सीमा बढ़ाकर 100% की गई

11) कूरियर सेवाएंः स्वतः मार्ग पर रखी गई

12) यदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल हो तो रक्षा क्षेत्र में 26% से आगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत किया। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के जरिये अनुमोदन।

13) बहु-ब्रांड खुदरा व्यापारः सोर्सिंग संबंधी शर्तें उदारीकृत की गई।

5.8.10 अस्पष्टता दूर करने और व्यापार और निवेश को सहज बनाने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट 4/2013 के जरिए "नियंत्रण" को पुनर्परिभाषित किया गया है नामशः "नियंत्रण" में बहुसंख्यक निदेशकों की नियुक्ति करने अथवा उनकी शेयरधारिता अथवा प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक करारों अथवा वोटिंग करारों के आधार पर प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णयों का नियंत्रण करने का अधिकार शामिल हैं"।

(ii) औद्यौगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट 2/2013 के जरिए समूह कंपनी को इस प्रकार परिभाषित किया है "समूह कंपनी का अर्थ है दो या दो से अधिक उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्थिति में हो कि

(क) दूसरे उद्यम में 26 प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार रखते हों; अथवा

(ख) दूसरे उद्यम के निदेशक मंडल में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों को नियुक्त कर सकें।

(iii) असूचीबद्ध कंपनियों को विस्तार आदि, के लिए पूंजी प्राप्त करने हेतु राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने प्रेस नोट सं. 7/2013 के जरिए असूचीबद्ध कंपनियों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन शुरू में दो वर्षों की अवधि के लिए भारत में पूर्वतः और अनुवर्ती सूचीयन की अपेक्षा के बिना विदेश में पूंजी जुटाने के लिए अनुमत किया है।

5.8.11 सरकार ने बजट 2013-14 में वित्त मंत्री की उद्घोषणा के मद्देनजर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है कि "एफडीआई और एफआईआई क्या है, इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जहां निवेशक का किसी कंपनी में 10 प्रतिशत अथवा इससे कम का हिस्सा है, यह एकआईआई के रूप में समझा जाएगा और जहां निवेशक का किसी कंपनी में 10% से अधिक का हिस्सा है, यह एफडीआई के रूप में समझा जाएगा।" समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करेगी।

5.9 एफडीआई अंतर्वाह

5.9.1 अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2013 तक कुल संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की राशि 3,06,889 मिलियन अमरीकी डालर है। अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2013 तक संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की राशि 2,04,658 मिलियन अमरीकी डालर (9,63,795 करोड़ रूपए) है।

5.9.2 वित्तीय वर्ष 2013-14 में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह अप्रैल, 2013 से सितम्बर, 2013 की अवधि में 2012 की इसी अवधि के दौरान 12,846 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 11,376 मिलियन अमरीकी डालर है।

5.9.3 मौजूदा कैलेंडर वर्ष 2013 में, एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह पहली जनवरी, 2013 से 30 सितम्बर, 2013 तक 2012 में इसी अवधि के दौरान 18,689 मिलियन अमरीकी डालर (99,486 करोड़ रुपए) की तुलना में 16,853 मिलियन अमरीकी डालर (97,086 करोड़ रुपए) है। यह डालर के संदर्भ में 9.82% की गिरावट और रुपए के संदर्भ में 2.41% की गिरावट दर्शाता है।

6. करेंसी निदेशालय (सी एंड सी)

6.1 भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

6.1.1 भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), एक मिनी रत्न श्रेणी-I, अनुसूची 'क' केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) की स्थापना भारत सरकार की चार टकसालों, दो करेंसी मुद्रणालयों, दो प्रतिभूति मुद्रणालयों तथा एक प्रतिभूति कागज कारखाना, जो कि पहले भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के सीधे प्रबंधन में थे, के प्रबंधन हेतु 13 जनवरी, 2006 को की गयी थी। 2500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा 5 लाख रुपए की अभिदत्त शेयर पूंजी के साथ इस निगम का सारा स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है।

6.1.2 दो करेंसी मुद्रणालयों अर्थात् बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास तथा करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), नासिक के करेंसी नोटों का ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक है। अन्य दो प्रतिभूति मुद्रणालयों अर्थात् प्रतिभूति मुद्रण प्रेस (एसपीपी), हैदराबाद तथा भारत प्रतिभूति प्रेस (आईएसपी), नासिक के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों तथा अन्य स्टाम्पों के लिए राज्य सरकारें तथा डाक लेखन सामग्री, स्टाम्पों आदि के लिए डाक विभाग ग्राहक हैं। प्रतिभूति मुद्रणालय विभिन्न ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रतिभूति मदों जैसे चैक, रेलवे वारन्ट, आयकर विवरणी, आदेश फार्म, बचत लिखतें, स्मारक टिकटें इत्यादि तथा विदेश मंत्रालय व गृह मंत्रालय हेतु पासपोर्ट, वीसा स्टीकर्स तथा अन्य यात्रा दस्तावेजों का मुद्रण करते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा की चार टकसालों के परिचालन सिक्कों के लिए ग्राहक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग है, होशंगाबाद का कागज कारखाना करेंसी/प्रतिभूति मुद्रणालयों के उपयोग हेतु प्रतिभूति कागज का विनिर्माण करता है।

6.1.3 निगम ने वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक नोटों, सिक्कों, प्रतिभूति उत्पादों के उत्पादन तथा कच्ची सामग्री (सुरक्षा स्याही तथा प्रतिभूति कागज) के उत्पादन में लगभग सभी लक्ष्यों को हासिल किया है। अभी तक के सभी उच्चतम लक्ष्यों को हासिल करते समय, एसपीएमआईएल ने प्रति कर्मचारी उत्पादकता पर्याप्त रूप से बढ़ा भी दी है। निगम ने बैंक नोटों के 7421 मिलियन अदद का उत्पादन किया है और 7391 मिलियन अदद की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष के दौरान बैंक नोटों के 6539 मिलियन अदद के उत्पादन से 13.50 % ज्यादा है। प्रति कर्मचारी बैंक नोटों का उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान हासिल किए गए 1.63 मिलियन अदद के मुकाबले बढ़कर 1.84 मिलियन अदद हुआ है। निगम ने वर्ष 2012-13 के दौरान परिचालन सिक्कों के 6708 मिलियन अदद का उत्पादन किया है तथा सिक्कों की 6878 मिलियन अदद की आपूर्ति की है जिनमें पिछले वर्ष का स्टॉक भी शामिल है। यह पिछले वर्ष के दौरान हासिल किए गए 6282.40 मिलियन अदद के उत्पादन से 6.75% ज्यादा है। प्रति कर्मचारी सिक्कों का उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान हासिल किए गए 1.69 मिलियन अदद के मुकाबले बढ़कर 2012-13 में 1.88 मिलियन अदद हुआ है। निगम ने पिछले वर्ष के दौरान उत्पादित की गई मानक उत्पाद इकाई की 51449 मिलियन अदद के मुकाबले 2012-13 के दौरान प्रतिभूति उत्पादों के लिए मानक उत्पाद इकाई (एसपीयू) के 52856 मिलियन अदद का उत्पादन किया है। एसपीयू के संदर्भ में प्रतिभूति उत्पादों का उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान हासिल किए गए 13.10 मिलियन अदद के मुकाबले बढ़कर 2012-13 में 14.391 मिलियन अदद हो गया है।

6.1.4 इस निगम ने स्याही फैक्ट्री देवास से 2011-12 के दौरान उत्पादित 273 एमटी स्याही के मुकाबले 2012-13 में 484 मीट्रिक टन (एमटी) सुरक्षा स्याही का उत्पादन किया है। यह पिछले वर्ष के उत्पादन से 77.28% अधिक है। होशंगाबाद में प्रतिभूति कागज मिल ने 2925 एमटी प्रतिभूति कागज का उत्पादन करके 2012-13 के लक्ष्य को हासिल कर लिया है तथा प्रेसों को 3021 एमटी प्रतिभूति कागज की आपूर्ति की है। यह लगातार तीसरा वर्ष है कि कागज मिल ने 40 साल पुरानी मशीनरी के बावजूद लक्ष्य को पूरा किया है।

6.1.5 निगम का बिक्री कारोबार 2011-12 में 3422.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 2012-13 में 3625.17 करोड़ रुपये हो गया है जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 5.92% की वृद्धि दर्ज हुई है। प्रति कर्मचारी बिक्री 2011-12 के दौरान 26.70 लाख रुपये से 8% बढ़कर 2012-13 के दौरान 28.76 लाख रुपये हो गयी है। यह मुख्यतया 2012-13 के दौरान उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई है।

61.6 निगम ने कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 20% की दर से लाभांश की घोषणा की है तथा सरकार को 84.70 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है। यह लगातार तीसरा वर्ष है कि एसपीएमसीआईएल ने अपनी शुरूआत से लाभांश का भुगतान किया है। एसपीएमसीआईएल ने 1.035 का समझौता ज्ञापन 2012-13 सम्मिश्र स्कोर हासिल किया है और इस प्रकार लगातार चौथे वर्ष के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। समझौता ज्ञापन 2012-13 के लिए 1.035 का सम्मिश्र स्कोर एसपीएमसीआईएल द्वारा हासिल किया गया अभी तक का सर्वाधिक स्कोर है तथा 24 सीपीएसई वाले सिंडीकेट अर्थात् इंजीनियरिंग, परिवहन उपस्कर तथा उपभोक्ता वस्तुओं, में भी यह सर्वाधिक स्कोर है। एसपीएमसीआईएल ने व्यय विभाग द्वारा 2012-13 के जारी किए गए कारपोरेट अभिशासन संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुपालन हेतु लगातार तीसरे वर्ष भी 'उत्कृष्ट' श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) हासिल किया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 2695.38 करोड़ रुपये की आरक्षित निधियां सृजित की हैं। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार निगम की कुल आस्तियां लगभग 6808.43 करोड़ रुपये हैं।

61.7 आधुनिकीकरण की गति को जारी रखते हुए निगम ने वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम कंपनी के पूंजी कार्य और निवेश पर 382 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। एक कम्प्यूटर आफसेट प्लेट मेकिंग (सीटीओपी) मशीन के लिए करेंसी नोट प्रेस, नासिक में स्थापित की गई और दूसरी सीटीओपी मशीन बैंक नोट प्रेस, देवास में प्रगति पर है। दो बैंक नोट प्रोसेसिंग सिस्टम (बीपीएस-2000) एक सीएनपी, नासिक और दूसरा बीएनपी,देवास में इन्सटाल किए जा चुके हैं। बैंक नोट प्रोसेसिंग के लिए दो मीनी फिनिशिंग मशीन करेंसी नोट प्रेस, नासिक में स्थापित की जा चुकी हैं। तीन मल्टी-स्ट्रोक मेडल प्रेस सरकारी टकसालें चेरलापली, मुम्बई, और कोलकाता प्रत्येक में एक चालू की गई है। भारत सरकार टकसाल, मुम्बई में एक सोना शोधन संयंत्र और भारत सरकार टकसाल, चेरलापली में चांदी शोधन संयंत्र चालू किया गया। भारत सरकार टकसाल, नोएडा में सिक्कों की रंगाई के लिए एक पीवीडी कोटिंग मशीन चालू की गई। टकसालों में ब्लैक शोर्टिंग मशीन का संस्थापन प्रगति पर है। ब्लैंक शोर्टिंग मशीनें सादे सिक्कों की गुणवता और उसके बाद सिक्कों की गुणवता को सुधारेंगी। 6 इकाइयों में आईपी आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। एसपीएमसीआईएल की सभी यूनिटों में ईआरपी-एसएपी को कार्यान्वित किया गया है और यह स्थिरीकरण चरण में है।

6.1.8 निगम ने सात वर्ष की अल्प अवधि में निगमीकरण के अधिकतर लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और पूर्ववर्ती सरकारी यूनिटों के लिए निगमीकरण का सफल उदाहरण बन गया है।

6.2 स्वदेशीकरण

6.2.1 वर्तमान में भारत में नोटों के मुद्रण हेतु सीडब्ल्यूबीएन कागज की वार्षिक जरूरत लगभग 20,000 मी. टन है और इस जरूरत का लगभग 5%-10% सुरक्षा कागज मिल (एसएमपी), होशंगाबाद के स्वदेशी उत्पाद द्वारा पूरा किया जाता है। शेष जरूरत आयातों से पूरी की जाती है। अतएव, बैंक नोट कागज की जरूरत के स्वदेशीकरण की परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) और भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम (प्राईवेट) लिमिटेड ने मैसर्स बैंक कागज पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड मैसूर के संयुक्त उपक्रम को प्रोत्साहित किया है, जिससे 12000 मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली, दो आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली कागज लाईनें अग्रिम चरण में हैं। बीएनपीएमआईपीएल दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 को निगमित की गई, जिसकी आरंभिक प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपए थी और अभिदत इक्विटी पूंजी 600 करोड़ रुपए थी। जेवी कंपनी का कार्पोरेट कार्यालय बंगलौर में है और बीआरबीएनएमपीएल द्वारा मैसूर में पट्टे पर ली गई जमीन पर इसकी उत्पादन इकाई निर्माणाधीन है। प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में 6000 मी.टन स्थापित क्षमता की एक नई पेपर लाईन अग्रिम चरण में है। दोनों परियोजनाओं का वाणिज्यिक उत्पादन 2014-15 में शुरू होने की संभावना है। ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूबीएन कागज की जरूरत का स्वदेशी उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन करेंगी जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी और इसके अतिरिक्त भारत को बैंक नोटों के कागज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेगी।

6.1.2 देवास स्थित स्याही कारखाने के आधुनिकीकरण का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। फिलहाल एसपीएमसीआईएल ऑफसैट, इन्टेगेलियो और नम्बरिंग स्याही के उत्पादन में आत्म निर्भर है।

वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए स्मारक सिक्के

वर्ष	स्मारक सिक्के का नाम	जारी करने की तारीख
2013	मौलाना अबुल कलाम आजाद की 125वीं जयंती	20.12.2013

7 बहुपक्षीय संस्था प्रभाग

बहुपक्षीय संस्था प्रभाग विश्व बैंक समूह की संस्थाओं, आई.एम.एफ., एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा कृषि विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय निधि जैसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के नीतिगत मामलों से सम्बद्ध है। एम.आई.प्रभाग, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और आई.एफ.ए.डी. की सहायता से कार्यान्वित की जा रही विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं (सम्पूर्ण भारत की केन्द्रीय और राज्य परियोजनाएं) को सुकर बनाने तथा निगरानी करने का नाडल बिन्दु है।

7.1 विश्व बैंक के सामूहिक क्रियाक्रलाप

7.1.1 भारत विश्व बैंक की चार संस्थाओं, अर्थात अन्तरराष्ट्रीय पुनःसंरचना और विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ, अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारन्टी अभिकरण, का सदस्य है। विश्व बैंक समूह से सम्बन्धित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने तथा विश्व बैंक (आई.बी.आर.डी. और आई.डी.ए.) की सहायता से परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए अन्तरराष्ट्रीय वार्ताओं में विश्व बैंक समूह की बैठकों में प्रतिनिधित्व बनाने के लिए एम.आई. प्रभाग, भारत का मुख्य (केन्द्र) बिन्दु है। भारत आई.बी.आर.डी. में सातवां बड़ा शेयर धारक है तथा इसके पास 2.91% मत देने का अधिकार है। एक चुनाव क्षेत्र (जिसमें चार देश हैं - भारत, बंगलादेश, श्रीलंका और भूटान) के रूप में भारत को 3.26% मत देने का अधिकार है।

7.1.2 शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान, सिंचाई और जल आपूर्ति, शहरी और परिवहन क्षेत्र के क्षेत्रों में 20.83 अमरीकी बिलियन डालर की कुल 76 परियोजनाएं, विश्व बैंक समूह की परियोजनाओं का मौजूदा हिस्सा है। वर्ष 2013 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबन्ध-I पर है।

7.2 विश्व बैंक से सम्बन्धित मुख्य क्रियाकलाप और उपलब्धियां

- देश, सांझेदारी रणनीति - अप्रैल 2013 में विश्व बैंक समूह की भारत के लिए नए देश सम्बन्धी साझेदारी रणनीति (2013-2017) अंगीकार की गई थी। नई सीपीएस में, 2017 तक प्रत्येक वर्ष 3 बिलियन डालर से 5 बिलियन डालर का ऋण के कार्यक्रम का प्रावधान है। नए सीपीएस में तीन मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है, एकीकरण, परिवर्तन और समावेशन, तथा यह कम आय वाले राज्यों की परियोजनाओं पर विशेष बल देता है।

- भारत ने 2010 के सुधारों के पश्चात इसे आबंटित आईबीआरडी के अतिरिक्त शेयरों की खरीद शुरु की। 11 जनवरी, 2013 के अनुसार, भारत के पास 56,739 शेयर हैं जिनकी कीमत 6844.7 मिलियन अमरीकी डालर है।

- 12 सितम्बर, 2013 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने आईबीआरडी के साथ विशेष गैर सरकारी प्लेसमैन्ट बान्ड व्यवस्था करने का अनुमोदन कर दिया ताकि भारत को एकल उधार लेने वाले की सीमा से ऊपर 4.3 बिलियन अमरीकी डालर की

अतिरिक्त गुंजाइश मिल सके। अतिरिक्त उधार मिलने की गुंजाइश से भारत सरकार, विश्व बैंक की सहायता से नई परियोजनाएं हाथ में ले सकता है।

- आर्थिक कार्य विभाग, योजना आयोग और अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों के साथ पहला सम्मेलन विश्व बैंक, आई.एम.एफ., ए.डी.बी., ए.एफ.डी.बी. के कार्यकारी निदेशकों और सलाहकारों/वरिष्ठ सलाहकारों का एम.आई. प्रभाग द्वारा 21-22 अगस्त, 2013 में नई दिल्ली में आयोजीत किया गया था।

- विश्व बैंक की और आई.एम.एफ. की 2013 की स्प्रिंग बैठक तथा दूसरी सम्बद्ध बैठकें, अप्रैल, 2013 में हुई तथा इसके पश्चात अक्तूबर 2013 में वार्षिक बैठकें हुई। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व माननीय वित्त मन्त्री श्री पी. चिदम्बरम ने किया। बैठक की मुख्य बातों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल था - वैश्विक नीति कार्यसूची के मुद्दे पर विचार-विमर्श, आई.एम.एफ. में शासन और कोटा सुधार, विश्व बैंक समूह रणनीति, वैश्विक आधारभूत निधि का विकास, विश्व बैंक द्वारा ऋण देने की शर्तें, प्रापण सुधार, वायस रिफार्म, जलवायु परिवर्तन तथा दीर्घावधि रणनीतिक मुद्दे।

- विभाग प्रबन्धन को कारगर रूप से सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए क्षेत्र-वार त्रिपक्षीय समीक्षा बैठके आयोजित की गई हैं। ओडिसा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष के दौरान राज्य समीक्षा भी आयोजित की गई। धीमें वितरण वाली परियोजनाओं के लिए विशिष्ट आवधिक समीक्षाएं भी की गई।

7.3. आईडीए. वित्तीय सहायता (पुनः पूर्ति) तथा अन्य न्यास निधि पुनः पूर्ति (पुनः पूर्ति) का योगदानः

(i) आईडीए 17 पुनः पूर्ति की चौथी और अन्तिम बैठक, दिनांक 16-17 दिसम्बर 2013 को मास्को में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, भारत के लिए आईडीए ट्रान्सिशन समर्थन की एक मत से सहमति व्यक्त की गई। इस विकास से, भारत आईडीए-17 में पहुंच गया, लेकिन इसे विश्व बैंक वित्त वर्ष 2015-17 में आईडीए सहायता के रूप में 3.3 बिलियन अमरीकी डालर नहीं प्राप्त होंगे। भारत ने, पात्र आई.डी.ए. क्रेडिट के त्वरित पुनःभुगतान के प्रधान विकल्प की हमारी पसंद को दर्शाते हुए आईडीए-17 की पुनः पूर्ति को सुनिश्चित करने में निर्माणकारी भूमिका निभाई है। इस कार्य के लिए भारत को अफ्रीकी, उधार लेने वाले प्रतिनिधियों तथा मुख्य दाताओं से सराहना मिली है।

(ii) भारत ने एड्स, क्षय रोग और मलेरिया से निबटने के लिए वैश्विक निधि में योगदान की अपनी शपथ की, दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 को आयोजित चौथी स्वैच्छिक पुनः पूर्ति सम्मेलन में घोषणा की। वर्ष 2013 से 2016 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के बजट से 16.5 मिलियन अमरीकी डालर दिए जाएंगे।

(iii) आर्थिक कार्य विभाग ने, टीकाकरण और प्रतिरक्षा जो कि सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी स्वास्थ्य साझेदारी है तथा जो गरीब देशों में अधिक प्रतिरक्षा विकसित करके बच्चों का जीवन बचाने तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है, के वैश्विक समझौते के लिए 2013 से 2017 के लिए प्रति वर्ष एक मिलियन अमरीकी डालर अंशदान करने की वचनबद्धता की है।

(iv) आर्थिक कार्य विभाग ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की छठी पुनः पूर्ति बैठकों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। आर्थिक कार्य विभाग ने 9 और 10 सितम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित जीईएफ की दूसरी बैठक की मेजबानी की थी। विकासशील देश में आयोजित की जाने वाली यह पहली पुनः पूर्ति बैठक थी। भारत ने जीईएफ के पायलट चरण में 6 मिलियन अह्मरीकी डालर का अंशदान किया है तथा जीईएफ के प्रत्येक 5 पुनः पूर्ति में 9-9 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है।

(v) भारत ने कृषि विकास की अन्तरराष्ट्रीय निधि के 9वें पुनः पूर्ति चक्र के लिए 30 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करने की शपथ ली है। परिणामस्वरूप 10 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी किस्त, वित्त वर्ष 2013-14 में अदा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला अधिकारिता, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन और ग्रामीण वित्त क्षेत्र में भारत में कम आय वाले राज्यों के लिए 26 परियोजनाओं में सहयोग दिया है। वित्त वर्ष 2013-14 के चालू निष्पादन आधारित आवंटन प्रणाली चक्र के अन्तर्गत दो नई परियोजनाएं चुनी गई है।

(vi) वित्त वर्ष 2013-14 में भारत ने दक्षिण-दक्षिण अनुभव आदान-प्रदान न्यास निधि के लिए 500,000 अमरीकी डालर, दो, एक समान किस्तो (1.36 करोड़ रुपये की भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा) में अंशदान करने का निर्णय किया है। ऐसी पहली किश्त दिनांक 27 नवम्बर, 2013 को विश्व बैंक को दे दी गई।

7.4 भारत में आईएफसी के क्रियाकलापः

7.4.1 अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम जो कि भारत का महत्वपूर्ण विकास-साझेदार है, भारत में गैर-सम्प्रभु कार्य करता है। यह संगत क्षेत्रों में सलाह अथवा सेवाएं भी देता है। जून 30, 2013 के अनुसार, आईएफसी का भारत में वचनबद्धता का हिस्सा 4.5 बिलियन

डालर था तथा औसत वार्षिक निवेश लगभग 1.0 बिलियन अमरीकी डालर था, जिससे भारत, आईएफसी का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो एक्सपोजर बन गया। परियोजनाओं की, आधारभूत क्षेत्र, निर्माण उत्पादन, वित्तीय बाजार, कृषि कारोबार, एसएमई तथा पुनःनवीकृत ऊर्जा के क्षेत्रों में बहुतायत है। विश्व बैंक समूह की भारत में, देश-साझेदारी रणनीति के साथ अनुरूपता बनाते हुए, आईएफसी, भारत में कम आय वाले राज्यों में परियोजनाएं चलाता है।

7.4.2 भारत सरकार अन्तराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के 1 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के अपतट रुपया बाँड कार्यक्रम को प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। आईएफसी ने 19 नवंबर, 2013 को 161 मिलियन अमरीकी डालर (10 बिलियन भारतीय रुपये) मूल्य के अपतट रुपये बाँड कार्यक्रम के प्रथम भाग को प्रारंभ कर दिया है। बाँड को जारी करने पर अच्छी अनुक्रिया प्राप्त हुई है और ये दो बार अतिपूर्वक्रीत हुए हैं, जिनके 20 बिलियन भारतीय रुपये मूल्य के आदेश मिले हैं। विश्व भर में 27 निवेशकों जिनमें एशिया, यूरोप और अमरीका से केंद्रीय और निजी बैंकों, परिसंपदा प्रबंधकों, पेंशन निधियों इत्यादि शामिल हैं - ने भाग लिया है। बाँड की अवधि तीन वर्ष है और कूपन की दर 7.75 प्रतिशत है। बाँड की प्राप्तियों को घरेलू स्पाट एक्सचेंज बाजार में भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा और भारत में प्रयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम से भारत में निवेश का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय पूंजी बाजार और अधिक व्यापक भी होगा। इस कार्यक्रम की प्रोत्साहनात्मक अनुक्रिया से संभवतः भारत में निवेशक का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

7.5 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

7.5.1 भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है, जिसे एक सहकारी और स्थायी वैश्विक आर्थिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। फिलहाल, आईएमएफ के 188 राष्ट्र सदस्य हैं। जब से आईएमएफ को संस्थापित किया गया है, तब से इसके उद्देश्य नहीं बदले हैं परन्तु इसके प्रचालन-जिनमें निगरानी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल हैं - विकासोन्मुखी निश्व अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हो गए हैं। आईएमएफ के बाँड आफ गवर्नर्स में एक गवर्नर और प्रत्येक सदस्य देश से एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल है। भारत की ओर से, वित्त मंत्री आईएमएफ के बोर्ड आफ गवर्नर्स के पदेन गवर्नर हैं। आईएमएफ में भारत के क्षेत्र में तीन अन्य देश नामतः बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत की ओर से वैकल्पिक गवर्नर हैं।

7.6 बोर्ड आफ गवर्नर्स की बैठकें

7.6.1 आफ गवर्नर्स संबंधित संस्थानों नामतः आईएमएफ की स्प्रिंग बैठकें और वार्षिक बैठकें और विश्व बैंक के कार्य पर चर्चा करने के लिए प्रायः एक वर्ष में दो बार बैठकें बुलाता है। सभा के केंद्र में आईएमएफ की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी में भारत का प्रतिनिधित्व माननीय वित्त मंत्री ने किया) और संयुक्त विश्व बैंक आईएमएफ विकास समिति, जो आईएमएफ और विश्व बैंक के कार्य की प्रगति पर चर्चा करती है, की बैठकें आयोजित होती हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक निधि और विश्व बैंक समूह की 2013 की स्प्रिंग बैठक 19-21 अप्रैल, 2013 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई थी। आईएमएफ और विश्व बैंक की अंतिम वार्षिक बैठक वाशिंगटन डीसी में 11-13 अक्तूबर, 2013 के दौरान आयोजित हुई थी। आईएमएफसी जो 24 आईएमएफ गवर्नर्स, मंत्रियों, या समतुल्य रैंक के अन्य कर्मचारियों से बनी एक परामर्शदाता निकाय है, की 28वीं बैठक 12 अक्तूबर, 2013 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई थी।

7.7 भारत का कोटा और रैंकिंगः

7.7.1 भारत का आईएमएफ में वर्तमान कोटा 2.44% की शेयरधारिता के साथ एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) 5821.50 मिलियन है। मतदान हिस्से के आधार पर, 24 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में भारत (इसके निर्वाचन क्षेत्र के देशों नामतः बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ) 17वीं रैंक पर हैं।

7.7.2 आईएमएफ पांच वर्षों में एक बार सदस्यों के कोटे की समीक्षा करता है और इस तरह की अंतिम समीक्षा दिसंबर, 2010 में की गई थी। भारत ने 2010 की समीक्षा के अधीन अपने कोटे में वृद्धि पर सहमति दे दी है और 2010 की कोटा समीक्षा प्रभावी होने के उपरांत भारत की कोटे में हिस्सेदारी 2.44% से बढ़कर 2.75% हो जाएगी, जिससे भारत आईएमएफ में आठवां सर्वाधिक कोटा धारक देश बन जाएगा। तथापि यह अभी लंबित है क्योंकि इसके प्रभावी होने के लिए शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।

7.8 आईएमएफ की उधार व्यवस्धाओं में भारत की भागीदारीः

7.8.1 यह कोष उधारी व्यवस्थाओं के माध्यम से अस्थायी तौर पर अपने कोटा स्रोतों की भी अनुपूर्ति करता है। जुलाई 2010 में, भारत ने उधारी के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) हेतु अधिकतम 14 बिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिसमें पूर्व के नोट क्रय करार (एनपीए) को जोड़ दिया गया है। यह प्रतिबद्धता भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पदों या प्रतिभूतियों के रूप में है जिन्हें आईएमएफ द्वारा आकस्मिक वित्तपोषण की स्थिति में जब और जैसे भी आहरित किया जा सकता है। 2010 की कोटा वृद्धि के प्रभावी होने के उपरांत, भारत की एनएबी प्रतिबद्धता के 7.0 बिलियन अमरीकी डालर तक आने की संभावना है। ये नोट तब तक नकद खर्च का रूप नहीं ले सकते जब तक कि आईएमएफ भारत से इसकी अपील नहीं करता। 14 बिलियन अमरीकी डालर की अधिकतम प्रतिबद्धता में से वर्ष 2010 से अब तक, भारत पर लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर के दावे किए गए हैं। इन उधारियों को भारत की आरक्षित निधि के हिस्से के रूप में माना जाता है।

7.8.2 वर्तमान में चल रहे यूरोजोन आर्थिक संकट के परिदृश्य में, आईएमएफ ने आर्थिक संकट के निवारण और आईएमएफ के सभी सदस्यों की संभावित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को संवर्द्धित करने के लिए एक द्विपक्षीय उधारी कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। आईएमएफ के कुल कोटे के तीन-पांचवें भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले 37 सदस्यों ने आईएमएफ के संसाधनों को 456 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के लिए अंशदान देने के प्रतिज्ञा की है। 19 जून, 2012 को आयोजित जी-20 देशों के लोस काबोस सम्मेलन में, ब्रिक्स देशों ने अपने अंशदानों की घोषणा की है जिसमें भारत, ब्राजील और रूस प्रत्येक द्वारा 10 बिलियन अमरीकी डालर और चीन द्वारा 43 बिलियन अमरीकी डालर की घोषणा शामिल है। आईएमएफ ने वचन दिया है कि इन नए संसाधनों को केवल तभी आहरित किया जाएगा जब कोटे के पहले ही उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा उधारी व्यवस्थाओं का पर्याप्त रूप से उपयोग कर लेने के बाद सुरक्षा के दूसरे विकल्प के रूप में इनकी आवश्यकता हो। यदि आहरित कर लिए गए हों तो इन्हें ब्याज सहित लौटाया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि कोटा संसाधन निधि वित्तपोषण के बुनियादी स्रोत बने रहेंगे और यह कि उधारी की भूमिका कोटा संसाधनों की अस्थायी रूप अनुपूर्ति करने की है। नया उधारी कार्यक्रम सदस्य देशों द्वारा वचन पत्रों के जारी करने पर आधारित है जोकि इन देशों की प्रतिभूतियां हैं जिनका आईएमएफ द्वारा आवश्यकता पड़ने पर नकदीकरण किया जा सकता है। ये नोट क्रय करार विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) में मूल्यांकित किया जाता है और नकद/ दुर्लभ मुद्रा को कोई भी खर्च तक अपरिहार्य नहीं होगा जब तक कि प्रतिभूतियों के हिस्से के नकदीकरण के लिए आईएमएफ द्वारा न कहा जाए। इसके अतिरिक्त, इन नोटो को जारी करने वाले देश की आरक्षित निधियों के हिस्से के रूप में माना जाता है। और इसलिए ये जारीकर्ता की आरक्षित निधियों की धारिता पर प्रभाव नहीं डालते।

7.8.3 इस उधारी कार्यक्रम के लिए करार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और आईएमएफ के बीच नोट क्रय करार पर 19.9.2013 को हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच 19 दिसंबर, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7.9 वित्तीय लेन-देन योजना (एफटीपी):

7.9.1 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय लेन-देन योजना ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से यह कोष अपने सदस्यों को ऋण देने और पुनर्भुगतान करने संबंधी अपने प्रचालकों का वित्तपोषण सामान्य संसाधान खाते में करता है। कोष के सदस्य अपने कोटे के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर आईएमएफ से ऋण ले सकते हैं। आईएमएफ अपने सदस्यों को विदेशी मुद्रा और एसडीआर दोनों रूपों में ऋण देता है। जब विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋण का वित्तपोषण आईएमएफ के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए कोटा संसाधनों से किया जाता है। इससे लेनदार लाभान्वित होता है क्योंकि उसकी स्थिति में संवर्द्धन होता है। जब ऋण एसडीआर में दिया जाता है तो आईएमएफ आरक्षित आस्तियों को सामान्य संसाधन खाते में अपनी स्वयं की एमडीआर धारिताओं के नाम पर आहरित करते हुए सीधे उधार लेने वाले सदस्य को हस्तांतरित कर देता है।

7.9.2 भारत आईएमएफ की सितंबर-नवंबर, 2012 की तिमाही से प्रभावी एफटीपी में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है। एफटीपी में प्रभावी भागीदारी से भारत आईएमएफ का एक लेनदार देश बन गया है। इसके अधीन, भारत को एफटीपी के तहत क्रय (ऋण जारी करने) या पुनः क्रय (हमारे देनदार द्वारा ऋण की अदायगी) करने के लिए कहा गया है। एफटीपी में भागीदारी से, भारत दुर्लभ मुद्रा के लिए आईएमएफ को भारत के कोटा अंशदान के हिस्से के रूप में अपनी उपये धारिताओं का नकदीकरण करने की अनुमति दे रहा है जिसे फिर आईएमएफ के देनदार अन्य सदस्य देशों को उधार दिया जाता है।

7.10 अनुच्छेद IV परामर्श

7.10.1 आईएमएफ के करार के अनुच्छेदों के अनुच्छेद IV के तहत आईएमएफ सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए आमतौर पर प्रत्येक वर्ष सदस्यों के साथ द्विपक्षीय परिचर्चा करता है। अनुच्छेद IV परामर्श प्रायः दो चरणों में आयोजित किया जाता है। इस कवायद के दौरान आईएमएफ मिशन भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार के विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चा करता है। अनुच्छेद IV परामर्श वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक के साथ समाप्त होते हैं जो अनुच्छेद IV रिपोर्ट पर चर्चा करता है। भारत में आईएमएफ स्टॉफ के साथ वार्षिक अनुच्छेद IV परामर्श का अंतिम दौर 20-26 नवम्बर, 2013 के दौरान आयोजित किया गया।

7.11 एशियाई विकास बैंक से संबंधित गतिविधियां

7.11.1 एशियाई विकास बैंक की सदस्यता

7.11.1.1 भारत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का संस्थापक सदस्य है जिसे 1966 में स्थापित किया गया था। यह बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसके विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है। एडीबी का अधिकृत एवं अभिदत्त पूंजी स्टॉक 163.12 बिलियन यूएस डालर है जिसमें से भारत का अभिदान 10.3 बिलियन यूएस डालर है। भारत के पास कुल 672,030 शेयरों और 5.36 प्रतिशत मताधिकार के साथ शेयरों का 6.33 प्रतिशत है। अक्टूबर, 2013 में जीसीआई-V की चौथी किस्त के रूप में एडीबी को नकद में 17,295,198.68 यूएस डालर (16.4 करोड़ रू.) और 172,83,09,203.12 रू. के वचनपत्र का भुगतान किया गया।

7.11.2 एडीबी की 46वीं वार्षिक बैठक भारत द्वारा आयोजित की गई

7.11.2.1 भारत ने 2-5 मई, 2013 के दौरान एडीबी की 46वीं वार्षिक बैठक नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित की। वार्षिक बैठकें एडीबी की प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी निर्देशों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एडीबी सदस्यों के गवर्नरों के लिए सांविधिक अवसर है। वार्षिक बैठक के विषय - 'सशक्तीकरण के माध्यम से विकास' - ने पणधारकों को विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श करने का एक अवसर प्रदान किया जो सभी के लिए व्यापक आधार वाले लाभों और अवसरों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। ज्ञान साझा करने और साझेदारी घटना कार्यक्रम में विख्यात वक्ताओं ने भाग लिया और इसने विकास एवं आर्थिक विषयों के क्षेत्र में काफी अधिक रूचि और उत्साह पैदा किया। बैठक में सभी 67 सदस्य देशों से वित्त मंत्रियों, केन्द्रीय बैंक-संचालकों, नीति निर्माताओं, व्यापार नेताओं, नामी विद्वानों, सिविल सोसाइटी संगठनों और मीडिया सहित लगभग पांच हजार सहभागियों ने भाग लिया।

7.11.3 राष्ट्र भागीदारी कार्ययोजना

7.11.3.1 एडीबी बोर्ड द्वारा अक्टूबर, 2013 में पांच वर्ष की अवधि (2013 से 2017) को शामिल करते हुए भारत के लिए सीपीएस स्वीकृत किया गया। सीपीएस 2013-2017 का लक्ष्य 12वीं योजना के तहत परिकल्पित त्वरित, और अधिक सम्मिलित और स्थायी विकास के सरकार के सपने को सहायता देना है। स्वायत्त कार्यकलापों के लिए सूचक संसाधन आवरण लगभग 2 बिलियन यूएस डालर प्रति वर्ष है। तकनीकी सहायता कार्यक्रम की राशि लगभग 8 मिलियन डालर प्रति वर्ष होगी। एडीबी के गैर-स्वायत्त कार्यकलाप सीपीएस प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के समान होंगे। एडीबी के गैर-स्वायत्त कार्यकलाप अवसंरचना और वित्तीय क्षेत्रों को सहायता देना जारी रखेंगे।

7.11.4 भारत के साथ एडीबी का पोर्टफोलियो

7.11.4.1 भारत के लिए एडीबी सहायता 1986 में शुरू हुई। औसत वार्षिक ऋण 1986-96 में 586 मिलियन डालर से बढ़कर 1997-2002 में 905 मिलियन डालर, 2003-07 में 1.094 बिलियन डालर, 2008-13 में लगभग 2 बिलियन डालर हो गया। 2241.5 मिलियन डालर की एडीबी सहायता को 2013 में निपटाया गया।

7.11.4.2 पिछले दशक में, एडीबी ने विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों से परे वित्तीय समावेशन और सुस्थिर आजीविकाओं का सृजन (उदाहरण के लिए ग्रामीण सहकारी क्षेत्र, खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र, एवं सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम); कौशल विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (सिंचाई के लिए सहायता, तटीय क्षेत्र प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण सहित); कृषि-व्यवसाय अवसंरचना विकास; और पर्यटन पर केन्द्रित क्षेत्रों में कार्यकलापों का विस्तार किया है। एडीबी सहायता का विस्तार आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, ओडिशा, उत्तराखण्ड एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे राज्यों में भी किया गया है जो गरीबी, सामाजिक विकास के कम स्तर, खराब क्षमता और अपर्याप्त अवसंरचना के कारण लाचारी महसूस कर रहे हैं।

7.11.4.3 तकनीकी सहायता (टीए) कार्यक्रम ऋण कार्यक्रम के समान विकसित हुआ है। टीए सहायता का प्रयोग क्षमता निर्माण, परियोजना तत्परता और कार्यान्वयन में सुधार, सरकार के पीपीपी पहलों को सहायता देने तथा कार्यक्षेत्र अध्ययन और ज्ञान उत्पाद प्रारंभ करने के लिए किया जा रहा है। भारत में एडीबी के पोर्टफोलियो का ब्यौरा अनुबंध II में है।

7.11.5 टीएएसएफ में अंशदान

7.11.5.1 एडीबी ने बाह्य वित्तीयन के प्रभावी प्रयोग को सुकर करने के लिए परियोजनाओं के निरूपण, डिजाइन और कार्यान्वयन में क्षमता निर्माण विकास के लिए विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता विशेष निधि (टीएएसएफ) की स्थापना की है। भारत 1970 से टीएएसएफ में स्वैच्छिक रूप से अंशदान दे रहा है और 2012-13 तक 12.03 करोड़ रू. का अंशदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1 करोड़ रू. का अतिरिक्त अंशदान जारी किए जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।

7.12 अफ्रीकी विकास बैंक से संबंधित गतिविधियां

7.12.1 भारत 6 दिसम्बर, 1983 को अफ्रीकी विकास बैंक का सदस्य बना। भारत ने अफ्रीकी विकास बैंक के 200 प्रतिशत सामान्य पूंजी वृद्धि - IV का अंशदान दिया जिससे बैंक की पूंजी 23.97 बिलियन यूए से 67.687 बिलियन यूए (यूए = खाते की इकाई; 1 यूए = 1 एसडीआर) हो गया। इसके फलस्वरूप, भारत को 97,630,000 यूए के पूंजीगत मूल्य के 9,763 नए शेयर (586 प्रदत्त एवं 9177 प्रतिदेय) आवंटित किए गए। भारत को 732500 यूए (10,94,003 यूएस डालर के बराबर) की आठ वार्षिक किस्तों का भुगतान करना है। इस संबंध में, तीसरी किस्त का भुगतान नवम्बर, 2013 में किया गया।

7.12.2 भारत 1974 से अफ्रीकी विकास निधि में अंशदान दे रहा है। एडीएफ-12 तक निधि में भारत के अंशदान की राशि, एडीएफ में 0.180 प्रतिशत के मताधिकार के साथ 79,297,898 यूए है (सितम्बर, 2013 तक)।

7.12.3 भारत एडीएफ की बहुपक्षीय ऋण राहत पहलों (एमडीआरआई) में भी योगदान देता है। 2006-2054 की सामूहिक अवधि में कुल प्रतिबद्ध राशि 14.11 मिलियन यूए है (1यूए = 1 एसडीआर)। 2006-2014 के दौरान भारत की भागीदारी का 10.614 करोड़ रू. का भुगतान किया गया।

अनुबंध-I

भारत में विश्व बैंक का पोर्टफोलियो

दिनांक 31 दिसंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार 20828.2 मिलियन अमरीकी डालर की राशि वाले 76 ऋण चल रहे हैं। इनका सेक्टर-वार बंटवारा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	सेक्टर	ऋणों की संख्या	मिलियन अमरीकी डालर	प्रतिशत (%)
1	कृषि	8	1264.5	11%
2	आपदा प्रबंधन	2	475	3%
3	शिक्षा	3	1080	4%
4	ऊर्जा	6	3603.4	8%
5	पर्यावरण	6	1335.5	8%
6	वित्त	3	582.4	4%
7	स्वास्थ्य	6	1294.8	8%
8	सिंचाई और जल	10	2826	13%
9	पीआरआई	4	604	5%
10	ग्रामीण विकास	8	2729.1	11%
11	ग्रामीण जलापूर्ति	5	693.9	7%
12	परिवहन	11	3464.3	14%
13	शहरी	4	875.4	5%
	जोड़	**76**	**20828.2**	**100%**

2. वर्ष 2013 के दौरान विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित नए ऋण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	आईबीआरडी की प्रतिबद्ध राशि	आईडीए की प्रतिबद्ध राशि	जोड़
1	कर्नाटक जलसंभर-II	11-फरवरी-13	0.0	60.0	60.0
2	बिहार पीआरआई	27-जून-13	0.0	84.0	84.0
3	केरल राज्य परिवहन परियोजना-II	19-जून-13	216.0	0.0	216.0
4	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना	18-जून-13	0.0	255.0	255.0
5	निम्न-आय आवास वित्त	14-अगस्त-13	0.0	100.0	100.0
6	यूपी जल क्षेत्र पुनर्संरचना-II	24-अक्तू.-13	0.0	360.0	360.0
7	तमिलनाडु/पुडुचेरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	11-नवंबर-13	0.0	236.0	236.0
	जोड़		**216.0**	**1095.0**	**1311**

3. वर्ष 2013 के दौरान निम्नलिखित ऋणों पर वार्तालाप हुआ :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वार्ता की तारीख	आईबीआरडी की प्रतिबद्ध राशि	आईडीए की प्रतिबद्ध राशि	जोड़
1	केरल राज्य परिवहन परियोजना-II	15-मार्च-13	216.0	0.0	216.0
2	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना	21-मार्च-13	0.0	255.0	255.0
3	निम्न आय आवास वित्त	25-मार्च-13	0.0	100.0	100.0
4	तमिलनाडु/पुडुचेरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	21-मई-13	0.0	236.0	236.0
5	यूपी जल पुनर्संरचना- II	16-जुलाई-13	0.0	360.0	360.0
6	राष्ट्रेय राजमार्ग अन्तर-सम्पर्कता	26-सितं.-13	500.0	0.0	500.0
7	राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण	18-सितं.-13	0.0	160.0	160.0
8	उत्तराखण्ड आपदा सुधार परियोजना	3-अक्तू.-13	0.0	250.0	250.0
9	द्वितीय गुजरात राज्य राजमार्ग योजना	1-नवंबर-13	175.0	0.0	175.0
10	निम्न आय वाले राज्यों के लिए आरडब्ल्यूएसएस	18-नवंबर-13	0.0	500.0	500.0
11	बिहार सामाजिक सुरक्षा	21-नंवंबर-13	0.0	84.0	84.0
	जोड़		**891.0**	**1945**	**2836**

अनुबंध-II

भारत में एडीबी का पोर्टफोलियो

दिनांक 31 दिसंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार 8377.08 मिलियन अमरीकी डालर की राशि वाले 63 ऋण चल रहे हैं। इनका सेक्टर-वार बंटवारा निम्नानुसार है :

सेक्टर	**ऋणों की संख्या**	**मिलियन अमरीकी डालर**	**%**
कृषि, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	5	216.86	2.59
ऊर्जा	22	3297.22	39.36
वित्त तथा सरकारी क्षेत्र प्रबंधन	7	1190.00	14.21
परिवहन तथा संचार	9	2234.00	26.66
शहरी विकास तथा बहु क्षेत्र	20	1439	17.18
जोड़	**63**	**8377.08**	**100**

वर्ष 2013 के दौरान एडीबी के साथ हस्ताक्षरित नए ऋण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण (मिलियन अमरीकी डालर)	हस्ताक्ष करने की तारीख	अंतिम तारीख
1	एलएन-2797-उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम-परियोजना 2 (350 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	100	31/01/2013	31/12/2015
2	एलएन-2861-बिहार शहरी विकास निवेश कार्यक्रम - परियोजना 1 (200 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	65	25/03/2013	30/06/2017
3	एलएन-2881-ग्रामीण संपर्क निवेश कार्यक्रम परियोजना-1 (800 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	252	02/04/2013	30/06/2015
4	एलएन-2925-जम्मू व कश्मीर शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना 2) (300 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	110	16/05/2013	31/03/2017
5	एलएन-2924-उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम- ट्रांश-4 (300 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	150	04.06.2013	30.09.2015
6	एलएन-2882-उत्तरी कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना 3) (270 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	60	19/07/2013	31/12/2015
7	एलएन-2894-बिहार राज्य राजमार्ग-II परियोजना - अतिरिक्त वित्तपोषण	300	12/08/2013	30/09/2017
8	एलएन-3040-उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम-परियोजना-3 (550 मि. अमरीकी डालर के एमएफएफ का भाग)	150	24/12/2013	30.06.2017

वर्ष 2013 के दौरान निम्नलिखित ऋणों पर वार्ता हुई थी :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नियमित/एमएफएफ राशि (मिलियन डालर)	नियमित/पीएफआर राशि (मिलियन डालर)
1	राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण निवेश कार्यक्रम	300.0	62.0
2	मध्य प्रदेश पारेषण तथा वितरण प्रणाली सुधार परियोजना	350.0	350.0
3	मेघालय में मानव पूंजी विकास को सहायता	100.0	100.0
4	त्वरित अवसंरचना निवेश सुविधा	700.0	400.0
5	जयपुर मैट्रो रेल लाइन 1-फेज ख परियोजना	176.0	176.0
6	कलकत्ता पर्यावरण सुधार निवेश कार्यक्रम	400.0	100.0
7	हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा पारेषण निवेश कार्यक्रम-ट्रांश 2		110.0
8	उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम-ट्रांश 2		125.2
9	ग्रामीण संपर्क निवेश कार्यक्रम-ट्रांश 2		275.0
10	उत्तरी कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम-ट्रांश 4		63.3
11	उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम-ट्रांश 3		150.0
12	रेलवे क्षेत्र निवेश कार्यक्रम-ट्रांश 2		130.0
13	उत्तराखंड आपातकाल सहायता परियोजना	200.0	200.0
	जोड़	**2,226.0**	**2,241.5**

दिनांक 30 नवंबर 2013 को चल रही टीए का सेक्टर-वार बंटवारा निम्नानुसार है :

सेक्टर	**टीए की संख्या**	**हजार अमरीकी डालर**	**%**
कृषि, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	5	7,090.0	10.3
शिक्षा	3	3,325.0	4.8
ऊर्जा	16	12,010.0	17.4
वित्त	3	4,350.0	6.3
बहुक्षेत्र	5	5,075.0	7.4
पीपीपी	5	8,300.0	12.0
सरकारी क्षेत्र प्रबंधन	2	990.0	1.4
परिवहन	16	18,250.0	26.4
शहरी	9	9,650.0	14.0
जोड़	**64**	**69,040.0**	**100.0**

8. बहुपक्षीय संबंध प्रभाग

8.1 जी 20:

8.1.1 जी20 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान प्रमुखता से उभरा, जब इसने अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौर में सहयोग व समन्वय में काफी अधिक प्रभावी भूमिका अदा कीं। 1 दिसंबर, 2012 को रुस ने मैक्सिकों से जी20 की प्रेसीडेंसी हासिल की। रुसी प्रेसीडेंसी के तहत आर्थिक विकास के नए चक्र के आरंभ में ये तीन प्राथमिकताएं थीं: क) गुणवत्तापरक नौकरियों व निवेश के माध्यम से विकास; ख) विश्वास और पारदर्शिता के माध्यम से विकास; ग) प्रभावी नियमन के माध्यम से विकास।

8.1.2 आस्ट्रेलिया ने रुस से जी20 की प्रेसीडेंसी 1 दिसंबर, 2013 को हासिल की। 2014 में आस्ट्रेलिया जी20 की प्रेसीडेंसी में नेताओं के विचार-विमर्श के बिंदु निम्न प्रमुख विषयों के इर्द-गिर्द ही रहे: क) प्रबल आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करना, और (ख) भावी आघातों का सामना करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अधिक लचीला बनाना। जहां तक जी20 विकास एजेंडे का संबंध है, आस्ट्रेलियाई प्रेसीडेंसी के तहत जी20 में ऐसे अर्थोपायों को संबोधित किया जाएगा जिससे रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए आर्थिक नीतियां और श्रम बाजार की नीतियां एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। आस्ट्रेलियाई प्रेसीडेंसी के तहत ऊर्जा सातत्य के संबंध में सेंट पीट्सबर्ग में जी20 नेताओं द्वारा अनिवार्य किया गया कार्य जारी रहेगा।

8.1.3 भारत और कनाडा ढ़ांचा कार्यसमूह, जी20 के सिग्नेचर प्रयास (एफडब्ल्यूजी) के सह- अध्यक्ष बने रहेंगे और ये देशों द्वारा विकास की कार्यनीतियां बनाने और उनके समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा, रिजर्व मुद्रा निर्गमित करने वाले देशों द्वारा मौद्रिक नीति में बदलाव करते समय वैश्विक वित्तीय संबंधों पर विचार करने के महत्व पर भी जोर दिया जाएगा। भारत यह सुनिश्चित कराने में अग्रणी रहा है कि अवसंरचना को जी20 द्वारा विकास का केन्द्र बिन्दु माना जाए। वर्ष 2014 में जी20 डी डब्ल्यू जी अवसंरचना एजेंडो संबंधी कार्य भारत के लिए विशेष तौर पर अनिवार्य हो गया है, चूंकि भारत डीडब्ल्यूजी में कोरिया के साथ एजेंडे पर कार्य करेगा। भारत यह भी आशा करता है कि आस्ट्रेलियाई प्रेसीडेंसी के तहत निवेश और अवसंरचना कार्यसमूह एमडीबी के संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने में सक्षम होगा और वैश्विक बचतों को अवसंरचना संबंधी निवेशों में पुनर्निवेशित कर सकेगा।

8.2 बीआरआईसीएस:

8.2.1 वित्तीय क्षेत्र में बीआरआईसीएस सहयोग के तहत विभिन्न कार्रवाईयां प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से बीआरआईसीएसनए विकास बैंक की स्थापना, और बीआरआईसीएस आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं। जुलाई, 2014 में ब्राजील में आयोजित अगली बीआरआईसीएस शीर्ष बैठक में इन दोनों कार्रवाईयों पर मूर्त परिणामों की अपेक्षा है। ब्रिक्स के नए विकास बैंक के मुख्य सिद्धांतों व तकनीकी विशेषताओं के साथ समझौता करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जहां इस बात पर सहमति बनी कि बीआरआईसीएस बैंक में बीआरआईसीएस देशों से आरंभ में 50 बिलियन अमेरीकी डालर की पूंजी का अंशदान होगा। बीआरआईसीएस आकस्मिक रिजर्व का शुरुआती आकार 100 बिलियन अमेरीकी डालर होगा। सीआरए में एकल देश के कमिटमेंट्स निम्नानुसार होंगे: चीन 41 बिलियन अमेरी की डालर, भारत और रुस- 18 बिलियन अमेरीकी डालर, प्रत्येक; और दक्षिण अफ्रीका- 5 बिलियन अमेरीकी डालर। बीआरआईसीएस के तहत अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: क) बीआरआईसीएस पुनः बीमा उपाय; ख) बीआरआईसीएस कर और सीमा शुल्क सहयोग।

8.3 यूएनडीपी:

8.3.1 यूएनडीपी में भारत का वार्षिक अंशदान 4.5 मिलियन अमरीकी डालर तक रहा है,जो विकासशील देशों से सबसे अधिक है। यूएनडीपी संसाधनों के देश-विनिर्धारित आवंटन, देश सहयोग ढांचा (सीसीएफ) के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाते हैं, जो आमतौर पर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से मेल खाता है। दिनांक 1.3.2013 को यूएनडीपी और एमआर-ख्ज अनुभाग के बीच हस्ताक्षरित नए देश कार्यक्रम (सीपी) में चार यूएनडीएएफ परिणामों नामतः क) समावेशी वृद्धि और गरीबी उन्मूलन; ख) जनतांत्रिक शासन; ग) स्थिर विकास; घ) लैंगिक समानता और समावेशन पर ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान देश कार्यक्रम (सीपी):2013-17, 12 वीं पंचवर्षीय योजना से मेल खाता है जिसमें समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। इसमें मुख्य रुप से लक्ष्यों नामतः जनतांत्रिक शासन; गरीबी हटाने; एचआईवी और लैंगिक समानता व समावेशन; आपदा जोखिम प्रबंधन और ऊर्जा तथा पर्यावरण पर ध्यान दिया गया है जिसमें उन नौ राज्यों पर फोकस किया गया हैं जो आर्थिक रुप से पिछड़े हुए हैं: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारतीय देश कार्यक्रम 2013-2017 के लिए कुल

संसाधन आवंटन 243.4 मिलियन अमेरीकी डालर है।

8.4 सार्क:

8.4.1 सार्क अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की छठीं बैठक 23-24 अप्रैल, 2013 को काठमांडु में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सरकारी ?ण प्रबंधन संबंधी प्रगति और दक्षिण एशिया के पूंजी बाजारों के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सार्क देशों को 2 बिलियन अमरीकी डालर के योगदान के साथ एसडब्ल्यूएपी व्यवस्था के इस प्रस्ताव के लिए भारत की सराहना की गई।

8.4.2 15वीं सार्क विकास निधि बैठक 27-29 मई, 2013 को थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई थी और 26-27 अगस्त, 2013 को कोलम्बों में तथा 3-5 दिसम्बर 2013 को काबुल में आयोजित की गई। सार्क देशों में सामाजिक क्षेत्र में 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 60 मिलियन अमेरीकी डालर दिए गए हैं। 2013-14 में स्वीकृत नई परियोजनाओं में शामिल हैं: (i) पुनर्वास विज्ञान में सार्क प्रादेशिक अंतर- व्यावसायिक मास्टर कार्यक्रम, (ii) सार्क के सदस्य राज्यों में महिलाओं व बच्चों के लिए टोल फ्री हैल्पलाइनें (iii) सार्क देशों में चुनिंदा क्षेत्रों में वाटर, सेनिटेशन एण्ड हाइजिन (वॉश) का सुदृढ़ीकरण। 2014-15 से एसडीएफ की अवसंरचना और आर्थिक विंडो को चालू करने का निर्णय लिया गया है।

8.4.3 सार्क वित्त मंत्रियों की छठीं बैठक और सार्क वित्त सचिवों की छठीं बैठक, तीसरी एसडीएफ गवर्निंग परिषद की बैठक के साथ 29 से 30 अगस्त, 2013 को कोलम्बों में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत द्वारा लागू मुद्रा हेतु स्वैप व्यवस्था की प्रशंसा की गई और यह देखने में आया कि भूटान ने इस व्यवस्था के तहत पहले ही 100 मिलियन अमरीकी डालर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एसएएफटीए के तहत अंतरा-सार्क व्यापार प्रवाह में बढ़ोत्तरी करने, अंतर-प्रादेशिक दीर्घावधिक निवेश बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा व सुरक्षा संबंधी प्रारूप सार्क करार को अंतिम रुप देने और ''सार्क में प्रादेशिक आर्थिक एकीकरण, वर्तमान में इसकी सीमा और आगे विस्तार की सिफारिशों'' संबंधी अध्ययन के प्रथम चरण संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

9. प्रशासन प्रभाग

9.1 कार्य

प्रशासन प्रभाग, विभाग के कार्मिकों एवं कार्यालय प्रशासन, सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन, सहायता-अनुदान, लोक शिकायतों के निवारण, अधिकारियों के प्रशिक्षण आदि के लिए उत्तरदायी है।

9.2 सहायता-अनुदान

वित्त वर्ष 2013 के दौरान, आर्थिक कार्य विभाग ने 7 संस्थाओं को ₹ 25.70 करोड़ का सहायता अनुदान स्वीकृत किया।

9.3 महिला कर्मचारी यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन-उत्पीड़न के निवारण से संबंधित विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 13 अगस्त, 1997 के निर्णय के अनुपालन में, आर्थिक कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों की यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है।

9.4 सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 और राजभाषा विभाग द्वारा जारी अन्य अनुदेशों का पूरी तरह पालन किया गया। वर्ष के दौरान, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग ने अनेक कदम उठाएः

i राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए परिचालित वार्षिक कार्यक्रम विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/ सभी प्रभागों/अनुभागों को उपलब्ध कराया गया और इसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए गए;

ii आर्थिक कार्य विभाग (वित्तीय सेवा विभाग सहित), वित्त मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 26 जून, 2013 को माननीय वित्त राज्यमंत्री (व्यय व वित्तीय सेवा) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया;

iii सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में अधिकारियों व कर्मचारियों की हिचक दूर करने और उन्हें सरकार की राजभाषा नीति संबंधी नियमों और अन्य निर्देशों की जानकारी देने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। प्रतिभागियों को पुरस्कार और संदर्भ एवं सहायक साहित्य प्रदान किया गया;

iv माननीय वित्त मंत्री ने 14 सितम्बर, 2013 को हिन्दी दिवस के पुनीत अवसर पर अपने ''संदेश'' में वित्त मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की अपील की;

v विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु 1-30 सितम्बर, 2013 तक ''हिन्दी माह'' का आयोजन किया गया;

vi आर्थिक विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत लेखकों को प्रथम पुरस्कार ₹ 50,000/-, द्वितीय पुरस्कार ₹ 40,000/-, तथा तृतीय पुरस्कार ₹ 30,000/- दिए जाते हैं। यह पुरस्कार योजना इस वर्ष भी जारी है;

vii विभाग की वेबासाइट द्विभाषी है। अन्य सामग्री के साथ-साथ सभी बजट दस्तावेज, आर्थिक समीक्षा व अन्य प्रकाशन तथा महत्वपूर्ण परिपत्र आदि अंग्रेजी व हिंदी में साथ-साथ अपलोड किए जाते हैं;

viii राजभाषा के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद का निरीक्षण किया गया और इस समिति को दिए गए आश्वासनों पर कार्रवाई की गई।

ix राजभाषा अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा से संबंधित आदेशों और अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के कुछ अनुभागों तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया; और

x विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई और इनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गईं तथा दिए गए सुझावों पर समुचित कार्रवाई की गई।

9.5 वित्त पुस्ताकालय एवं प्रकाशन अनुभाग 2013-14

वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग की स्थापना 1945 में हुई। वित्त पुस्तकालय मंत्रालय में केन्द्रीय अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है तथा मंत्रालय के सभी विभागों के अधिकारियों, समय-समय पर गठित की गई तदर्थ समितियों और आयोगों तथा भारत एवं विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पुस्तकालय मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है और भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों की मांग पर सरकारी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने व वितरण में समन्वय स्थापित करता है।

वित्त पुस्तकालय को व्यय विभाग के तारीख 24 जुलाई, 1990 के का.ज्ञा.सं. 19(1) आईसी/85 के आधार पर श्रेणी-III पुस्तकालय के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। पुस्तकालय के सभी पद संवर्ग-बाह्य पद हैं।

9.6. संग्रह

पुस्तकालय में आर्थिक और वित्तीय मामलों पर दो लाख से अधिक दस्तावेजों का विशिष्ट संग्रह है और इसमें प्रतिवर्ष 800 से अधिक पीरियोडिकल/समाचार-पत्र मंगाए जाते हैं।

9.7 इलेक्ट्रॉनिक संसाधन

इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में निम्नलिखित सीडी रोम डाटाबेस शामिल है।

- डीडीओ नियम - पुस्तिका
- डीजीसीआईएंडएस - भारत के विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े
- डीजीसीआईएंडएस - भारत के विदेशी व्यापार संबंधी सांख्यिकी
- डीजीसीआईएंडएस - भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े
- सरकारी लेखा - विधि नियम, 1990
- आईएमएफ - भुगतान संतुलन के आंकड़े
- आईएमएफ - व्यापार की दिशा संबंधी आंकड़े
- आईएमएफ - सरकारी वित्त आंकड़े
- आईएमएफ - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आंकड़े
- भारत - सिविल लेखा नियम पुस्तिका, संशोधित दूसरा संस्करण, 2007
- भारत - आर्थिक समीक्षा
- भारत - वेतन आयोग रिपोर्ट (1ला, 3रा, 5वां एवं 6ठा)
- भारत - केन्द्रीय बजट
- वृहद और लघु लेखाशीर्षों की सूची
- भारतीय रिजर्व बैंक - बैंकिग आंकड़े तथा मूल सांख्यिकीय विवरणियां
- प्राप्तियां और भुगतान नियम
- विश्व बैंक - विश्व विकास संकेतक
- विश्व बैंक - वैश्विक विकास वित्त
- यूएन - अंतरराष्ट्रीय व्यापार आंकड़े वार्षिक पुस्तक
- सतर्कता नियम-पुस्तिका

9.8 सेवाएँ

पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसे किताबें उधार देना, अंतर-पुस्तकालय उधार पुस्तक विनियम, परामर्श रेप्रोग्राफी, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का परिचालन, संदर्भ सेवा, ''वीकली बुलेटिन'' के जरिए ताजा घटनाओं के संबंध

में जानकारी देना तथा ई-मेल के जरिए सेवाएं प्रदान करना। वित्त पुस्तकालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशनों को राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों और भारत तथा विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को वितरित करने का कार्य भी करता है।

पुस्तकालय द्वारा इंटरानेट पर एक उपयोगी लिंक भी प्रदान किया जा रहा है। इससे रिपोर्ट एवं डाटा के पूरे पाठ ढूंढने एवं डाउनलोड करने में पाठकों को मदद मिलती है।

वित्त पुस्तकालय अग्रणी समाचार-पत्रों में प्रकाशित आर्थिक कार्य विभाग संबंधी जन-शिकायतों की स्कैनिंग का कार्य भी करता है।

9.9 प्रकाशन

वित्त पुस्तकालय एक (मुद्रण+ऑनलाइन) साप्ताहिक प्रकाशन ''वीकली बुलेटिन'' एक विषय ग्रंथ सूची भी संकलित करता है जिसमें लाइब्रेरी में प्राप्त जर्नलों से रूचिकर लेखों को सूचीबद्ध किया जाता है।

अर्थशास्त्र संबंधी लगभग 200 पूर्ण पाठ जर्नल पुरालेखों को ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय ने जेएसटीओआर के साथ एक समझौता किया है।

9.10 डिजिटल रिकार्ड

वित्त मंत्रालय के पुस्तकालय ने एक परियोजना भी क्रियान्वित की जिसमें वर्ष 1966 से 1970 तक की वित्त मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचनाओं [भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) (साधारण) में प्रकाशित] का पूरा पाठ डिजिटलीकृत किया गया।

9.11 कंप्यूटरीकरण

पुस्तकालय ने अपने प्रायः सभी कार्यकलापों को कंप्यूटरीकृत कर लिया है। यह डाटाबेस प्रबंधन, रिट्राइवल, पुस्तकालय ऑटोमेशन और अन्य आंतरिक कार्यों के लिए लिबसिस लाइब्रेरी पैकेज का प्रयोग करता है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

जहां तक ऑनलाइन डाटा की उपलब्धता का संबंध है, इंटरनेट साइट ''finance.nic.in'' पर एक लिंक देकर सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है।

10 सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग (एएएडी)

10.1 प्रस्तावना

सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग के विदेशी वित्त स्कंध का अंग है। विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं से भारत सरकार को प्राप्त विदेशी ऋणों/अनुदानों से संबंधित बैंक आफिस के कार्य इस प्रभाग द्वारा निपटाए जा रहे हैं। इस प्रभाग द्वारा निपटाए जाने वाले प्रमुख कार्यकलापों में परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों एवं दाताओं के साथ विचार-विमर्श, परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों से प्राप्त दावों पर कार्रवाई तथा विभिन्न दाताओं से निधियों के आहरण द्वारा कमी की व्यवस्था, भारत-सरकार की ऋण शोधन देयता का समय पर निर्वहन करना शामिल है। इसके अलावा, इस प्रभाग का दायित्व ऋण-रिकार्ड, विदेशी ऋण सांख्यिकी का रखरखाव, विभिन्न प्रबंध सूचना रिपोर्टों का संकलन, विदेशी सहायता विवरणिका का वार्षिक आधार पर प्रकाशन, विदेशी सहायता प्राप्तियों और ऋण शोधन के अनुमानों को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग डीजीएफटी के तहत निर्यात संवर्धन हेतु कार्यालयों द्वारा जारी निर्यात लाइसेंसों की लेखा-परीक्षा करता है।

10.2 पिछले वर्ष तक के निष्पादन/उपलब्धियां

वर्ष 2012-2013 के दौरान ऋण/क्रेडिट के रूप में सरकारी खाते में विदेशी प्राप्तियां 19,741.26 करोड़ रुपये हैं जबकि नकद अनुदान के रूप में सहायता 2173.16 करोड़ रुपये थी।

10.3 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन/उपलब्धियां

चालू वित्त वर्ष 2013-14 में (01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक) में विदेशी ऋण/क्रेडिट की प्राप्तियां 15,144.28 करोड़ रुपये है और नकद अनुदान सहायता 2,114.83 करोड़ रुपये थी।

10.4 ई-गवर्नेंस

10.4.1 सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग के समस्त कार्यकलापों को अप्रैल, 1999 से पूर्णतया कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। ''एकीकृत कंप्यूटरीकृत प्रणाली (आईसीएस)'' नामक साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसमें ऋण चक्र, प्राप्ति और भुगतान, विदेशी सहायता हेतु अनुमान तैयार करने, वार्षिक विदेशी सहायता पुस्तिका तैयार करने, दावों की प्रक्रिया, ऋण के पुनः भुगतान और ऋण रिकार्ड रखने के कार्यकलाप कवर किए जाते हैं। इस प्रभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रणाली की कार्यप्रणाली से अच्छी तरह से अवगत हैं। इस प्रभाग के प्रयोग किया जाने वाली कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से रिपोर्टिंग और प्रभावशाली बनाने के लिए अतिरिक्त विशेषताओ की जरूरत है। संसद प्रश्नो आदि के उत्तरों की तैयारी के लिए चयन के प्रयोग करते हुए इनपुट/डाक प्रदान की आवश्यकता को पुरा करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में प्रणाली को अद्यतन किया गया है। नया प्रारूप बहुवैक्लिपक चयन के प्रयोग करके विभिन्न रिपोर्टो की जनरेटिंग में सक्षम बनाता है।

10.4.2 आ.का.वि. के ऋण प्रभागों, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों और हितधारकों व आम जनता आदि के लाभार्थ इस प्रभाग में विभिन्न कार्यकलापों की प्रास्थिति सहित प्राप्त हुई विदेशी सहायता और किए गए भुगतान संबंधी आंकड़ों के प्रसार के लिए एक व्यापक वेबसाइट http://aaad.gov.in प्रचालन में है। इस वेबसाइट को दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाता है और यह असल में वास्तविक समय के आंकड़े (24 घंटे का समय अंतराल) उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, इस वेबसाइट पर विदेशी सरकारी उधारों के संबंध में संवितरित और बकाया ऋणों पर भी जानकारी ली जा सकती है। इस प्रभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक विदेशी सहायता पुस्तिका की ''साफ्ट कापी'' किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा संदर्भ के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

10.4.3 इस प्रभाग ने पीआईए से इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रतिपूर्ति दावों के आहरण द्वारा कमी को प्रस्तुत करने/प्राप्त करने के लिए पहल की है। जहां कहीं पीआईए प्रभाग की बेवसाईट पर ई-सबमिशन से ईमेल-तक पहुंच की सुविधा है वे ई-दावे (विश्व बैंक और एडीबी देखे) जमा कर सकते हैं। इन दावों को प्रस्तुत करने में आने वाली समस्याओं का समाधान इस कार्यालय द्वारा किया जाएगा एसओई/अन्तरिम अप्रयुक्त वित्तीय रिपोर्ट, ई-दावों के रूप में स्वीकार की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप समय/पारगमन के हानि से बचा गया और शीघ्र संवितरण हुए। विश्व बैंक के मामले मे ये दावे ई-संवितरण माध्यम के द्वारा इस प्रभाग के विश्व बैंक से जुडी हुई विश्व बैंक साफ्टवेयर/क्लाईंट से जमा किए जाएंगे। सात दिनों के अन्दर विश्व बैंक द्वारा दावों के संवितरण में 70% से 87% सुधार हुआ है और ई-संवितरण के अधीसूचना (अथवा श्रेणी वार व्यय, पूर्व समीक्षा अनुबंध का ब्यौरा) के कार्यान्वयन से पहले की तुलना में विस्तृत ब्यौरों में भी सुधार हुआ है।

10.4.3 पीआईए के अधिकारियों/स्टाफ को अवगत कराने के लिए पिछले कुछ वर्षों से समय-समय पर प्रभाग द्वारा ई-प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में 2012-13 के दौरान विभिन्न पीआईए के कुल 15 अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रभाग द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप 204 दावे ई-प्रणाली के जरिए प्राप्त हुए हैं।

सेवा सुपुर्दगी में मानक और सुधार

इस प्रभाग की सभी गतिविधियां श्रेणीबद्ध ढंग से आयोजित की जाती हैं तथा प्रत्येक स्तर पर समयावधि के संदर्भ में उनको पूरा करने के लिए मानक परिभाषित किए गए हैं। निर्धारित मानक सघन निगरानी में रखे हैं। इस प्रभाग के उपयोगकर्त्ता सुपरिभाषित हैं तथा उनके तीन बड़े समूह हैं अर्थात् ऋणों/अनुदानों का सुचारू और शीघ्र संवितरण; समयबद्ध ऋण सेवाएं तथा जब कभी जरूरत पड़े, प्रबंधन सूचना प्रदान करना है।

निष्पादन मानकों में सतत सुधार सुनिश्चित करने के लिए, तिमाही प्रबंधन समीक्षा बैठकें (एमआरएम) आयोजित की जा रही हैं। एमआरएम में इस प्रभाग के अधिकारियों द्वारा निष्पादन की गहराई से समीक्षा की जाती है तथा सेवा सुपुर्दगी मानकों के रखरखाव/सुधार के लिए पद्धतियों/सुझावों पर चर्चा की जाती है।

निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा सुपुर्दगी को सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त प्रणाली अपनाई जा रही है।

11. द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग

11.1 यूरोप-I अनुभाग

भारत-यूके द्विपक्षीय विकास समन्वयन कार्यक्रम

11.1.1. यूनाईटेड किंगडम (यूके) इसके अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के जरिये 1958 से भारत को विकास सहायता उपलब्ध करा रहा है। यूके से विकास सहायता मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा प्रशासनिक सुधारों, मलिनावास विकास आदि क्षेत्रों में सहस्राब्दि लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्राप्त किया जाता है।

11.2.2. यूके 2011-12 से 2014-15 तक इसकी परिचालन योजना के वर्तमान चरण के दौरान 920 मिलियन पाउण्ड तक विकास सहायता उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध है।

11.2.3. 2013-14 के दौरान, 77.90 मिलियन पाउण्ड की तकनीकी सहायता हेतु सात परियोजना करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आर्थिक कार्य विभाग ने निजी क्षेत्र विकास पहल के तहत 125.5 मिलियन पाउण्ड के निवेश वाली तीन परियोजनाओ के कार्यान्वयन हेतु डीएफआईडी को अनुमोदन भी दिया है।

11.2 यूरोप-IV अनुभाग

11.2.1. 22.07.2013 को नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक वार्ता बैठक के दौरान, जर्मनी सरकार ने द्विपक्षीय विकास समन्वयन के लिए 1.09 बिलियन यूरो की राशि वाली निधियों की प्रतिबद्धता की थी। यह 1958 से अभी तक की गई प्रतिबद्धता में से सबसे उच्च है। वित्तीय समन्वयन पर अमब्रेला करार नौ परियोजनाओं नामतः हिमालय हाईड्रोपावर प्रोग्राम (एचपीपीसीएल), ग्रीन एनर्जी कारिडॉर्स, एनर्जी इफिशॉन्ट न्यू रेजीडेंशियल हाउसिंग-स्स्र (एनएचबी) के लिए संवर्धनिक कार्यक्रम, थर्मल पावर प्लांटस में ऊर्जा दक्षता (डब्ल्यूबीपीडीसीएल), वहनीय आवास कार्यक्रम (एनएचबी), न्यू एपरोचिज माइक्रोफाईनेंस और माइक्रोएंटरप्राइस फाईनेंस (सिडबी), मिसिंग मिडिल प्रोग्राम (सिडबी), मध्य प्रदेश अर्बन सेनिटेशन और एंवायरमेंट प्रोग्राम तथा हिमाचल प्रदेश फोरेस्ट इकोसिस्टम कलाईमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी सरकार से रियायती ऋणों से संबंधित है। तकनीकी समन्वयन के लिए अमब्रेला करार ऊर्जा, वातावरण और स्थायी आर्थिक विकास क्षेत्रों में तेरह परियोजनाओं से संबंधित है।

11.3 उत्तरी अमरीका अनुभाग

11.3.1 भारत-संयुक्त राज्य वित्तीय भागीदारी के अधीन तीसरी उप-मंत्रिमंडल स्तर की बैठक 22 मार्च, 2013 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) और अमरीका के अंतर्राष्ट्रीय मामलों हेतु राजकोष के अंडर सेक्रेटरी द्वारा की गई। इस बैठक में बृहत अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेश, निवेश, अवसंरचना वित्त आदि मुद्दों पर चर्चा की गई।

11.3.2 भारत-कनाडा आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र नीति संवाद की उद्‌घाटन-भाषण बैठक 9 जुलाई, 2013 को ओटावा, कनाडा में हुई। संवाद की संयुक्त अध्यक्षता सचिव (आर्थिक कार्य) और श्री जीन बोईविन, सहायक उप वित्त मंत्री, कनाडा के द्वारा की गई। बैठक में बैंकिंग, बीमा और निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।

11.3.3 9-12 जुलाई, 2013 के दौरान **वित्त मंत्री ने अमरीका की यात्रा की।** इस यात्रा के दौरान, वित्त मंत्री अमरीका के राजकोष सचिव, श्री जैक लेव से मिले। बैठक के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी), अंतरण मूल्य निर्धारण, राशिकरण करार, विदेशी लेखा कर अनुपालन अधिनियम, तरजीही बाजार पहुंच, धनशोधन रोधी और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि श्री माइकल फ्रोमैन से मुलाकात की और सौर मिशन के अंतर्गत स्थानीय विषय संबंधी जरूरतों, बीआईटी, द्विपक्षीय व्यापार आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

11.3.4. वित्त मंत्री ने 10-11 जुलाई, 2013 को वाशिंगटन में माइक्रोसोफ्ट, वालमार्ट, लाकहीड मार्टिन इन्टरनेशनल, इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कारपोरेशन, बोईंग जैसी अग्रणी अमरीकी कंपनी के उच्च कार्यपालकों से भेंट की। वित्त मंत्री ने 11 जुलाई, 2013 को वाशिंगटन में 38 यूएसआईबीसी वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण संबोधन किया। उन्होंने इस दौरे के दौरान सिनेटरों और कांग्रेस जनों से भी भेंट की। वित्त मंत्री ने 12 जुलाई, 2013 को वाशिंगटन में हुई भारत-अमरीकी सीईओ मंच की बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया।

11.3.5 **चौथी भारत-अमरीका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी वार्ता** 13 अक्तूबर, 2013 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई और भारतीय पक्ष से इसका नेतृत्व वित्त मंत्री ने किया और अमरीकी पक्ष का नेतृत्व अमरीका के राजकोष मंत्री श्री जैक लेव और फैडरल रिजर्व के अध्यक्ष श्री बेन बरनांके ने किया।

11.4 जापान अनुभाग

जापान सरकार से सरकारी विकास सहायता

11.4.1 जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता दे रहा है। भारत को जापानी सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण की **संचयी वचनबद्धता** 31 जनवरी, 2014 तक दो सौ उनतालीस व्यष्टि ऋण करारों के लिए वचनबद्धता आधार **पर 4095.471 बिलियन येन** तक पहुंच गई।

11.4.2 कैंलेंडर वर्ष 2013 में जापान सरकार ने निम्न परियोजनाओं हेतु जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सरकारी विकास सहायता ऋण की वचनबद्धता की हैः

(i) डेडिकेटिड फ्रेट कारिडोर परियोजना (चरण-2 (II) 136.119 बिलियन जापानी येन।

(ii) चेन्नई मेट्रो परियोजना (III) बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार परियोजना (चरण-2) 48.691 बिलियन जापानी येन।

(iii) बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार परियोजना (चरण-2) 21.426 बिलियन जापानी येन।

(iv) पश्चिम बंगाल पाईप्ड जलापूर्ति परियोजना (पुरूलिया) 14.225 बिलियन जापानी येन।

(v) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद की परिसर विकास परियोजना (चरण-2) 17.703 बिलियन जापानी येन और

(vi) तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम 13.000 बिलियन जापानी येन।

11.5 सीआईई-II अनुभाग

11.5.1 वर्ष 2013 (अप्रैल 2013 से दिसंबर 2013 तक) के दौरान भारत सरकार से सहायता प्राप्त ऋण श्रृंखलाओं का विस्तार भारत के निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से करने के निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैंः

11.5.2 गैर-अफ्रीकी देश

(i) म्यांमार सरकार को 155 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(ii) क्यूबा सरकार को 5.0492 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(iii) कोलंबिया सरकार को 36.92 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(iv) होंडुरास सरकार को 26.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(v) लाओ पीडीआर सरकार को 30.94 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

11.5.3. अफ्रीकी देश

(i) इथोपिया सरकार को 300 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(ii) बेनिन सरकार को 42.61 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(iii) मारीशस सरकार को 46 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(iv) मोजाम्बिक सरकार को 47 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(v) रवांडा सरकार को 120.05 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(vi) लाईबेरिया सरकार को 144 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(vii) सिएरा लियोन सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(viii) घाना सरकार को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

(ix) नाइजर सरकार को 34.54 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला

12. एकीकृत वित्त प्रभाग

एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रमुख वित्त मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं। यह प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग को भी सेवा प्रदान करता है।

12.1 यह प्रभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैः

12.1.1 आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग को व्यय संबंधी प्रस्तावों की सहमति के लिए जांच-पड़ताल करने हेतु तथा वित्तीय परामर्श प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, उक्त विभागों के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों जैसे सुरक्षा अपीलीय अधिकरण (एसएटी)/राष्ट्रीय बचत संस्थान वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएल आरसी)/चौदहवां वित्त आयोग (14 वां एफसी)/जी-

20 सचिवालय/अभिरक्षा कार्यालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण हेतु अपीलीय प्राधिकरण/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/विशेष न्यायालय कार्यालय, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण ऑफिस ऑफ कोर्ट लिक्विडेटर, कोलकाता को भी उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु।

12.1.2 व्यय विभाग के अनुसार व्यय का यौक्तिकीकरण और मितव्ययिता उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय नियंत्रण और प्रबंधन करना जिसमें मासिक/तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से व्यय की नियमित रूप से मॉनिटरिंग और संबंधित सचिवों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

12.1.3 यह प्रभाग अनुदानों की दो विस्तृत मांगों अर्थात अनुदान सं.-33 आर्थिक कार्य विभाग और अनुदान सं.34 वित्तीय सेवा विभाग का प्रबंध करता हैं। इस कार्य में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/अंतिम आवश्यकतों का अनुमान/बचतों का अभ्यर्पण, पुनर्विनियोग और शीर्षवार विनियोग लेखों की विधीक्षा को अंतिम रूप देना शामिल है।

12.1.4 समग्र वित्त मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों का समन्वयन और मुद्रण।

12.1.5 वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा वर्ष की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की जांच संबंधी सभी मामलों के समन्वयन हेतु।

12.1.6 वित्त मंत्रालय के परिणाम बजट का समन्वयन, संकलन, मुद्रण और संसद में प्रस्तुतिकरण। साथ ही, आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग में विभिन्न एककों के परिणामी बजट लक्ष्यों की मॉनिटरिंग करने हेतु।

12.1.7 लोक लेखा समिति/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के ऑडिट पैरों संबंधी उत्तरों की मॉनिटरिंग हेतु।

12.1.8 प्रभाग द्वारा शासित अनुदानों से संबद्ध बजटीय स्थिति नीचे दर्शाई गई हैः

अनुदानों के बजटीय आबंटन (निवल आधार पर)

(करोड़ रु.)

अनुदान	**आयोजना**	**ब.अ. 2013-14**	**सं.अ. 2013-14**	**दिस.2013 तक व्यय**	**सं.अ. दिस.2013 तक व्यय के संदर्भ में %**
33-आर्थिक	आयोजना	4040.00	560.45	2463.33	43.75
कार्य	आयोजना-भिन्न	25837.38	4975.25	3159.01	59.15
विभाग	**जोड़**	**29877.38**	**10605.70**	**5622.34**	**53.01**
34-वित्तीय	आयोजना	16088.00	18188.00	15977.99	87.85
सेवा	आयोजना-भिन्न	7281.39	7391.70	5526.73	74.77
विभाग	**जोड़**	**23369.39**	**25579.70**	**21504.72**	**84.07**

प्रभावी व्यय नियंत्रण हेतु अनुसरित की जाने वाली सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं;

(क) व्यय संबंधी प्रगति की मासिक समीक्षा मुख्य शीर्ष/योजनावार ब्यौरा सहित संबंधित सचिवों के साथ की जाती है।

(ख) ब.अ. आंकड़ों की तुलना में मुख्य शीर्षवार और योजनावार व्यय संबंधी प्रगति वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में लगाई जाती है।

(ग) आंतरिक लेखापरीक्षा करवाकर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाता है।

(घ) परिणाम बजट में शामिल विभागों की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रति माह मॉनिटरिंग की जाती है।

12.2 उपलब्धियां

''परिणाम बजट 2013-14 में शामिल स्कीमों के संबंध में हुई वित्तीय प्रगति निम्नानुसार हैः

12.2.1 अनुदान सं.33- आर्थिक कार्य विभाग

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	ब.अ. 2013-14	सं.अ 2013-14	दिस. 2013 तक व्यय	सं.अ. 2013-14 के संदर्भ में %
1	मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहण से रेलवे सुरक्षा कार्यों हेतु अंशदान (आयोजित स्कीम)	1102.45	1102.45	826.83	75.00
2.	मुख्य शीर्ष 5475 -अवसंरचना विकास हेतु सहायता - अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी (आयोजना स्कीम)	678.00	678.00	256.00	37.76
3.	मुख्य शीर्ष - भारतीय एक्सिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)	416.5	416.5	318.37	76.44
4	मुख्य शीर्ष 3605- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग, कोलम्बों प्लान के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता; अंशदान	0.50	0.50	0.08	16.00

12.2.2 अनुदान सं. 34 - वित्तीय सेवा विभाग

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	ब.अ. 2013-14	सं.अ 2013-14	दिस. 2013 तक व्यय	सं.अ. 2013-14 के संदर्भ में %
1.	मुख्य शीर्ष 2235-वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	134.23	115.81	0.00	0.00
2.	मुख्य शीर्ष 2235-स्वावलम्बन योजना	170.00	155.00	36.34	23.45
3.	मुख्य शीर्ष 2235-आम आदमी बीमा योजना को सरकारी अंशदान	5.01	4.51	4.50	99.78
4.	मुख्य शीर्ष 2416-किसानों को अल्पावधिक ऋण देने के लिए ब्याज-सहायता	6000.00	6000.00	5400.00	90.00
5.	मुख्य शीर्ष 2416-महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि हेतु नाबार्ड को सहायता-अनुदान **(आयोजना)**	100.00	100.00	0.00	0.00
6.	मुख्य शीर्ष 2885-नोडल एजेंसी अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान	200.00	80.00	0.00	0.00
7.	मुख्य शीर्ष 3465-भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू में अभिदान हेतु प्रतिभूति मोचन निधि के अंतरण	625.00	625.00	0.00	0.00
8.	मुख्य शीर्ष 4416-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनःपूंजीकरण-**(आयोजना)**	88.00	88.00	27.99	31.81
9.	मुख्य शीर्ष 4416-नाबार्ड की शेयर पूंजी में अभिदान-**(आयोजना)**	700.00	700.00	700.00	100.00
10.	मुख्य शीर्ष 4885-इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी में अभिदान - **(आयोजना)**	400.00	400.00	400.00	100.00
11.	मुख्य शीर्ष 4885-एक्सिम बैंक शेयर पूंजी में अभिदान-**(आयोजना)**	700.00	700.00	700.00	100.00
12.	मुख्य शीर्ष 5465-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण-**(आयोजना)**	14000.00	14000.00	13050.00	93.21

अध्याय-II

व्यय विभाग

1. कार्यकलाप और संगठनात्मक ढ़ांचा

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। इस विभाग के प्रमुख क्रिया-कलापों में प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर योजना व्यय दोनों) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को अंतरित अधिकांश केन्द्रीय बजट संसाधनों का प्रबंधन, वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना, वित्त सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन का निरीक्षण करना तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/प्रेक्षणों की मॉनिटरिंग के माध्यम से वित्तीय नियमावली/विनियमों/आदेशों का प्रशासन, केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करना, केन्द्र सरकार में कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत एवं मूल्य नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की सहायता करना, स्टाफिंग पद्धति एवं ओ एंड एम अध्ययनों की समीक्षा करके संगठनात्मक पुनर्संरचना में सहायता करना और सार्वजनिक व्यय के इष्टतम आउटपुट और परिणामों के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना शामिल है। यह विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों में समन्वय भी करता है जिसमें मंत्रालय का संसद से संबंधित कामकाज शामिल है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

1.1 विभाग को आबंटित कार्य इसके स्थापना प्रभाग, योजना वित्त-I एवं II प्रभागों, वित्त आयोग प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, मुख्य सलाहकार लागत, महालेखा नियंत्रक कार्यालय और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं।

2. संस्थापना प्रभाग

2.1 संस्थापना प्रभाग, संयुक्त सचिव (कार्मिक) के तहत कार्य करता है तथा केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन संरचना और सेवा-शर्तों के निर्धारण से संबंधित मामलों को देखता है जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश, मजदूरी नीति का विनिश्चय, वेतनमानों में संशोधन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के मूलभूत सिद्धांतों, वेतन अनुसंधान, मकान किराया भत्ता, यात्रा/दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न अन्य प्रतिपूरक भत्तों, उत्पादकता से जुड़ा बोनस, सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, स्टाफ कार नियमावली, स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्ताव, मितव्ययिता अनुदेश आदि शामिल हैं। संस्थापना प्रभाग, व्यय विभाग से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए भी उत्तरदायी है।

2.2 व्यय विभाग परिणाम बजट तैयार किए जाने के संबंध में अनुदेश/निदेश जारी करता है, जिसमें वित्तीय बजट के भौतिक आयाम और अगले वर्ष का वास्तविक निष्पादन भी दर्शाया जाता है। फ्लैगशिप स्कीमों के परिणाम बजटों का एक संकलन भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

2.3 गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने और इस प्रकार प्राथमिकता वाली स्कीमों के लिए अतिरिक्त संसाधन जारी करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय समय-समय पर व्यय प्रबंधन और आर्थिक उपायों तथा व्यय को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। ऐसे उपायों का उद्देश्य सरकार की प्रचालन संबंधी दक्षता को अवरुद्ध किए बगैर राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। ऐसे अनुदेश पिछली बार दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को जारी किए गए थे। न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया है।

3. योजना वित्त-I प्रभाग

3.1 राज्य योजना स्कीमें:

विभिन्न राज्य योजना स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। सामान्य केन्द्रीय सहायता एवं विशेष केन्द्रीय सहायता (खुली) के अतिरिक्त, मांग सं. 36 के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)

जैसी विभिन्न नियमित योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को धन मुहैया कराया जाता है।

3.2 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सहायता अनुदान

तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी अधिनिर्णय अवधि 2010-2015 के लिए राज्यों हेतु 3,18,581 करोड़ रु. की सहायता अनुदान की सिफारिश की। तेरहवें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, मॉडल जीएसटी के कार्यान्वयन हेतुः 50,000 करोड़ रु; स्थानीय निकायः 87,519 करोड़ रु; आपदा राहतः 26,373 करोड़ रु; गैर-योजना राजस्व घाटाः 51,800 करोड़ रु; कार्य निष्पादन प्रोत्साहनः 1,500 करोड़ रु; प्राथमिक शिक्षाः 24,068 करोड़ रु; पर्यावरणः 15,000 करोड़ रु; बेहतर परिणामः 14,446 करोड़ रु; सड़कों और पुलों का रखरखावः 19,930 करोड़ रु; और राज्य-विशिष्ट आवश्यकताएंः 27,945 करोड़ रु. के सहायता अनुदान की सिफारिश की है।

वर्ष 2013-14 के लिए, 62,134.40 करोड़ रु. के आबंटन में से 31.12.2013 तक 34,672.42 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है। तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी अधिनिर्णय अवधि 2010-15 के लिए राज्यों हेतु 3,18,581 करोड़ रु. के अनुदान की सिफारिश की है। अनुदान जारी किया जाना, उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति सहित निर्धारित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है। 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए अनुदान की स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैः

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	श्रेणी	कुल अनुदान (2010-15)	2013-14 आबंटन	2013-14 जारी किया गया अनुदान (31.12.2013 की स्थिति के अनुसार)
1.	अंतरण के बाद गैर-योजना राजस्व घाटा	51800	10074.00	8395.83
2.	स्थानीय निकाय	87519	22972.46	8851.57
3.	सड़कों और पुलों का रखरखाव	19930	5175.00	4147.00
4.	राज्य विशिष्ट आवश्यकताएं	27945	6723.75	1197.23
5.	आपदा राहत (राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और क्षमता निर्माण के लिए)	26373	5520.17	4500.18
6.	निष्पादन प्रोत्साहन	1500*	0.00	0.00
7.	प्राथमिक शिक्षा	24068	5540.00	4895.00
8.	पर्यावरण	15000	2500	950.48
9.	शासन	14446	3629.02	1735.13
10.	मॉडल जीएसटी का कार्यान्वयन	50000	0.00	0.00
	जोड़	**318581**	**62134.40**	**34672.42**

* तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए निष्पादन प्रोत्साहन की सिफारिश की है।

3.3 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, जो एक उपकर आधारित कोष है, में चक्रवात, सूखा, शीत लहर/पाला गिरना, भूकम्प, आग, बाढ़, सुनामी, ओला-वृष्टि, भू-स्खलन, बर्फ की चट्टान सरकना, मूसलाधार वर्षा और कीट आक्रमण जैसी अनेक घोर आपदाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष तत्काल राहत पहुंचाने के लिए है। परिसम्पत्तियों के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण का वित्तपोषण राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से न होकर केन्द्र और राज्यों की सम्पूर्ण विकास योजनाओं के माध्यम से किया जाता है।

2013-14 में एनडीआरएफ के लिए 4800.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। 31.12.2013 तक 3202.43 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 2013-14 के लिए एसडीआरएफ के केन्द्र के हिस्से के लिए 5415.17 करोड़ रु. का बजट

प्रावधान है जिसमें से 31.12.2013 तक 4468.18 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

3.4 राज्य वित्त

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए संशोधित राजकोषीय समेकित रोडमैप तैयार किया है। समग्र स्तर पर, राज्यों को 2014-15 तक अपना राजस्व घाटा समाप्त करना है और अपने राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी के 3% तक लाना है। 2014-15 तक राज्यों को अपने बकाया ऋण को भी, वर्ष 2008-09 के 27% के स्तर से घटाकर 24.3% तक लाना है।

राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों द्वारा लागू किए गए राजकोषीय सुधार बजट प्रबंधन अधिनियमों (एफआरबीएमए) के अधिनियमन और संघ सरकार द्वारा तेजी से किए गए कर अंतरणों के परिणाम और संघ को देय राज्य सरकार की देनदारियों के लिए 12वें और 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण समेकन पैकेज के साथ जुड़ी हुई है, इसके अतिरिक्त, 2010-11 और 2011-12 के लिए पात्र राज्यों को एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत प्रदान की गई है। बजट प्राक्कलनों में परिलक्षित राजकोषीय अनुपालन पर आधारित अनंतिम आधार पर 2012-13 के लिए 15 राज्यों और 2013-14 में 19 राज्यों को एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत प्रदान की गई है। सीएसएस/सीपीएस के लिए राज्यों को 31 मार्च, 2010 को अग्रिम रूप में दिए गए केन्द्रीय ऋणों में से बकाया 2050.10 करोड़ रु. वर्ष 2011-12 में और 220.83 करोड़ रु. 2012-13 में बट्टे खाते डाले गए। इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान बट्टे खाते डाले जाने वाली शेष राशि के लिए अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच में 63.69 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है।

3.5 सभी राज्यों का 2013-14 (बजट प्राक्कलन) दर्शाता हैः

तेरहवें वित्त आयोग के राजस्व घाटे के 0.1% के अनुमानों की तुलना में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का कुल लगभग 0.49% तक हो गया है।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 2.4% के लक्ष्य की तुलना में कुल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.11% है।

कुल ऋण और जीडीपी का अनुपात 20.9% है जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 24.8% के लक्ष्य के अंदर है।

इस प्रकार, समग्र तौर पर राज्य, एफआरबीएमए की अपेक्षाओं से बढ़कर, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ रहे।

4. योजना वित्त-II प्रभाग

योजना वित्त-II प्रभाग का संबंध मुख्यतः केन्द्रीय योजना से संबंधित मामलों से है। विकास संबंधी स्कीमों और परियोजनाओं के संबंध में बेहतर परियोजना निरूपण; आउटपुट, डिलीवरेवल्स, प्रभाव आकलन और कनवर्जेंस पर विशेष बल के जरिए विकासात्मक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है।

4.1 कैलेंडर वर्ष 2013 (1 जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2013 तक) के दौरान व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की 86 और सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की 5 बैठकें हुईं। लगभग सभी 12वीं योजना आयोग स्कीमों का मूल्यांकन और अनुमोदन पूरा हो गया है।

4.2 योजना वित्त-II प्रभाग, ''सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्गठन ब्यूरो'' (बी.आर.पी.एस.ई.) की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन को भी देखता है। यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के तौर-तरीके तैयार करने, बजट तैयार करने के लिए आई.एंड ई.बी.आर. सृजन के परिमाणन, उत्पादन में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संयंत्रों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण को अंतिम रूप देने में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का सचिवालय भी है, जिसके संबंध में परियोजना के मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

4.3 योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडी से संबंधित मुद्दों को भी देखता है, जिनमें हितधारकों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा निर्धारित करना एवं दिया जाना शामिल है। यह प्रभाग, संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ सरकार की सब्सिडी नीति को बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहता है ताकि सरकार पर न्यूनतम भार डालते हुए प्रभावी लक्ष्य सुनिश्चित किए जा सकें।

5. एकीकृत वित्त एकक (आईएफयू)

5.1 एकीकृत वित्त एकक, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करता है और व्यय विभाग की अनुदान सं. 39 के तहत व्यय तथा बजट संबंधी प्रस्तावों को देखता है जिसमें शामिल हैं (i) सचिवालय सामान्य सेवाएं जिसमें व्यय विभाग, महालेखानियंत्रक, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त आयोग प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा और मुख्य लेखा नियंत्रक के लिए संस्थापना बजट और (ii) अन्य प्रशासनिक सेवाएं जिसमें शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के लिए बजट; अंतर्राष्ट्रीय निकाय (एजीएओए) को अंशदान और नई पेंशन योजना के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को सेवा प्रभारों के भुगतान से संबंधित बजट।

5.2 इस एकक द्वारा अनुदान सं. 40 - पेंशन ; और अनुदान सं. 41 - भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अंतर्गत व्यय की निगरानी भी की जाती है।

6. लोक प्रापण नीति प्रभाग

6.1 लोक प्रापण समिति की रिपोर्ट के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और लोक प्रापण विधेयक का प्रारूप तैयार करने तथा अन्य संबंधित मामलों जैसे नियमों का प्रारूप तैयार करने और केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के गठन के संबंध में इस विभाग में जून, 2011 में एक लोक प्रापण प्रकोष्ठ (पीपीसी) गठित किया गया था। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा लोक प्रापण विधेयक, 2012 पर विचार किया जा रहा है।

6.2 लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना और आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और यह पोर्टल www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इस समय, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्र तथा सौंपी गई संविदाओं के विवरण का ई-प्रकाशन दिनांक 01.01.2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बना दिया गया है।

6.3 इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-प्रापण कार्यान्वित किया जाए और 10 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के संबंध में चरणबद्ध तरीके से ई-प्रापण प्रारंभ करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। ई-प्रापण के प्रयोग से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और प्रापण अधिक दक्ष बनेगा। इससे विलंब पर निगरानी रखने और प्रापण चक्र में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।

7. कर्मचारी निरीक्षण एकक (एसआईयू)

कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन पदों को युक्तिसंगत बनाने तथा निष्पादन मानक एवं कार्य मानदंड विकसित करने के उद्देश्य से भी निरीक्षणों के कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी कार्यालयों के कार्यबल की समीक्षा करने के उद्देश्य से वर्ष 1964 में किया गया था और यह एकक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। कर्मचारी निरीक्षण एकक दक्षता से समझौता किए बगैर संगठनात्मक कार्यसाधकता में सुधार करने की दृष्टि से कार्य को सरल बनाने के उपाय भी तलाशता है। कर्मचारी निरीक्षण एकक और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच वित्त सलाहकार ही मुख्य कड़ी हैं। कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा कार्यबल अध्ययन किए जाने के लिए सभी अनुरोध संबंधित वित्त सलाहकारों के माध्यम से किए जाते हैं। अध्ययन किए संगठन के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् अध्ययन रिपोर्ट जारी की जाती हैं और तीन माह की निर्धारित अवधि के अंदर संबंधित संगठन द्वारा इन रिपोर्टों का कार्यान्वयन किया जाना अनिवार्य समझा जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन कर्मचारी निरीक्षण एकक के क्षेत्राधिकार में नहीं आते और कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा इन संगठनों का अध्ययन एक प्रमुख सदस्य के रूप में किया जाता है।

कर्मचारी निरीक्षण एकक ने वर्ष 2013-14 के दौरान नारियल विकास बोर्ड, कृषि मंत्रालय का कार्यबल अध्ययन पूरा किया है जिसमें 272 स्वीकृत पद शामिल थे तथा कुछ अन्य अध्ययन प्रगति पर हैं।

8. महालेखानियंत्रक (सीजीए)

महालेखानियंत्रक, केन्द्र सरकार का शीर्षस्थ लेखांकन प्राधिकरण है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लेखों के स्वरूप के निर्धारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है।

महालेखानियंत्रक का कार्यालय, संघ सरकार के लेखाओं के मासिक समेकन के लिए उत्तरदायी है। इसके वित्तपोषण के स्त्रोत प्रत्येक माह केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आय की मासिक प्रवृत्ति, भुगतान, घाटे एवं कार्यप्रणाली का विस्तृत विश्लेषण, संघ सरकार के लेखाओं का सारांश प्रति माह इंटरनेट पर भी जारी किया जाता है। ये आंकड़े वेबसाइट http://www.cga.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

महालेखानियंत्रक का कार्यालय, वित्त वर्ष के पूरा होने के दो माह के भीतर भारत सरकार के अनंतिम लेखे भी तैयार करता है।

महालेखानियंत्रक का कार्यालय, रिजर्व बैंक की जमा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उचंत का मिलान करता है, सरकारी लेनदेन अर्थात सिविल एवं गैर-सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन संभालने के लिए प्रत्यायित बैंकों को प्राधिकृत करता है और उनमें रद्दो-बदल करता है, सिविल और गैर-सिविल मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रत्यायित बैंकों द्वारा सरकारी लेनदेन के कामकाज की समीक्षा करने के लिए स्थायी समिति की बैठकों, शीर्ष समिति की बैठकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की बैठकों का आयोजन करता है तथा विभिन्न बैंकों/मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त संबंधित मामलों का निपटान करता है।

8.1 योजना वित्त प्रबंधन तंत्र

योजना वित्त प्रबंधन तंत्र, योजना आयोग की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम है और राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहभागिता से महालेखानियंत्रक के कार्यालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- पीएफएमएस, कोष प्रबंधन तथा कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों को ई-भुगतान करने के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन लेन-देन प्रणाली है।
- पीएफएमएस का प्राथमिक उद्देश्य, भारत सरकार की योजना स्कीमों के लिए एक सक्षम निधि प्रवाह प्रणाली की स्थापना करना है।
- यह विभिन्न हितधारकों को विश्वसनीय एवं सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली और एक कारगर निर्णय समर्थन तंत्र भी उपलब्ध कराता है।
- इस प्रणाली में सरकार की योजना स्कीमों के निधि प्रबंधन के लिए संपूर्ण समाधान की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने योजना लेखांकन एवं लोक वित्त प्रबंधन तंत्र (पीए एंड पीएफएमएस) जिसे केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी तंत्र (सीपीएसएमएस) के नाम से भी जाना जाता है, को 1080 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से वर्ष 2017 तक चार वर्ष के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

8.2 महालेखानियंत्रक के कार्यालय की ई-शासन संबंधी पहल

निर्बाध इंटरफेस और आंकड़ों के संप्रेषण की सहायता से, प्रयोग के सभी स्तरों के लिए एक समेकित भुगतान एवं लेखांकन प्रणाली विकसित किए जाने की दृष्टि से महालेखानियंत्रक के अधीन कोर बैंकिंग प्रणाली की विद्यमान आईटी क्षमताओं और सिविल लेखा संगठन के अनुप्रयोग सॉफ्टवेअर प्रकार्यों का उपयोग करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ, भारत सरकार को एक भुगतान गेटवे उपलब्ध कराने के लिए सरकारी ई-भुगतान गेटवे (जीईपीजी) की परिकल्पना की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, भौतिक चैक प्रक्रमण तंत्र और उससे जुड़े परंपरागत मुद्दे काफी हद तक समाप्त हो गए हैं और इससे चैक-सूची का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण सुनिश्चित हो जाने से समाधान अवधि में कमी आई है।

8.3 शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान

महालेखानियंत्रक के प्रशिक्षण स्कंध के तौर पर शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान (इनगैफ) को भारतीय सिविल लेखा संगठन के लेखा कार्मिकों की व्यावसायिक योग्यता को सुदृढ़ करने का कार्य सौंपा गया है। पिछले कुछ वर्षों में इनगैफ ने संगठन की तेजी से बदलती जरूरतों और वित्तीय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, राजकोषीय और बजट संबंधित सुधारों, आंतरिक लेखापरीक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, अत्याधुनिक क्षमता निर्माण पर अपनी रणनीति केन्द्रित करने के लिए अपना विवधिकरण किया है।

कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान, इनगैफ ने मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर व्यावसायिक कौशल के उन्नयन के साथ-साथ प्रारंभिक और प्रवेश स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जिसमें लगभग 7,000 प्रतिभागी शामिल थे।

9. मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए)

मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए), वित्त मंत्रालय के लेखांकन संगठन का समग्र प्रभारी है।

मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के 5 विभागों यथा आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग एवं वित्तीय सेवाएं विभाग के भुगतान, लेखांकन और आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करता है।

मुख्य लेखा नियंत्रक का एक और महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग है। वित्त मंत्रालय के मासिक लेखाओं और वार्षिक लेखाओं को समेकन हेतु महालेखानियंत्रक के कार्यालय को भेजा जाता है।

10. मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय

मुख्य सलाहकार लागत (सी ए सी) का कार्यालय, लागत लेखा मामलों पर मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों को सलाह देने तथा उनकी ओर से लागत की जांच कार्य के लिए उत्तरदायी है। मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय एक प्रभाग है जो व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह एक व्यावसायिक दक्षता प्राप्त निकाय है जिसके कर्मचारी लागत/सनदी लेखाकार हैं।

मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, लागत निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों, उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए औद्योगिक इकाई स्तर पर अध्ययनों, उपभोक्ता प्रभारों से संबंधित अध्ययनों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशमन मामलों, परियोजनाओं के लागत-लाभ विश्लेषण, लागत कटौती पर अध्ययनों, लागत दक्षता, पूंजी-गहन परियोजनाओं के लाभप्रदता मूल्यांकन के विश्लेषण के कार्य तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए लागत एवं वाणिज्यिक वित्तीय लेखांकन से संबंधित आधुनिक प्रबंधन उपायों के अनुप्रयोग के मामलों को देखता है।

मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय द्वारा जनवरी से दिसंबर, 2013 की अवधि के दौरान 52 अध्ययन पूरे किए गए। इन अध्ययनों के फलस्वरूप सरकारी खजाने को काफी बचत होगी।

11. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली

दिनांक 01.01.1990 को स्थापित केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी.पी.ए.ओ.) 'प्राधिकृत बैंकों द्वारा केन्द्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान स्कीम' का संचालन कर रहा है। इसके कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

प्राधिकृत बैंकों को विशेष सील प्राधिकार (एस.एस.ए.) जारी करना।

पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करना और उसका लेखांकन करना।

बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा करना।

सी.पी.ए.ओ. केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व उपराष्ट्रपतियों, पूर्व सांसदों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों और स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी भुगतान प्राधिकार का कार्य देखता है। यह बर्मा एवं नेपाल के पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान का कार्य भी करता है।

सभी बैंकों द्वारा, केन्द्रीय रूप से पेंशन पर कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना और बैंकों के साथ पेंशनभोगियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान मुख्य उपलब्धि रही। वर्ष 2013 के दौरान इस कार्यालय ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन के 298710 मामलों 42400 नए पीपीओ और 256220 पुनरीक्षण/ संशोधन के मामलों पर कार्रवाई की।

12. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम)

वित्त मंत्रालय के एक प्रस्ताव जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, के आधार पर वर्ष 1993 में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की परिकल्पना थी कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए और भारत सरकार में लेखाओं और वित्त का कार्य देखने वाले वरिष्ठ एवं शीर्ष प्रबंधन पदों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार विभिन्न सेवाओं को आबंटित अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शुरूआत करेगा। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का विकास 'भारत में ही नहीं अपितु एशिया में भी' वित्तीय प्रबंधन और संबंधित विषयों के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करना था।

12.1 मुख्य उद्देश्य

(i) संस्थान की स्थापना और प्रबंधन करना।

(ii) वरिष्ठ एवं मध्य स्तरों पर पुनःश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ प्रतिभागी सेवाओं के समूह 'क' सेवाओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा निरंतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।

(iii) उच्चतम स्तर की व्यावसायिक क्षमता और पद्धति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रबंधन में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में संस्थान की स्थापना करना।

(iv) लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्तीय एवं राजकोषीय प्रबंधन और संबंधित विषयों के क्षेत्र में अनुसंधान/परामर्शी अध्ययन करना और उन्हें बढ़ावा देना।

(v) केन्द्र/राज्य सरकारों की सहयोगी सेवाओं के अधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/संस्थाओं के अधिकारियों के लिए वित्तीय एवं राजकोषीय प्रबंधन में शिक्षा को बढ़ावा देना।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और वित्त एवं लेखाओं के क्षेत्र में विशेषतः सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं में बाकी दुनिया में हुई प्रगति के साथ-साथ चलना।

अध्याय-III
राजस्व विभाग

1. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

1.1 लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रू. में)

कर का शीर्ष	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बजट लक्ष्य	निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण (31 दिसम्बर, 2013 तक)	2013-14 के लिए प्राप्त बजट अनुमानों का प्रतिशत (31 दिसम्बर, 2013 तक)
निगम कर	419520	259780	61.92 प्रतिशत
निगम कर से भिन्न कर	248589	155548	62.57 प्रतिशत
कुल	**668109**	**415328**	**62.16 प्रतिशत**

* आंकड़े अनंतिम हैं।

1.2 तलाशी, जब्ती एवं सर्वेक्षण तथा कर-निर्धारण:

1.2.1 कलैण्डर वर्ष 2013 के दौरान व्यक्तियों के 472 समूहों की तलाशी ली गई। इन तलाशियों के दौरान जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य 687.79 करोड़ रू. था और स्वीकार की गई अप्रकट आय 10,722.56 करोड़ रू. थी।

1.2.2 इसके अलावा, हाल की तलाशियों में कर अपवंचन के नए और अभिनव तरीकों का पता चला है। इन गतिविधियों के पर्दाफाश होने से आने वाले वर्षों में विभाग को काफी लाभ प्राप्त होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, आवास प्रवेश संचालकों की संगठित और गहन जांच, विशेष रूप से कोलकाता और दिल्ली में, से आंकड़े की गहन और व्यापक प्रवृत्ति प्राप्त हुई है जिसका भंडार किया गया है, और करदाताओं की एक बड़ी संख्या द्वारा पर्याप्त कर अपवंचन प्रमाणित करने के लिए, वर्तमान और भविष्य के वर्षों में इसका उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार रियल एस्टेट विकास के क्षेत्र में, कई करदाताओं ने संयुक्त विकास समझौतों की आड़ में करों के भुगतान से परिवर्जन किया है। भूमि के संव्यवहार पर कोई पूंजी अभिलाभ का भुगतान नहीं किया गया, हालांकि भूमि का कब्जा पहले से ही लाभकारी स्वामियों में निहित है और भूमि के कानूनी मालिकों, यदि सभी नहीं तो, ने भूमि की बिक्री का सबसे अधिक लाभ उठाया है।

1.2.3 कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के तहत 5764 सर्वेक्षण किए गए जिनमें 18,762.15 करोड़ रू. की अप्रकट आय का पता चला। इस प्रकार के सर्वेक्षणों में पिछले वर्ष की सदृश अवधि की तुलना में काफी हद तक अधिक बेहिसाबी आय का पता चला।

1.2.4 तलाशी मामलों के शीघ्र एवं विवेकपूर्ण केंद्रीकरण तथा कर-निर्धारण प्रक्रियाओं के शीघ्र प्रारंभ पर जोर दिया गया है। जांच निदेशालय और केंद्रीय प्रभारों के बीच आवधिक मासिक बैठकों के आदेश दिए गए, नतीजतन, कई मामलों में, जांच इकाइयों ने और सबूत इकट्ठा करने के लिए कर-निर्धारण कार्यवाही के दौरान जांच संचालित की जिसके परिणामस्वरूप बेहतर कर-निर्धारण किए गए।

1.2.5 अभियोजन: इस क्षेत्र में और अधिक केंद्रित निगरानी के कारण 79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए अभियोजन मामलों की संख्या वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 149 से वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 267 तक बढ़ गई है।

अभियोजन आंकड़े

वित्त वर्ष	शुरू किए गए मामले	निर्णीत मामले	अभिशस्त मामले	संयोजित मामले	सफल मामले (4 +5)	सफलता दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010-11	178	356	51	83	134	37.6
2011-12	149	593	14	397	411	69.3
2012-13	267	164	15	96	111	67.7

1.2.6 प्रत्यक्ष कर कानूनों में अपराधों को संयोजित करने की व्यवस्था है। संयोजित आवेदनों के त्वरित निपटान को बढ़ावा देते समय, ऐसे व्यक्तियों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने के प्रयास किए जाते हैं जिन्होंने गंभीर व्यतिक्रम किया है। चालू वर्ष के दौरान, अदालतों ने आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियोजनों में कई व्यक्तियों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

1.3 देश के अंदर और बाहर दोनों में बेहिसाबी आय/धन के कर-निर्धारण पर अध्ययन: सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ देश के अंदर और बाहर दोनों में बेहिसाबी आय का कर-निर्धारण करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया था। यह अध्ययन राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा किया जा रहा है। इन संस्थानों से अध्ययन की अंतिम रिपोर्टें शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

1.4 चुनाव के दौरान व्यय की निगरानी: सीबीडीटी, चुनावों पर व्यय का पता लगाने और उसकी निगरानी के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के साथ समन्वय कर रहा है।

1.5 एफआईयू-इंडिया से प्राप्त निविष्टियों को आयकर विभाग द्वारा की गई जांच में कई मामलों में लाभकारी रूप में इस्तेमाल किया गया। कुछ निविष्टियों के आधार पर निरंतर जांचों से सफल तलाशी और जब्ती कार्यवाहियां की गई।

1.6 खोजी पत्रकारों का अन्तर्राष्ट्रीय संघ (आईसीआईजे) ने अपनी वेबसाइट www.icij.org में अन्य बातों के साथ-साथ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स आदि जैसे अपतटीय स्थानों में सृजित न्यासों, निधियों, कंपनियों सहित कतिपय संस्थाओं के विवरणों को अपलोड किया है। ऐसी सूचना में 513 भारतीय नामों के साथ पते आदि शामिल हैं जिनका प्रथम दृष्टया कुछ अपतटीय संस्थाओं से संबंध प्रतीत होता है। तथापि, इस तरह की जानकारी अपतटीय संस्थाओं या भारतीय व्यक्तियों के वित्तीय संव्यवहारों के विवरणों का खुलासा नहीं करता है। आयकर अधिकारियों ने उपर्युक्त मामले में जांच शुरू कर दी है। ऐसी जांच के पूरा होने पर प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

1.7 नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) भुगतान संकट से उत्पन्न मुद्दों की जांच: हाल ही में, एनएसईएल में ट्रेडिंग रोक दिया गया जिसके बाद निवेशकों को भुगतान संकट उत्पन्न हुआ। एनएसईएल पर निवेशकों का 5,570 करोड़ रू. बकाया है। एनएसईएल ने 24 कर्जदारों की एक सूची प्रदान की जिन पर एनएसईएल का 5,570 करोड़ रू. बकाया है। आयकर विभाग (आईटीडी) ने 22.08.2013 को इन 24 कर्जदारों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के तहत राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किए। सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि गोदाम या तो खाली थे या स्टॉक की सूचित मात्रा उपलब्ध नहीं थी। कुछ मामलों में, जांच से खुलासा हुआ कि एनएसईएल से प्राप्त धन को संपत्तियों में निवेश, ऋण की चुकौती आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था। आगे की जांच प्रगति पर है।

1.8 जब भी ऐसे मामलों का पता चलता है तो सूचना को संबंधित विनियामकों, अर्थात, एफएमसी, सेबी, ईडी आदि के साथ उनके विनियमनों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सांझा किया जाता है।

1.9 **आईटीडीएमएस का उन्नयन और नवीनतम आंकडे अपलोड करना:** एक एकीकृत करदाता डाटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) को करदाता का प्रोफाइल तैयार करने के लिए एक डाटा खनन सॉफ्टवेयर के रूप में डिजाइन किया गया था। यह प्रयोक्ता को करदाताओं का 360 डिग्री प्रोफाइल का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। डाटा की उच्च मात्रा से निपटने तथा और अधिक संयोजन के सृजन हेतु मौजूदा प्रणाली को अद्यतन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। उन्नत संस्करण बेहतर संयोजन दे रही है और डाटा की अधिक मात्रा को संभालने में सक्षम है।

1.10 **कर वाद का प्रबंधन:** प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी के बड़े हिस्से में कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता होती है। कभी कभी विभाग के अधिकारियों के बीच विवादास्पद कानूनी मुद्दों पर वांछित स्पष्टता की कमी के कारण एक ही मुद्दे पर असंगत दृष्टिकोण पैदा होती हैं, इस प्रकार और मुकदमेबाजी होती है। विवादास्पद कानूनी मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करने और दृष्टिकोण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत महसूस की गई जो मुकदमेबाजी को कम करेगा। इसके लिए सीबीडीटी में 'विभागीय दृष्किोण पर केंद्रीय तकनीकी समिति (सीटीसी)' स्थापित की गई है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, अधिनियम के अध्याय IV की प्रयोज्यता और हानियों के छोड़ने तथा अगले लाभ से पूर्ति करने के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 10क/10कक/10ख/10खक के उपबंधों पर स्पष्टता लाने के लिए परिपत्र संख्या 7/डीवी/2013 जारी किया गया। परिपत्र संख्या 10/डीवी/2013 को खंड 40(क)(झक) की प्रयोज्यता स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया।

1.11 इससे पहले कर-निर्धारिती द्वारा दायर अपीलों/एसएलपी का पता लगाने के लिए कोई संरचित तंत्र उपलब्ध नहीं था क्योंकि विभाग कभी-कभी अपील/एसएलपी की पहली सुनवाई/दाखिल चरण से अपने विचारों को रखने में समर्थ नहीं रहा। अनुदेश संख्या 8/2013 जारी किया गया जिसमें न केवल करदाता द्वारा दायर एसएलपी के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है, बल्कि ऐसी अपीलों से निपटने के लिए प्रभावी और समान दृष्टिकोण के बारे में भी निर्देश हैं

1.12 अनुदेश संख्या 9/2013 को आईटीएटी के समक्ष प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए सीआईटी (विभागीय प्रतिनिधि) और वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधियों के बीच काम के आवंटन के लिए मापदंड निर्धारित करने के लिए जारी किया गया।

1.13 विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए नए दिशानिर्देशों/अनुदेशों का मसौदा तैयार किया गया और बोर्ड के अनुमोदन के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

1.14 विभाग द्वारा दायर एसएलपी के लिए यह आवश्यक महसूस किया गया था कि इन्हें यांत्रिक रूप में और तुच्छ आधार पर दायर नहीं किया जाना चाहिए। उचित प्रतिनिधित्व के लिए सुनवाई से पहले अग्रिम में विभागीय वकीलों को जानकारी देना सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। एसएलपी का मसौदा तैयार करने और विधि का वास्तविक मामला तैयार करने पर यह दिशानिर्देश सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 11.2.2013 द्वारा पत्र जारी किया गया।

1.15 उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर मामलों में बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए यह आवश्यक महसूस किया गया कि वकीलों का एक समर्पित पैनल होना चाहिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, नामोदिद्ष्ट वरिष्ठ वकीलों, समूह क और समूह ख वकीलों को शामिल करते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय के दिनांक 24.1.2013 के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से प्रत्यक्ष करों के मामलों के संचालन के लिए वकीलों का एक विशेष पैनल बनाया गया है।

1.16 उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी/अपीलों (विभाग/करदाताओं द्वारा दायर) का डाटाबेस तैयार किया गया है और आयकर महानिदेशक (एल एंड आर) द्वारा दिनांक 30.5.2013 के पत्र द्वारा सभी मुख्य आयकर आयुक्तो (सीसीए) को परिचालित किया गया है। यह डाटाबेस सीसीआईटी (सीसीए) को अपने मामलों की पहचान करने और उनके संबंधित क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों के बचाव की अग्रिम तैयारी करने में मदद करेगा। उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी की दैनिक आधार पर और अधिक प्रभावी निगरानी और वकीलों तथा विभागीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक उच्चतम न्यायालय प्रकोष्ठ बनाया गया है।

1.17 अंतर्राष्ट्रीय कराधान/अंतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में बढ़ती मुकदमेबाजी का समाधान उच्च न्यायालय, अग्रिम न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एएआर) या अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष पेश होने के लिए आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के कार्यालय में ''वरिष्ठ वकील-विशेष नियुक्ति'' के समर्पित पैनल के प्रस्ताव के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है।

1.18 आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित, संस्था, निपटाए गए अपीलों के आंकड़ों की ध्यानपूर्वक निगरानी की जाती है ताकि कैप लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।

1.19 **कर विधायन एवं अधिसूचनाएं:** आयकर विवरणी (आईटीआर) फार्मों आईटीआर-1 से आईटीआर-7 और आईटीआर-V (पावती) को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा किए गए विधायी संशोधनों को शामिल करने के बाद कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अधिसूचित किया गया है। 5 लाख रुपए से अधिक की कुल आय वाले कर-निधारितियों के लिए विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।

1.20 वस्तु संव्यवहार कर (सीटीटी) को कृषि वस्तुओं को छोड़कर मान्यता प्राप्त संघ में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में वस्तु व्युत्पन्न की बिक्री पर उद्ग्रहण के लिए वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा लागू किया गया। वित्त अधिनियम में यह शर्त थी कि सीटीटी से संबंधित प्रावधान एक ऐसी तारीख को अस्तित्व में आ जाएंगे जिसे केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करे। केन्द्र सरकार ने अधिसूचना 45/2013[का.आ.1768 (अ)], दिनांक 19 जून 2013 द्वारा 1 जुलाई, 2013 को वह तारीख नियत की है जिस तारीख से सीटीटी से संबंधित प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

सीटीटी मान्यता प्राप्त संघों द्वारा कर योग्य वस्तुओं के लेनदेन पर संग्रहीत किया जाना है। संग्रहण के तौर तरीकों और सीटीटी के बदले में विवरणों की प्रस्तुति तथा अन्य संबंधित मुद्दों को तय करने के लिए केन्द्र सरकार ने अधिसूचना 46/2013 [का.आ. 1769 (अ)], दिनांक 19 जून, 2013 द्वारा सीटीटी नियम, 2013 अधिसूचित किये है।

वित्त अधिनियम, 2013 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खंड (5) में एक नया उप खंड (ड.) अंतःस्थापित किया गया था जिसमें उपबंध है कि किसी मान्यता प्राप्त सेवा में किए गए व्युत्पन्न लेन-देन के संबंध में पात्र संव्यवहार को सट्टेबाजी वाला संव्यवहार न माना जाए। उपर्युक्त उप खंड (ड) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संघ का तात्पर्य फारवर्ड क्रान्ट्रैक्ट (विनियम) अधिनियम, 1952 में संदर्भित किसी मान्यता प्राप्त संघ से है तथा ऐसी शर्तों को पूरा करने से है जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित तथा अधिसूचित की जाती हैं । इस संबंध में आयकर नियमावली, 1962 में नियम 6 घघग तथा नियम 6 घघघ अंतःस्थापित करके अधिसूचना जारी की गई है।

1.21 टैक्स रेजिडेंसी प्रमाण-पत्र (टीआरसी) की अपेक्षाओं के अनुसार तथा धारा 90 तथा 90क की उप धारा (4) की शर्तों के अनुसार कर निर्धारिती द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्य विवरण तथा आयकर अधिनियम, 1961 की दो धाराओं में उपधारा (5) के अंतःस्थापन हेतु तथा नियम 21 कख को संशोधित करने हेतु अधिसूचना संख्या 2331 (अ) दिनांक 1 अगस्त, 2013 जारी कर दी गई है।

1.22 सिक्योरिटाईजेशन ट्रस्टों की संवितरित आय पर कर के संबध में अध्याय-XII(डक) तथा धारा 10(23घक) के अंतःस्थापन के परिणाम स्वरूप अधिसूचना संख्या का.आ. 2668 (अ) दिनांक 4 सितम्बर द्वारा एक नया नियम 12 खक तथा प्रपत्र 63 कक अंतस्थापित किया गया है जिसमें किसी सिक्योरिटाईजेशन ट्रस्ट द्वारा आय संवितरण के भुगतान हेतु जिम्मेदार व्यक्ति को पिछले वर्ष के दौरान निवेशक द्वारा संवितरित आय की राशि तथा उस पर दिए गए कर तथा ऐसे संगत विवरण जो निर्धारित किए गए हो का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा सत्यापित की गई पद्धति के अनुसार प्रदान करने की अपेक्षा रखी गई है।

1.23 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 गख धारा 92ग अथवा 92 गक के अंतर्गत सुरक्षित दूरी मूल्य का प्रावधान करती है जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाली सुरक्षित बन्दरगाह नियमावली के अधीन होगा। तदनुसार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1962 में प्रपत्र 3गड़चक निर्धारित करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ. 2810 (अ) दिनांक 18 सितम्बर, 2013 द्वारा नए नियम 10 नक से 10नछ द्वारा सुरक्षित बन्दरगाह नियमावली अंतस्थापित कर दी है।

1.24 आयकर का नियमावली, 1961 के अध्याय X-क के खंड 101 द्वारा सामान्य परिहार नियमावली (जीएएआर) के ऐसे दिशा-निर्देशों तथा तथा ऐसी शर्तों के अधीन लागू होने का प्रावधान करती है जो निर्धारित किए गए हो। तदनुसार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना संख्या का.आ. 2887 (अ) दिनांक 23 सितम्बर, 2013 द्वारा तथा आयकर अधिनियम, 1962 में प्रपत्र 3गड़छ, 3गडज तथा 3गड़झ अंतःस्थापित करते हुए नए नियम 10प से 10 पग अंतःस्थापित करके सामान्य परिहार नियमावली के लागू करने हेतु नियम बनाए है।

1.25 घरेलू पूंजी बाजार में छोटे निवेशक की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 3693 (अ) दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा राजीव गांधी प्रतिभूति बचत योजना, 2013 अधिसूचित की गई है। इन प्रतिभूति शेयरों तथा लिस्टिड़ इकाईयों के इक्विटी ओरियंटिड फंड में किए गए निवेश को उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 गगछ के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र माना गया है।

1.26 आयकर अधिनियम की धारा 35(1)(ii) की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी चार संस्थाओं को अनुमोदित कर दिया है। आयकर अधिनियम की धारा 2(22 ककक) के अंतर्गत एक मतदाता न्यास अधिसूचित किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत आम जनता के लाभ हेतु, विनियमन/प्रशासनिक गतिविधियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 10 संस्थाएं गठित की गई।

1.27 **लेखा परीक्षा रेंज में कार्य-निष्पादनः** इस समय लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2010-11 तक सीएंडएजी को रिपोर्ट किए जाने हेतु प्रारंभिक जांच के लिए कोई प्रारूप/ लेखा पैरा लंबित नहीं है। सीएंडएजी के साथ मासिक आधार पर लेखा परीक्षा पैरा की स्थिति का समयोजन किया जाता है तथा 30/11/2013 की स्थिति को सीएंडएजी को प्रारंभिक प्रत्युत्तर हेतु कोई प्रारूप पैरा लंबित नहीं है।

1.28 जहां तक लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2010-11 तक प्रारूप/ की गई कार्रवाई अंतिम टिप्पणी का संबंध है, मॉनीटरिंग एकक ने दिनांक 24/10/2013 के का.ज्ञा. संख्या 5/1/2013-एमसी/240 के द्वारा उल्लेखित किया है कि जहां तक लेखा परीक्षा पैरा के लंबित रहने का संबंध है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लेखा परीक्षा पैरा के परिलम्बन को 2670 (2010-11 के दौरान) से कम कर के 22 (2012-13) करके बहुत अच्छा कार्य किया है तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई पर ध्यान केन्द्रित करने तथा सीएंडएजी तथा मानीटरिंग एकक के बीच लेखा परीक्षा पैरा के निपटान हेतु समन्वय का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है।

1.29 इन 22 मामलों में, आगे और समायोजन किया गया है तथा इस समय मानीटरिंग एकक के समक्ष केवल 13 मामले लंबित है। इनमें से सीएंडएजी से 10 मामलों में विधीक्षा प्रत्युत्तर लंबित है तथा 3 मामलों, जिनमें सीएंडएजी से प्रत्युत्तर प्राप्त हो गए हैं उनमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से उत्तर लंबित है।

1.30 उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीएंडएजी मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 2013 की रिपोर्ट संख्या 15 को अगस्त 23, 2013 को संसद के पटल पर रख दिया गया है तथा की गई कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत करने का समय दिसम्बर, 23, 2013 है। इस रिपोर्ट में लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2011-12 के संबंध में 455 पैरा शामिल है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को जून 2012 से इस रिपोर्ट में शामिल प्रारूप पैरा के बैच प्राप्त हुए हैं तथा उसने उन पर तत्परता से कार्रवाई की है। इन रिपोर्ट में शामिल 455 पैरा में, सीएंडएजी को सभी 455 मामलों में निर्धारित 4 माह की अवधि अर्थात 23 दिसम्बर, 2013 की निर्णायक तारीख से पहले प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है। इन पैरा के संबंध में सीएंडएजी की विधीक्षा टिप्पणियां प्रतीक्षित है।

1.31 हिन्दी अनुवाद सहित लोक लेखा परीक्षा समिति को 30/11/2013 तक भिजवाई जाने वाली सभी की गई कार्रवाई रिपोर्ट भिजवा दी गई है। इसमें 36वीं रिपोर्ट के 3 पैरा (15वीं लोक सभा) तथा 47वीं रिपोर्ट के 3 पैरा (14वीं लोक सभा) शामिल है। ''कर रिफंड के ब्याज पर होने वाले व्यय'' से संबंधित वर्ष 2011-12 हेतु सीएएंडएजी की रिपोर्ट संख्या 1 के पैरा 4.1.1 की 5 की गई कार्रवाई रिपोर्टें भी लेखा परीक्षा विधीक्षा टिप्पणियों के साथ लोक लेखा समिति को भेज दी गई है। 87वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) से संबंधित 19 की गई कार्रवाई रिपोर्टें फरवरी, 2014 में भिजवाई जानी है तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस समय संकलित की जा रही है।

1.32 लंबित आंतरिक लेखा परीक्षा निपटान की स्थिति में और अधिक सुधार की दृष्टि से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 18/10/2013 संशोधित अनुदेश संख्या 15/ 2013 जारी की गई है जिसमें मुख्य आय कर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी) की भूमिका तथा मुख्य आयकर आयुक्त/महानिदेशक आयकर के अधिकार-क्षेत्र की भूमिका में वांछित सुधार के लिए समुचित मॉनीटरिंग मैकेनिजम को परिभाषित किया गया है। प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के क्रम में सर्वेक्षण प्राधिकारियों की भूमिका बढ़ाई तथा सुदृढ़ की गई है।

1.33 बोर्ड ने प्राप्ति/राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों पर दिनांक 7/11/2006 को 2006 की अनुदेश संख्या 9 जारी की है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोर्ड ने एक प्रभावी मानीटरिंग प्रणाली बनाए जाने की अपेक्षा के सम्बंध में लोक लेखा परीक्षा समिति की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया है इसलिए, प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने तथा आयकर आयुक्त (लेखा परीक्षा) तथा सर्वेक्षण प्राधिकारियों की भूमिका को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। इसको मद्देनजद्यर रखते हुए दिनांक 31/10/2013 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 2013 की संशोधित अनुदेश संख्या 16 जारी की गई है।

1.34 दोहरा कराधान परिहार करार तथा कर सूचना विनिमय करारः विदेश कर तथा कर अनुसंधान प्रभाग कर समझौतों के लिए बात चीत करता है तथा कर करारों को अंतिम रूप प्रदान करता है, अर्थात दोहरा कराधान परिहार करार तथा कर सूचना विनियम करार। कलैंडर वर्ष 2013 के दौरान इस संबंध में निम्नलिखित कार्य किए गए हैंः

(क) इथोपिया, उरूग्वे तथा अल्बानिया के साथ क्रमश दिनांक 21/2/2013, 21/6/2013 तथा 4/12/2013 को तीन नए दोहरा कर परिहार करार प्रवृत्त हुए हैं जिससे कि दिनांक 31 दिसम्बर 2013 को दोहरा कर परिहार करार की कुल संख्या 87 हो गई है। नए दोहरा कर परिहार करार जिन पर हस्ताक्षर हो गए हैं परन्तु प्रवृत्त नहीं हुए हैं, वे क्लोम्बिया (13.5.2011 को हस्ताक्षरित), भूटान (दिनांक 4.3.2013 को हस्ताक्षरित) लाटविया (दिनांक 18.9.2013 को हस्ताक्षरित) तथा मैसिडोनिया (दिनांक 17.12.2013 को हस्ताक्षरित) है

(ख) रोमानिया के साथ मौजूदा डीटीएए को प्रतिस्थापित करने वाला एक नया संशोधित डीटीएए 26 दिसम्बर, 2013 को प्रवृत्त हुआ।

(ग) मौजूदा डीटीएए को प्रतिस्थापित करने वाले एक संसशोधित डीटीएए पर 10/4/2013 को माल्टा के साथ माल्टा में हस्ताक्षर किए गए। मौजूदा डीटीएए को प्रतिस्थापित करने वाले भारत और श्री लंका के मध्य एक संशोधित डीटीएए पर 22 जनवरी 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) वर्ष के दौरान अर्जेन्टीना (28.01.2013), जिब्राल्टर (11.03.2013), मोनाको (27.03.2013), बहरीन (11.04.2013), तथा बेलीज (18.12.2013) के साथ 5 नए टीआईईए प्रवृत्त हुए जिससे टीआईइए कुल संख्या 14 हो गई/ लिचटेन्सटीन के साथ टीआईईए 20 जनवरी 2014 को प्रवृत्त हुआ। टीआईईए जिन पर हस्ताक्षर हो गए है किंतु अभी प्रवृत्त नहीं हुए है, सैन मरिनो (19.12.2013 को हस्ताक्षरित) के साथ हैं।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय मानको के साथ सूचना के आदान-प्रदान पर प्रमुख रूप से उपबंध लाने के लिए मौजूदा डीटीएए को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित संशोधनकारी प्रोतोकोल (बैंककारी सूचना तथा घरेलू हित के बिना सूचना के आदान-प्रदान सहित) प्रवृत्त हुएः

i. मलेशिया के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल 26 दिसंबर 2012 को प्रवृत्त हुआ तथा 29 जनवरी 2013 को अधिसूचित किया गया।

ii. यू ए ई के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल 12 मार्च 2013 को प्रवृत्त हुआ तथा 12 अप्रैल 2013 को अधिसूचित किया गया।

iii. बांग्लादेश के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल 13 जून 2013 को प्रवृत्त हुआ तथा 4 जुलाई 2013 को अधिसूचित किया गया।

iv. स्वीडन के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल 16 अगस्त 2013 को प्रवृत्त हुआ।

v. आस्ट्रेलिया के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल 2 अप्रैल 2013 को प्रवृत्त हुआ तथा 20 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया।

vi. यूनाइटेड किंगडम के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल 27 दिसंबर 2013 को प्रवृत्त हुआ।

(च) अतंर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सूचना के आदान-प्रदान पर मुख्य रूप से प्रावधानों को लाने के लिए मौजूदा डीटीएए में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधनकारी प्रोतोकोलो पर हस्ताक्षर किए गएः

i. पोलैंड के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल पर 29 जनवरी 2013 को वारसा, पोलैंड में हस्ताक्षर किए गए।

ii. स्वीडन के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल पर 7 फरवरी 2013 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हस्ताक्षर किए गए।

iii. बांग्लादेश के साथ संशोधनकारी प्रोटोकोल पर 16 फरवरी 2013 को ढाका, बांग्लादेश में हस्ताक्षर किए गए।

iv. रोमानिया के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल पर 8 मार्च 2013 को रोमानिया में हस्ताक्षर किए गए।

v. मोरक्को के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल पर 8 अगस्त 2013 को नई दिल्ली, भारत में हस्ताक्षर किए गए।

vi. दक्षिण अफ्रीका के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल पर 26 जुलाई 2013 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हस्ताक्षर किए गए।

vii. डेनमार्क के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल पर 10 अक्टूबर 2013 को कोपेन- हेगन, डेनमार्क में हस्ताक्षर किए गए।

viii. ब्राजील के साथ संशोधनकारी प्रोतोकोल पर 15 अक्टूर 2013 को ब्राजीलिया, ब्राजील में हस्ताक्षर किए

1.35 का.आ. 4625 छज/ 2013 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित 1 नवंबर 2013 की अधिसूचना 86/2013 के जरिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 94क के अंतर्गत साइप्रस को अधिसूचित किया गया क्योंकि यह समझौते के सूचना प्रावधानों के आदान- प्रदानों के अंतर्गत भारतीय कर प्राधिकारियों द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान नहीं कर रहा था।

1.36 सूचना के आदान-प्रदान पर नियम पुस्तिका तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों को प्रशिक्षण : केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने "विदेशी क्षेत्राधिकारों के साथ कर प्रयोजनों के लिए सूचना का आदान-प्रदान-अंतर्गामी तथा बहिर्गामी अनुरोधों के लिए दिशा निर्देश" विषय पर 17 जनवरी 2013 को अनुदेश संख्या 1/2013 जारी किया। विदेशी क्षेत्राधिकार के कर प्रशासन से सूचना मांगने के लिए सूचना के आदान-प्रदान के प्रावधानों का कारगर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के दृष्टिकोण से अनुदेश सहित सूचना के आदान-प्रदान पर एक व्यापक नियम-पुस्तिका भी जारी की गई।

1.37 अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए): वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में अग्रिम मूल्य निर्धारण करार प्रावधान, 92गग तथा 92गघ अंतः स्थापित किए गए। तत्पश्चात नियमों में अधिसूचित की जाने वाली अग्रिम मूल्य निर्धारण करार स्कीम की तैयारी का काम शुरू किया गया। अग्रिम मूल्य निर्धारण नियमों को अधिसूचना तिथि से 30.08.2012 की अधिसूचना संख्या 36/ 2012 के तहत अधिसूचित किया गया। 'अग्रिम मूल्य निधारण करार स्कीम तथा बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर मार्गदर्शन' नामक करदाता श्रृंखला भी तैयार की गई जिसका निर्मोचन माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा मुख्य आयुक्त सम्मेलन के दौरान मई 2013 में किया गया। अग्रिम मूल्य निर्धारण करार स्कीम की अधिसूचना से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक कुल 150 एपीए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 31 द्विपक्षीय एपीए अनुरोध तथा 119 एकपक्षीय एपीए अनुरोध शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए एक एपीए कार्यशाला का 22 जुलाई से 25 जुलाई 2013 तक आयोजन किया गया।

1.38 परस्पर करार कार्यवाहियां (मैप): परस्पर करार कार्यवाहियों (मैप) और अग्रिम मूल्यन करार (एपीए) के अन्तर्गत मामलों के समाधान के लिए यू.एस.ए., यू.के., जापान, नीदरलैंड, स्वीडन तथा स्वीटजरलैंड सहित विभिन्न देशों के साथ बैठकें की गईं। एक मैप/ए पी ए बैठक सितम्बर, 2013 में यू.के. के सक्षम प्राधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी। यू.के. के साथ बहुत से मामलों का निराकरण किया गया था। यू.के. से संबंधित सभी द्विपक्षीय अग्रिम मूल्यन करार आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया था। दो मैप/एपीए बैठकें जापान के सक्षम प्राधिकारियों के साथ फरवरी, 2013 और सितम्बर, 2013 को आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान जापान के साथ कुछ मामलों का निराकरण किया गया था जिसके द्वारा यह सुनिश्चित हुआ कि वहां पर कर विवादों को सभी पक्षकारों की संतुष्टि में सौहार्दपूर्ण स्वरूप में निपटाया जाएगा। जापान के साथ द्विपक्षीय अग्रिम मूल्यन करार संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था और दो देशों के बीच स्थिति संबंधी कागजात के विनिमय के लिए सहमति हुई थी। परस्पर करार कार्यवाहियों (मैप) संबंधी बैठकें स्टॉकहोम में स्वीडन के साथ और भारत में नीदरलैंड और स्वीटजरलैंड के साथ भी आयोजित की गई थी जिनमें कुछेक लम्बित पड़े मामलों का निराकरण किया गया। इसके अलावा, विभिन्न देशों से परस्पर करार कार्यवाहियों के लिए प्राप्त हुए सभी अनुरोधों पर तथ्यों और विधिक प्रश्नों की जांच करते हुए और मामले पर भारतीय स्थिति को प्रस्तुत करते हुए और आदान-प्रदान करते हुए कार्रवाई की गई। भारतीय निर्धारितियों से प्राप्त अनुरोधों पर परस्पर करार कार्यवाहियों संबंधी प्रक्रियाएं आरंभ की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) से उनके सक्षम प्राधिकारी सहित एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 9 और 10 सितम्बर, 2013 के एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें दोनों पक्ष प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा इस प्रयोजन के लिए किए जाने वाले उपायों पर सहमत हुए थे।

1.39 विकास केन्द्रों और आई टी सेक्टर के कराधान के संबंध में प्रथम रिपोर्ट में रंगाचारी समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निम्नलिखित परिपत्र जारी किए हैं:-

- अधिनियम की धारा 10क, 10कक और 10 ख के अन्तर्गत कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से संबंधित मामलों पर दिनांक 17 जनवरी, 2013 का परिपत्र सं. 1/2013
- नगण्य जोखिम के साथ संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं में लगे विकास केन्द्रों की पहचान हेतु संगत शर्तों के संबंध में 29 जून, 2013 का परिपत्र 6/2013

1.40 भारत सरकार ने रंगाचारी समिति की अन्य पांच रिपोर्टों पर विचार किया है ओर अधिसूचना सं. का.आ. 2810 (अ) के द्वारा 18 सितम्बर, 2013 को सुरक्षित आश्रय नियम अधिसूचित किए हैं। इस प्रकार अधिसूचित सुरक्षित आश्रय नियमों में 500 करोड़ रूपये तक के सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं के संव्यवहारों के लिए 20 प्रतिशत का मार्जिन और 500 करोड़ रूपए से अधिक के संव्यवहारों के लिए 22 प्रतिशत का मार्जिन और ज्ञान प्रक्रिया बाह्यस्रोत सेवाओं के लिए सुरक्षित आश्रय संचालन मार्जिन 25 प्रतिशत है; निर्गामी (आऊटबाऊंड) ऋणों के लिए सुरक्षित आश्रित ब्याज दर 50 करोड़ रूपए तक के दिए गए ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक की आधारिक दर जमा 150 आधारिक प्वाइंट और 50 करोड़ रूपये से अधिक के ऋणों के लिए भारतीय स्टेट बैंक आधारिक दर जमा 300 आधारिक प्वाइंट है, निगम प्रतिभूति (कारपोरेट गारंटी) के लिए सुरक्षित आश्रय कमीशन या फीस 100 करोड़ रूपये तक 2 प्रतिशत है और 100 करोड़ रूपये से अधिक की कारपोरेट गारंटी के संव्यवहारों के लिए सुरक्षित आश्रय केवल तब उपलब्ध है यदि पूर्णतया स्वामित्व वाले सहायक उद्यम की रेटिंग उच्चतम सुरक्षा के लिए पर्याप्त है और सुरक्षित आश्रय कमीशन या फीस 1.75 प्रतिशत है। साफ्टवेयर विकास में संविदा अनुसंधान और विकास के लिए सुरक्षित आश्रय प्रचालन मार्जिन 30 प्रतिशत है और जनक भेषज औषधियों में संविदा अनुसंधान और विकास के लिए 29 प्रतिशत है, आटो संघटक विनिर्माता/निर्यातक के लिए और जहां तक कोर आटो संघटकों के विनिर्माताओं/ निर्यातकों का संबंध है यह 12 प्रतिशत है और गैर-कोर आटो संघटकों के विनिर्माता और निर्यातक के लिए 8.5 प्रतिशत है। सुरक्षित आश्रय नियम निर्धारण वर्ष 2013-14 से आरंभ करके 5 निर्धारण वर्षों के लिए लागू हैं।

1.41 दिशा-निर्देशन टिप्पणियां (नोट्स): बेहतर समावेश को सुनिश्चित करने तथा अन्तरण मूल्यन अधिकारियों द्वारा दृष्टिकोण में एकरूपता लाने को मद्देनजर रखते हुए निर्देशन टिप्पणियां अन्तरण मूल्यन और अन्तरराष्ट्रीय कराधान के विषय पर विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं पर विचार करने के उपरान्त तैयार की गई थीं। निम्नलिखित विषयों के संबंध में ऐसी दो टिप्पणियां जारी की गई थीं:-

1) रायल्टी के अन्तरण मूल्यन के संबंध में निर्देशन टिप्पणी सं. 7 अप्रैल, 2013में जारी की गई थी।
2) रायल्टी के रूप में कम्प्यूटर कार्यक्रम के प्रयोग के लिए प्रतिफल के कराधान के संबंध में निर्देशन टिप्पणी सं. 8 अप्रैल, 2013 में जारी की गई थी।

1.42 जी20 बैठकों में कर मामलेः वर्ष 2013 में वित्त मंत्रियों और जी20 नेताओं की जी20 बैठकों में कर संबंधी मामलों पर विशेष रूप से 'बेसइरोजन तथा प्रॉफिट शिफ्टिंग', 'स्वतः आधार सहित सूचना के आदान-प्रदान' और 'क्षमता निर्माण के लिए विकासशील देशों के सहायता' के विषयों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया था।

1.43 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के साथ संबंधः बी ई पी एस(वैरस) परियोजना में ओईसीडी के साथ कार्य करने के अलावा भारत के ओ ई सी डी के साथ कराधान से संबंधित अन्य मामलो में भी संबंध है जिन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया हैः

(क) वित्तीय कार्यों संबंधी समितिः भारत ऐसे कुछेक देशों में से एक देश है जिसे ओ ई सी डी के वित्तीय कार्यों की समिति में एक 'प्रेक्षक' की पदवी प्रदान की गई है जो प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सभी नीतिगत निर्णय लेती है। भारत के प्रतिनिधियों ने 2013 में वित्तीय कार्यों की समिति (सीएफए) की दो बैठकों में भाग लिया है।

(ख) ओ ई सी डी की वर्किंग पार्टी (कार्यदल) बैठकेंः भारतीय प्रतिनिधियों ने 2013 के दौरान ओ ई सी डी की निम्नलिखित वर्किंग पार्टी बैठकों में भाग लिया हैः

वर्किंग पार्टी (कार्यदल)	**वह क्षेत्र जिस संबंध में विचार-विमर्श किया गया**
वर्किंग पार्टी सं. 1	कर अभिसमय (कनवेन्शन)
वर्किंग पार्टी सं. 2	कर नीति विश्लेषण तथा सांख्यिकी
वर्किंग पार्टी सं. 6	अन्तरण मूल्यन
वर्किंग पार्टी सं. 10	सूचना का आदान-प्रदान तथा कर अनुपालन
वर्किंग पार्टी सं. 11	उत्साहवर्धक कर आयोजना

जी20 ने ओ ई सी डी से जी20 नेताओं और वित्त मंत्रियों को प्रस्तुत की जानी वाली सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के संबंध में एक एकल एकसमान मानक विकसित करने के लिए कहा है। भारतीय प्रतिनिधि डब्ल्यू पी 10 की बैठकों में भी भाग लेते हैं जो ऐसे एकरूप मानक को विकसित कर रहा है।

(ग) कर प्रशासन फोरमः कर प्रशासन फोरम ओ ई सी डी की वित्तीय कार्यों की समिति (सीएफए) द्वारा 2002 में सृजित किया गया था इसमें सभी जी20 देशों और चयनित गैर ओ ई सी डी देशों सहित 43 सदस्य शामिल हैं। यह कर प्रशासन और कर अनुपालन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक मंच है। भारत कर प्रशासन फोरम (एफटीए) के ब्यूरो का 1 जनवरी, 2012 से सदस्य है। राजस्व सचिव ने ब्यूरो की मई 2013 में हुई बैठक में भाग लिया था।

(घ) कर तथा विकास के संबंध में कार्य दलः कराधान के क्षेत्रों में विकासशील देशों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए जी20 देशों द्वारा किए गए आह्वान को देखते हुए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ ई सी डी) ने कर तथा विकास के संबंध में एक सामान्य कार्यदल का गठन किया है। भारत ने कार्य दल के कार्य में सहायता की है।

(ङ) आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ ई सी डी) ने विकासशील देशों में 'कार्य करके सीखने' की यथा समय अवधारणा के जरिए कर प्रशासनों के लिए कर लेखा- परीक्षा ज्ञान और कौशल के अन्तरण में समर्थ होने के उद्देश्य के साथ सीमाओं रहित कर निरीक्षकों (टी आई डब्ल्यू बी) के संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

(च) तकनीकी विकास कार्यक्रमः ओ ई सी डी वर्ष 2000 से एन ए डी टी, नागपुर में तकनीकी विकास कार्यक्रम चला रहा है। आज की तारीख तक ऐसे 32 कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं जिनमें क्षेत्रीय स्तर से अधिकारियों ने भाग लिया। 2013 में एन ए डी टी में ऐसे दो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे अर्थात 26 अगस्त से 30 अगस्त, 2013 तक अग्रिम कर समझौते और 25 नवम्बर से 29 नवम्बर, 2013 तक अग्रिम अन्तरण मूल्यन कार्यक्रम।

(छ) विदेश कर तथा कर अनुसंधान प्रभाग ने विभाग के अधिकारियों को अंकारा, सियोल, वीयना, बुडापेस्ट और जकार्ता में आयोजित ओ ई सी डी के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु भेजने की पहल की। वर्ष के दौरान ओ ई सी डी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु 52 अधिकारियों को भेजा गया ताकि उनकी व्यावसायिक विशेषज्ञता में वृद्धि हो सके।

1.44 कर संबंधी मामलों पर ब्रिक्स देशों के साथ सहयोगः ब्रिक्स देशों, अर्थात ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका के राजस्व प्रमुखों की 17 और 18 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में बैठक हुई और अन्तर्राष्ट्रीय कराधान, अन्तरण मूल्यन, सीमापार कर अपवंचन को रोकने और परिहार सूचना के आदान-प्रदान, कर प्रणाली प्रशासन में उत्तम प्रक्रियाओं को बांटने और विवादों के समाधान से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था। 17 जनवरी को बैठक का उदघाटन भारत के वित्त मंत्री द्वारा किया गया था और 18 जनवरी, 2013 को इसका समापन राजस्व सचिव, श्री सुमित बोस द्वारा किया गया था। राजस्व प्रमुखों की यह प्रथम बैठक थी और बैठक के समापन पर एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रमुख आपसी हितों और सरोकारों के विभिन्न मुद्दों पर उनके कर प्रशासनों के बीच अधिक सहयोग विकसित करने हेतु सहमत हुए थे।

1.45 भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आई बी एस ए) राजस्व प्रशासन कार्य दल की बैठकः भारत-ब्राजील-दक्षिणी अफ्रीका डायलॉग फोरम दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने और तीन लोक- तांत्रिक देशों को एक-दूसरे के निकट लाने, कर तथा सीमा शुल्क, दोनों मामलों में निकट सहयोग को बढ़ावा देने और आई बी एस ए डायलॉग फोरम में सहयोग देने हेतु भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है। आई बी एस ए राजस्व प्रमुख प्रशासन कार्य दल (एच आर ए डब्ल्यू जी) की 8वीं बैठक 8 नवम्बर, 2013 को आयोजित की गई थी और आई बी एस ए राजस्व प्रशासन संचालन समिति (आर ए एस जी) की 11वीं बैठक 4-7 नवम्बर, 2013 को रियो-डी-जनीयरो, ब्राजील में हुई थी। अन्तर्राष्ट्रीय कराधान, तथा अन्तरण मूल्यन, सूचना के आदान-प्रदान, बहुपक्षीय सहयोग, डिजीटल अर्थव्यवस्था, उत्साहवर्धक कर आयोजना और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाया गया था और सहयोग बढ़ाने हेतु इन क्षेत्रों में कार्य करने हेतु उप-दल गठित किए गए हैं।

1.46 संयुक्त राष्ट्र अन्तरण मूल्यन मैनुअलः संयुक्त राष्ट्र अंतरण मूल्यन मैनुअल मई, 2013 में जारी किया गया था और इससे विकासशील देशों के सरोकरों का समाधान होने की आशा है। भारत के एक महत्वपूर्ण विकासशील देश/उभरती हुई अर्थ व्यवस्था होने के कारण इसने इस मैनुअल के प्रारूपण में एक सक्रिय भूमिका अदा की है।

1.47 अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ समन्वयः भारत सेंटर फार इंटर अमेरिकन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (सी आई ए टी), एक बहुपक्षीय संगठन, का एक सह-सदस्य है। सी आई ए टी के प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय कर अपवंचन के विरूद्ध संयुक्त रूप से कार्य करने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्राधिकारों के कर प्रशासनों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केन्द्रित हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु सी आई ए टी विभिन्न कार्य कलाप, अध्ययन कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आदि आयोजित करता है, जिनमें कर प्रशासन अपने सुझावों, व्यवहारों, अनुभवों आदि को बांट सकते हैं। भारतीय प्रतिनिधियों ने सी आई ए टी की बैठकों में भाग लिया है।

1.48 कर प्रशासकों के राष्ट्रमंडल संघ (कामनवैल्थ एसोसिएशन आफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर) (सीएटीए) की स्थापना 1977 में बारबाडोस में राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्रियों की बैठक में लिए निर्णय के परिणामस्वरूप की गई थी। भारत कामनवेल्थ एसोसिएशन आफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर (सीएटीए) का 1979 से एक महत्वपूर्ण सदस्य है। सी ए टी ए के कार्य कलापों में वार्षिक तकनीकी कार्यशालाएं, कर अधिकारियों के लिए उच्च गुणवतापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम, सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए देश में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, सूचना पत्र प्रकाशित करना, अनुरोध किए जाने पर सदस्यों के लिए परामर्शी सेवाओं तथा अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था करना, सदस्यों को सूचना मुहैया कराना आदि शामिल है। भारत ने वर्ष के दौरान सी ए टी ए द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रमों में भाग लिया है और महत्वपूर्ण उद्देश्य पर भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए रिपोर्टें भी अग्रेषित की है।

1.49 भारतीय शिष्ट मंडल ने 3 से 5 दिसम्बर, 2013 तक माराकेच, मोरोक्को में कर तथा अन्तः सरकारी संबंधों पर हुए आई टी डी ग्लोबल सम्मेलन में भाग लिया और प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

1.50 कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान एफ आई पी बी अनुभाग में 379 प्रस्ताव तैयार किए गए थे और इन प्रस्तावों के संबंध में निविष्टियां विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड को भेजी गई हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

2.1 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, अप्रत्यक्ष कर से 474575 करोड़ रू. (अनंतिम आंकड़े) के राजस्व की प्राप्ति हुई। ये आंकड़े 2012-13 में औद्योगिक उत्पादन में कमी तथा सामान्य आर्थिक मंदी के बावजूद 2011-12 के वास्तविक संग्रहण में 20.9

प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। 2012-13 के दौरान राजस्व में अप्रत्यक्ष कर से होने वाले संग्रहण की प्रमुख मदों का विवरण निम्नलिखित हैः-

(राशि करोड़ रू.में)

मुख्य शीर्ष कर	अनुमानित बजट 2012-13	संशोधित 2012-13	वास्तविक 2012-13 (अनंतिम)	वृद्धि 2011-12	अनुमानित बजट संग्रहण	संशोधित बजट संग्रहण
सीमा शुल्क	186694	164853	165289	10.7%	88.5%	100.3%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	194350	171996	176685	21.3%	90.9%	102.7%
सेवा कर	124000	132697	132601	36.0%	106.9%	99.9%
कुल	**505044**	**469546**	**474575**	**20.9%**	**94.0%**	**101.1%**

2.2 वित्त वर्ष 2013-14 (अप्रैल-दिसम्बर) में राजस्व की प्रवृत्तियांः 2013-14 में अप्रत्यक्ष कर से बजट अनुमान 565003 करोड़ रू. पर स्थिर रहा है जो कि पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों से लगभग 19.0 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष से दिसम्बर तक अप्रत्यक्ष कर से होने वाले राजस्व प्राप्ति की प्रमुख मदों का मदवार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः-

(राशि करोड़ रू.में)

		राजस्व संग्रहण से दिसम्बर (अनंतिम)			*अप्रैल
अप्रत्यक्ष कर मुख्य शीर्ष	अनुमानित बजट 2013-14	2012-13	2013-14	वृद्धि (% में)	% प्राप्त अनुमानित बजट (दिसम्बर, 2013 तक)
सीमा शुल्क	187308	118393	126285	6.7	67.4
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	197554	124016	118405	(-)4.5	59.9
सेवा कर	180141	91900	110313	20.0	61.2
कुल	**565003**	**334309**	**355003**	**6.2**	**62.8**

* *केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित नहीं किये गये विशेष उपकर*

2.3 बजट 2013-14 (सीमा शुल्क)

2.3.1 सामान्य

1. विदेश में एक वर्ष से अधिक रहने वाले भारतीय यात्री या एक ऐसे यात्री व्यक्ति के मामले में, 10,000 से 50,000 के बीच और एक महिला यात्री 20,000 से 100000 के बीच भारत में अपने आवास का स्थानांतरण कर रही है, के लिए आभूषणों के संदर्भ में शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि करना।
2. 600 रुपये से 1500 रु. के बीच पोत/विमान के कर्मी दल के लिए शुल्क मुक्त भत्ते को बढ़ाना।

2.3.2 शुल्क की दरों में निहित परिवर्तन का सुझाव

2.3.3 कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागान क्षेत्र

(1) छिल्का रहित जई पर से आधारभूत सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत दिया गया।

(2) हेजिल नट से आधारभूत सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

(3) तेल रहित राइस ब्रान केक पर से 10 प्रतिशत आयात शुल्क को वापिस ले लिया गया।

2.3.4 ऑटो मोबाइल

(1) यात्री कारो तथा मोटर गाडियों (हाई एंड कारो), डीजल से चलाने वाली गाडियों के लिए 2500 सी सी से अधिक तथा पेट्रोल से चलने वाली गाडियों के लिए 3000 सी सी से अधिक क्षमता वाले इंजन या/तथा यूएस डॉलर 40,000 से अधिक मूल्य वाले सीआईएफ के साथ 75 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया।

(2) 800 सी सी या इससे अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकल पर आधारभूत सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया।

2.3.5 धातु

(1) अपरिष्कृत इलेमनाइट पर 10 प्रतिशत तथा उन्नत इलेमनाइट पर 5 प्रतिशत के निर्यात शुल्क की उगाही की गई।

(2) बॉक्साइट पर 10 प्रतिशत के निर्यात शुल्क को उगाही की गई।

(3) स्टेनलेस स्टील वायर क्लॉथ स्ट्राइप पर आधारभूत शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा केटेलिक कन्वर्टर तथा उसके हिस्सों में प्रयोग के लिए वॉश कोट को 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

(4) कतिपय शीर्षकों के अंतर्गत आने वाले गेल वेनाइल्ड स्टील शीट को भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात 1.3.2011 से निर्यात से पूर्ण छूट प्रदान की गई।

2.3.6 बहुमूल्य धातु

कीमती तथा अर्धकीमती पत्थरो के अपरुपों पर सीमाशुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया।

2.3.7 पूंजीगत वस्तुएं/अवसंरचना

(1) वाष्पित कोयलों पर से आधारभूत सीमा शुल्क को शून्य को बढ़ाकर 2 प्रतिशत सीवीडी को 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया गया।

(2) बिटुमिनस कोयले पर से आधारभूत सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तथा सीवीडी को 6 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया गया।

(3) चमड़ा तथा जूतों के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर लगने वाले आधारभूत शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

2.3.8 विमान तथा जहाज

याच तथा मोटर बोट से आधारभूत सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया।

(2) शिप रिपेयर यूनिटों के लिए आयातित वस्तुओं को खपत के लिए समय सीमा को 3 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया।

(3) विमानों के रख-रखाव से संबंधित इकाइयों के द्वाराः मरम्मत तथा निरीक्षण आयातित टेस्टिंग उपकरण तथा हिस्सों का लगाने/खपत के लिए समय सीमा को 3 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया।

(4) आधारभूत सीमाशुल्क छूट जो कि विमानो के रख-रखाव, मरम्मत तथा निरीक्षण के लिए टेस्टिंग उपकरण तथा भागों के लिए उपलब्ध थी को विमानों तथा उनके भागों के निरीक्षण, मरम्मत तथा रख-रखाव के टेस्टिंग उपकरण तथा भागों के लिए बढ़ा दिया गया।

2.3.9 पर्यावरण संरक्षण

विनिर्माताओं को हाइब्रिड तथा इलैक्ट्रिक गाडियों की आपूर्ति के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक्स के निर्माण के लिए, लिथियम आयन ओटोमेटिव बैटरी के लए आधारभूत सीमाशुल्क से पूर्ण छूट दी गई।

(2) इलैक्ट्रिक तथा हाइब्रिड गाडियों के विनिर्दिष्ट भागों के लिए छूट की समयावधि (शून्य बीसीडी, सीवीडी का 6 प्रतिशत तथा शून्य एसएडी) को 2 वर्ष और अधिक बढ़ाकर 31 मार्च, 2015 तक कर दिया गया।

2.3.10 वस्त्र

1. सभी प्रकार के ग्रेडों वाले कच्चे सिल्क पर आधारभूत सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।
2. वस्त्र यंत्रों तथा उनके भागों पर से आधारभूत सीमाशुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

2.3.11 इलेक्ट्रोनिक्स/हार्डवेयर

टीवी के सेट टॉप बॉक्स पर लगने वाले आधारभूत सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

2.3.12 विविध

1. भारत में आयोजित किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के संबंध में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट तहत् पंजीकृत कोई भी स्पोर्टस बॉडी या डिपार्टमेंट आफ स्पोर्टस एंड यूथ अफेयर्स द्वारा स्वीकृत नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा आयातित ट्रॉफीज के लिए आधारभूत सीमा शुल्क से पूर्ण छूट तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क प्रदान किया गया।
2. शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर, विमान तथा विमानीय भागों, सोयाबीन तेल, ऑलिव आयल इत्यादि पर से छूट को वापस लिया गया।

2.4 **बजट 2013-14 (कन्द्रीय उत्पाद शुल्क)** : शुल्क की दर में निहित परिवर्तनों का सुझाव

2.4.1 कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागान क्षेत्र

1. साबुदाने के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले तथा विनिर्मित साबुदाना स्टार्च तथा साबुदाने पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई थी।
2. मेंहदी या मिश्रण, जिसमें कोई अन्य पदार्थ न मिला हो, पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई।

2.4.2 ऑटोमोबाइल्स

1. एसयूवी पर उत्पाद शुल्क को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया।
2. स्पोर्ट्स यूटिलिटी वेहिकिल्स, जिनका कि केवल टैक्सी के रूप में ही पंजीकरण किया गया है, पर वह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं लगता है जो कि अन्य एस यू वी पर उत्पाद शुल्क को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने के कारण होता है। तदनुसार एसयूवी से संबंधित टैक्सी रिफण्ड को समायोजित कर लिया गया है।
3. ट्रक चेसिस (87060042) पर उत्पाद शुल्क को 14 प्रतिशत से कम करके 13 प्रतिशत कर दिया गया है।

2.4.3 धातुएं

1. जिंक/ लेड के पिघलन से तैयार की जाने वाली चांदी पर 4% का उत्पाद शुल्क लगाया गया था।
2. स्टेनलेस स्टील "पट्टा पट्टी'' पर कम्पाउण्डेड लेवी को 30,000 रूपये प्रति मशीन प्रतिमाह से बढ़ाकर 40,000 रूपये प्रति मशीन प्रतिमाह कर दिया गया है।

2.4.4 विमान एवं जहाज

जहाज और अन्य जलयानों पर उत्पाद शुल्क और सीवीडी से पूर्ण छूट प्रदान की गयी थी। अतः आयातित जहाजों और जलयानों पर कोई सीवीडी नहीं लगायी जायेगी।

2.4.5 वस्त्र

1. हस्त निर्मित कार्पेट पर और क्वायर या जूट से बने अन्य टेक्सटाइल्स फ्लोर कवरिंग्स पर, चाहे वे हस्तनिर्मित हो या नहीं, पर उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान की गयी है।
2. "जीरो एक्साइज ड्यूटी रूट'' जो कि बजट 2011-12 के पहले विद्यमान था को रेडीमेड परिधानों और बने बनाये वस्त्रों पर बहाल कर दिया गया है।श्' जीरो एक्साइज ड्यूटी रूट'' परिधान विनिर्माताओं के लिए उपलब्ध सेनवेट रूट से अलग है।

2.4.6 ब्राण्डेड आयुर्वेदिक दवाओं और यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक चिकित्सा या बायोकेमिक प्रणाली के आकलन के आधार पर एम आर पी के अंतर्गत लाया गया है और इनको एम.आर.पी. से 35 प्रतिशत की राहत प्रदान की गई है।

2.4.7 इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर : 2000 रूपये से अधिक मूल्य वाले (खुदरा विक्री मूल्य) मोबाइल फोन्स पर उत्पाद शुल्क को 1प्रतिशत से बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

2.4.8 विविध

1. सिगार, सिगारिलो आदि और सिगरेट पर, केवल उन सिगरेटों को छोड़कर जो 65 मि.मी. से बड़ी नहीं होती हैं, उत्पाद शुल्क में लगभग 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है।
2. मार्बल टाइल्स और स्लैब्स पर उत्पाद शुल्क को 30 रूपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 60 रूपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है।
3. उन मध्यवर्ती सामानों पर उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान की गई थी जो कि हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में क्षेत्रआधारित छूट योजना के अंतर्गत आने वाली छूट प्राप्त इकाईयों द्वारा उत्पादित और उपभोग किए गए।

2.5 सेवा कर

2.5.1 भूतलक्षी प्रभाव से छूट : भारतीय रेलवे पर उस सेवा कर से भूतलक्षी प्रभाव से छूट दी गई है जो कि उनको, 1.10.12 के पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाई जाती थी।

2.5.2 उपशमन का मुक्तिकरणः इसके पहले कर योग्य सेवा का मूल्य उन सभी निर्माण परक सेवाओं पर भारित सकल राशि के 25 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता था जहां कि भूमि के मूल्य को भी सेवा प्राप्तकर्ता पर भारित कुल राशि में सम्मिलित किया जाता था। इस उपशमन को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब उन आवासीय इकाईयों को जिनका कि कार्पेट एरिया 2000 वर्गफीट से कम है और उन पर भारित राशि 1 करोड़ रूपये से कम है, कर योग्य सेवा को इस सकल राशि के 25 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया है। अन्य सभी निर्माण कार्यों के मामले में सेवा का मूल्य भारित सकल राशि के 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया है।

2.5.3 छूटों की समीक्षा :

2.5.3.1 निम्नलिखित छूटों को युक्ति संगत बनाया गया है :

- अब तक ऐसे दाय संगठनों को 25 लाख प्रतिवर्ष की छूट दी जाती थी जो कि किसी अन्य सार्वजनिक उपियोगिता की सेवाएं प्रदान करती थी। अब उनको थ्रेश होल्ड छूट के दायरे में लाया जाएगा।
- रेस्त्राओं को, उनसे भिन्न जो (त) वातानुकूलित सेवां प्रदान करते हैं और (त्त)जिनके पास शराब पेश करने का लाइसेंस होता है, को दी जाने वाली छूट को तर्कसंगत बनाया गया है; शराब पेश करने के लाइसेंस की शर्त को निरसित कर दिया गया है। अतः अब 1.4.13 से अब ऐसे उन रेस्त्राओं पर सेवा कर लगाया जाता है जो कि वातानुकूलित होते हैं अथवा पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय अपने यहां किसी भी स्थान पर तापन की सुविधा लगाए रखते हैं।

2.5.3.2 निम्नलिखित छूटों को वापस ले लिया गया है :

(i) ऐसी सेवाएं जो कि किसी शिक्षण संस्थान द्वारा अचल सम्पत्ति को किराये पर देकर प्रदान की जाती है,

(ii) सिनेमेटोग्राफी फिल्मों से संबंधित कॉपीराइट के अस्थायी अंतरण या उपयोग की अनुमति पर अब तक पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई थी। अब इस छूट को केवल सिनेमा हाल/ थियेटर में किये जाने वाले प्रदर्शन तक सीमित कर दिया गया है।

(iii) जन सामान्य के लिये पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराकर दी जाने वाली सेवा।

(iv) विमानों की मरम्मत और देखभाल के द्वारा सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवा।

2.6 महत्वपूर्ण बजटीय परिवर्तन- 2013

2.6.1 **स्वैच्छिक अनुपालना प्रोत्साहन योजना, 2013**: सेवा कर में स्वैच्छिक अनुपालना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं वाली एक नई योजना शुरु की गई थी:

(i) इस योजना का लाभ, फाइल नहीं करने वालो, अथवा जिन्होंने फाइल करना बंद कर दिया है अथवा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी विवरणी की सच्ची घोषणा नहीं की है, द्वारा उठाया जा सकता है तथापि यह योजना ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध तलाशी आदेश अथवा समन जारी करके अथवा लेखा परीक्षा के कारण कोई जांच अथवा अन्वेषण लंबित है;

(ii) चूक कर्ता को अपने सभी लंबित करों के संबंध में एक सच्ची घोषणा करनी होगी (1 अक्तूबर, 2007 से 31 अक्तूबर, 2012 तक) तथा इसकी कम से कम आधी राशि का 31 दिसम्बर, 2013 तक भुगतान करना होगा; शेष आधी राशि का भुगतान:

(क) बिना ब्याज दिये 30 जून, 2014 तक; अथवा

(ख) 1 जुलाई, 2014 से ब्याज देते हुए 31 दिसम्बर, 2014 तक करना होगा;

(iii) सभी अपेक्षाओं की अनुपालना करने पर व्यक्ति को ब्याज (यथानिर्दिष्ट) शास्तियों और अन्य कार्यवाहियों से छूट प्राप्त होगी।

2.6.2 **अग्रिम निर्णय**: इसके दायरे का विस्तार किया गया है ताकि आयात अथवा निर्यात के किसी नये व्यवसाय को इसमें शामिल किया जा सके और ऐसा आयातक अथवा निर्यातक, नया कारोबार शुरु करते समय अग्रिम निर्णय की मांग कर सके। इसी प्रकार का संशोधन केन्द्रीय उत्पाद के लिए किया गया है ताकि निर्माता अथवा उत्पादक नया करोबार शुरु करते समय अग्रिम निर्णय की मांग कर सके। उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग आने वाली आगत सेवाओं पर अदा किये गये सेवा कर अथवा अदा किये गये समझे गये सेवा कर के क्रेडिट अनुज्ञता पर अग्रिम निर्णय के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है।

2.6.3 **गिरफ्तारी और अभियोजन**: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 में गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान है। इस धारा को संशोधित किया गया है ताकि धारा 135 के अंतर्गत कतिपय अपराधों को गैर-जमानती दंडनीय अपराध बनाया जा सके। ये अपराध है:

(क) 50 लाख से अधिक कर अपवंचन अथवा अपवंचन का प्रयास;

(ख) धारा 11 के अंगतर्गत अधिसूचित वर्जित वस्तुओं की निकासी जो धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (ग) के अंतर्गत भी अधिसूचित है;

(ग) ऐसी वस्तुओं का आयात और निर्यात जिनकी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घोषणा नहीं की गई है जिनका बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है।

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित किसी प्रतिअदायगी अथवा ड्यूटी से छूट का धोखाधड़ी से फायदा उठाना अथवा फायदा उठाने का प्रयास करना यदि इस प्रतिअदायगी अथवा ड्यूटी से छूट की राशि 50 लाख रुपये से अधिक हो।

2.6.4 उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों को छोड़कर सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी अपराध जमानत योग्य है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम 1994 (सेवा कर से संबंधित) में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किये गये है।

2.7 **तस्करी निरोधी एकक** : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का तस्करी निरोधी एकक, तस्करी निरोधी उपस्कर, वाहन, अद्यतन नीतिगत दिशानिर्देश तथा सीमा शुल्क के अपवंचन और धोखाधडियों का पता लगाने और उन्हें रोकने तथा राजस्व बढ़ाने के लिए कार्यात्मक प्रक्रियाओं का प्रावधान करते हुए डी आर आई/ डी जी सी ई आई और सी बी ई सी के अन्य फील्ड कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों को समर्थकारी माहौल प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2013-2014 में (सितम्बर, 2013 तक) तस्करी निरोधी इकाई द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां और पहलें की गई।

(क) देश पार, कर अपवंचन को रोकने के लिए भारत ने आसूचना का आदान-प्रदान करने और अन्वेषण सहयोग का फायदा उठाने के लिए अन्य देशों के साथ सीमा शुल्क पारस्परिक सहयोग करार और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। सीमा शुल्क देश पार आसूचना नेटवर्क उल्लंघन कर्ता वस्तुओं की जब्ती करने और सीमा शुल्क के

अपवंचन का पता लगाने को सुकर बनाने के लिए कारवाई करने योग्य आसूचना प्रदान करता है। सीमा शुल्क देश पार आसूचना नेटवर्क इस बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क पारस्परिक सहयोग करार/ समझौता ज्ञापन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्लेटफाम का प्रयोग भी करता है। इस समय विदेश में सीमा शुल्क देश पार आसूचना नेटवर्क की नौ इकाइयां कार्य करते है। विदेश मंत्रालय के परामर्श से सीमा शुल्क देश पार आसूचना नेटवर्क की सात और इकाईयां गठित किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

(ख) राजस्व आसूचना महानिदेशालय अन्य बातों के साथ-साथ अलर्ट परिपत्रों के जारी किये जाने के माध्यम से इसके द्वारा बुक किये गये महत्वपूर्ण मामलों के ब्यौरे को सांझा करते हुए कर चोरी करने वालों और तस्करों की काम करने की नई प्रणाली के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करता है। अलर्ट परिपत्रों का, जोखिम प्रबंधन ढांचे में भी लक्ष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। फील्ड कार्यालय और डीआरआई अन्य अभिकरणों के साथ सूचना/आसूचना और मामलों के ब्यौरों के सीधे तथा केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यौरों और क्षेत्रीय आसूचना परिषदों की बैठक में रिपोर्ट करके सांझा करते हैं। आर्थिक आसूचना परिषद की बैठकों में वित्त मंत्री द्वारा जारी किये गये नीतिगत निर्देशों को तस्करी निरोधी एकक द्वारा डीआरआई, डीजीसीईआई और फील्ड कार्यालयों को अनुपालना के लिए परिचारित किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय आयात डेटा बेस और निर्यात मद डेटा बेस आयात/निर्यात, किये गये उन वस्तुओं के कम मूल्यांकन/गलत मूल्यांकन का पता लगाने में मदद करता है जिसे सीमा शुल्क वाणिज्यिक धोखाधड़ी और व्यापार आधारित धन संशोधन के लिए प्रायः प्रयोग किये जाने वाले तरीके के रुप में रिपोर्ट किया जाता है। डीजीआरआई द्वारा विकसित आसूचना समर्थित प्रणाली समष्टि स्तर के आगतों का विश्लेषण करके कार्यात्मक आसूचना एकत्र करती है जोकि वाणिज्यिक धोखाधड़ी सीमा शुल्क के अपवंचन और निर्यात प्रोत्साहनों के दुरुपयोग का पता लगाती है। फील्ड कार्यालयों के मार्ग दर्शन के लिए समय-समय पर तस्करी के रुझान जारी किये जाते है।

(घ) पूर्व में पता चले मामलों के आधार पर तस्करी की जाने वाली संवेदनशील मदों की सूची फील्ड कार्यालयों को परिचालित की जाती है। इसमें शामिल है- स्वापक औषधि और अन्य मनः प्रभावी पदार्थ, सोना, एफआईसीएन, रेड सेंडर और मेमोरी कार्ड आदि। वाणिज्य धोखाधड़ी की शर्तों के अनुसार अपवंचन के संबंध में मुख्य मदें है- सुपारी, कल पुर्जे और सहायक पुर्जे, गैर खाद्य कच्चा पाम आयल, आयरन और कंस्ट्रेट, एयर क्राफ्ट, सिगरेट, ओजोन डेपलेटिंग पदार्थ (आर-22 गैस) गारमेंट और सहायक समान आदि।

(ड.) वर्ष के दौरान फील्ड कार्यालयों की संस्थागत सहायता के रुप में गिरफ्तारी संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये है। तस्करी निरोधी उपस्करों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार की गई है, फील्ड कार्यालयों के हथियार रखने की अपेक्षा के मानदंडों को अंतिम रुप दिया गया है तथा स्निफर डॉग स्थापन के लिए इंडियन कस्टम कैनिन स्कवाड मैनुअल जारी किया गया है।

तस्करी निरोधी उपस्करों की खरीद

(च) फीक्सड एक्सरे कंटेनर स्कैनरः- मंत्रिमंडल ने मुम्बई, चैन्नई, कांडला और तुतीकोरेन समुद्री बंदरगाह पर चार एडवांस एक्सरे निरीक्षण प्रणाली लगाने और शुरु करने का अनुमोदन दे दिया है। इन स्कैनरों की बंदरगाह वार आपूर्ति, निर्माण, शुरु किये जाने इत्यादि का कार्य मार्च-जून, 2014 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(छ) मोबाइल गामा रे कंटेनर स्कैनरः मंत्रिमंडल ने कांडला, चैन्नई और तुतीकोरेन समुद्री बंदरगाह पर तीन मोबाइल गामा रे कंटेनर स्कैनर को लगाने तथा शुरु करने का अनुमोदन दे दिया है। ये मार्च, 2014 तक लगा दिये जाएंगे।

(ज) नहावा शेवा, कोचिन और मुंद्रा बंदरगाह जैसे मुख्य बंदरगाहों पर प्रति घंटा लगभग 120 कंटेनरों के उच्चतर आउटपुट वाले रोड कंटेनर स्कैनर के माध्यम से तीन आधुनिक जेनरेशन एक्स-रे ड्राइव के लगाये जाने और एक नहावा शेवा के गेट पर पायलट रेल स्केनर लगाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(झ) हाई एनर्जी एक्स-रे कार्गो/पैलेट स्कैनर- सीबीईसी ने जम्मू काश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सलामाबाद और चाकादाबाद केन्द्रों पर व्यापार सुविधा केन्द्रों पर चार हाई एनर्जी एक्स-रे कार्गो/पैलेट स्कैनर लगाने के लिए इनकी खरीद का अनुमोदन कर दिया है। यह मशीने चाकादाबाद और सलामाबाद में लगा दी गई है।

(ञ) 87 एक्स-रे बैगेज इंसपेंकशन सिस्टम की खरीद- 87 एक्स-रे बैगेज इंसपेंकशन सिस्टम की खरीद की मंजूरी प्रदान कर दी गई है तथा ये सीमा शुल्क फील्ड कार्यालयों जैसे कि हवाई अड्डों, एयर कार्गो परिसरों, समुद्री बंदरगाहों/ आईसीडी, एलसीएस, एफपीओ और सीएफएस/यूबी केन्द्रों पर रखे जाने के लिए प्राप्त हो गई हैं। 76 फील्ड कार्यालयों की अतिरिक्त नई जेनरेशन एक्सबीआईएस की अपेक्षा को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा इसकी खरीद किये जाने तथा इसे लगाये जाने संबंधी आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(ट) कैरेट मीटर-सोने और चांदी के आभूषणों के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट कस्टम हाऊस (एयर कार्गो परिसर) में लगाये जाने के लिए प्रति अदायगी योजना के अंतर्गत सोने और चांदी की शुद्धता का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से 18 कैरेट मीटर की खरीद की मंजूरी ले ली गई है तथा टेंडर दस्तावेज का मसौदा विधि मंत्रालय को विधिक्षा के लिए भेजवा दिया गया है। इन उपस्कर की अगले वित्त वर्ष तक नियत स्थान पर लगा दिये जाने की संभावना है।

2.8 राजस्व आसूचना निदेशालय और आयुक्तालयों के तस्करी निरोधी कार्य निष्पादन पर एक नजरः उपर्युक्त लाजिस्टीक और संस्थागत समर्थन से समर्थित होकर सीबीईसी के राजस्व आसूचना निदेशालय और फील्ड कार्यालयों ने अच्छा कार्य किया है। प्राप्त परिणामों में शामिल है- की गई जब्ती, पता लगाये गये वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामले, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निरुद्ध किये गये व्यक्तियों की ब्यौरा शामिल हैः-

2.9 तस्करी निरोधी कार्यनिष्पादन

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य की मद	2011-12		2012-13		2013-14 सितम्बर, 2013 तक	
		संख्या	मूल्य/ड्यूटी	संख्या	मूल्य/ड्यूटी	संख्या	ड्यूटी
1	जब्ती	25537	4522.89	28317	3079.43	7561	25535.71
	सोना	486	46.43	871	99.34	299	6237.37
	स्वापक औषधि	480	1711.93	470	969.15	113	13726.45
	एफआईसीएन (अंकित मूल्य)	25	2.64	21	2.23	00	00
	अन्य	23797	728.37	26375	386.24	7149	5571.89
	वाणिज्य धोखाधड़ी	749	2033.52	580	1622.47	112	31107.79
2	वाणिज्य धोखाधड़ी के पता लगाये गये मामले	5333	2198.20	5390	5970.38	864	17812.76
	मूल्य निर्धारण के अध्ययधीन	558	498.84	1961	320.2	71	647.42
	गलत घोषणा की गई	1386	913.32	1217	2673.12	240	5737.93
	डीईईसी/अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना का दुरुपयोग	6	14.02	11	139.99	1	18.78
	डीईपीबी योजना का दुरुपयोग	59	25.42	18	22.94	0	0
	ईपीसीजी योजना का दुरुपयोग	30	82.41	25	231.85	2	373.32
	ईओयू/ईपीजेड/एसईजेड योजना का दुरुपयोग	9	9.88	9	44.13	1	6.13
	प्रति अदायगी योजना का दुरुपयोग	138	31.06	175	825.82	38	3575.16
	अंतिम प्रयोग और अन्य अधिसूचनाओं का दुरुपयोग	104	343.34	220	1609.92	67	1363.48
	अन्य	3043	279.91	1754	102.41	482	9665.70
3	वसूली गई ड्यूटी	6243	610.63	6757	1603.52	976	4656.96
4	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सं.	597		575		231	
5	निरुद्ध किये गये व्यक्तियों की सं.	35		28		5	

2.10 **मुकदमेंबाजी और न्याय निर्णय नीतिः** वर्ष के दौरान सीबीईसी ने विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों और न्यायिक मंचों के समक्ष चल रहे विभागीय न्याय निर्णयों और मुकदमें बाजी को कारगर बनाने के लिए कई कदम उठाये है। इनमें शामिल हैः

(क) दिल्ली, मुम्बई और चैन्नई में सेस्टेट की छह अतिरिक्त खंड पीठों का गठन करना तथा इलाहाबाद, चंडीगढ़ और हैदराबाद में नई खंड पीठों का गठन करना।

(ख) वित्त अधिनियम, 2013 में एकल सदस्यीय खंड पीठ की मौद्रिक सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।

(ग) उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए प्रस्तावों की जांच पड़ताल की प्रक्रिया में कई परिवर्तन किये गये है। ऐसा इस लिए किया गया है ताकि तुच्छ आधार पर यांत्रिक तरीके से विशेष अनुमति याचिका के दायर किये जाने से बचा जा सके जिसके परिणाम स्वरुप उच्चतम न्यायालय में 2012-13 में पिछले वर्ष की तुलना में दायर विशेष अनुमति याचिकाओं और सिविल अपीलों की संख्या में कमी आई।

2.11 **प्रति अदायगी प्रभाग ने निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन कियाः**

i. ड्यूटी प्रति अदायगी की अखिल औद्योगिक दरों का निर्धारणः

ii. फील्ड कार्यालयों द्वारा प्रति अदायगी की मंजूरी और वितरण की निगरानी; और

iii. सभी निर्यात संवर्धन योजनाओं, उनके संचालन और निगरानी के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ संपर्क बनाये रखना (एसईजेड, ईओयू और जैम तथा ज्यूलरी योजनाओं को छोड़कर जिनकी निगरानी डीजीईपी द्वारा की जा रही है।

2.12 **कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान प्राप्त उपलब्धियांः** प्रतिअदायगी प्रभाग द्वारा 01.01.2013 से 31.12.2013 की अवधि के दौरान किये गये मुख्य कार्य निम्नानुसार हैंः

2.13 विदेश व्यापार नीति

(क) दिनांक 13.2.2013 की अधिसूचना सं. 3/2013-सीमा शुल्क की ईपीसीजी प्राधिकारिता के अंतर्गत उत्प्रेरक (केटालिस्ट) के आयात की अनुमति दी गई थी।

(ख) दिनांक 14.2.2013 की अधिसूचना सं. 4/2013-सीमा शुल्क और दिनांक 3.4.2013 की अधिसूचना सं.20/2013-सीमा शुल्क के अंतर्गत जारी निर्यात संवर्धन सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में हवाई अड्डों/बंदरगाहों की सूची में विशाखापट्नम हवाई अड्डे और कट्टुपल्ली (तमिलनाडु) बंदरगाह को शामिल कर लिया गया था।

(ग) विदेश व्यापार नीति के अध्याय-5 के अंतर्गत निर्यात पश्चात ईपीसीजी ड्यूटी केडिट स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 18.2.2013 को 2 अधिसूचनाएं, सं.5/2013-सीमाशुल्क और 6/2013-सीमाशुल्क जारी की गई थी।

(घ) छूट अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्ययधीन स्क्रिप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को डेबिट करके घरेलू उत्पादकों के वस्तुओं खरीदने के क्रम में ड्यूटी केडिट स्क्रिप (विदेश व्यापार नीति के अध्याय-5 के अंतर्गत निर्यात पश्चात ईपीसीजी ड्यूटी केडिट स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई) के प्रयोग को समर्थ बनाने के लिए दिनांक 18.2.2013 को 2 अधिसूचनाएं, सं.2/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 3/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जारी की गई थी।

(ड.) ईपीसीजी योजनाओं के संबंध में बैंक गारंटी को लागू करने संबंधी मांग दंडों में दिनांक 4.3.2013 के परिपत्र सं.8/2013 के अंतर्गत शिथिलता दी गई थी।

(च) वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के वार्षिक प्रतिपूरक 2013-14 में उद्घोषित परिवर्तनों को दिनांक 18.4.2013 की अधिसूचना सं.21/2013-सीमा शुल्क, 22/2013-सीमा शुल्क, 23/2013-सीमा शुल्क, 24/2013-सीमा शुल्क, 14/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 15/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 6/2013-सेवा कर, 7/2013-सेवा कर, 8/2013-सेवा कर, दिनांक 16.5.2013 के अधिसूचना सं. 17/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 29/2013-सीमा शुल्क तथा 13.6.2013 की अधिसूचना सं.32/2013-सीमा शुल्क, 21/

2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 11/2013-सेवा कर तथा दिनांक 26.9.2013 की अधिसूचना सं. 46/2013-सीमा शुल्क के अंतर्गत कार्यान्वित किये गये थे। कार्यान्वित किये गये परिवर्तन निम्नानुसार हैः

(i) सभी क्षेत्रों के लिए एक एकल शून्य ड्यूटी ईपीसीजी योजना अधिसूचित की गई थी इस योजना में ईपीसीजी की शून्य और 3 प्रतिशत की ड्यूटी वाली पूर्व की 2 योजनाओं को युक्ति संगत बनाया तथा उनके साथ समानता स्थापित की। "निर्यात दायित्व'' की परिभाषा को कड़ा किया गया है। जम्मू और कश्मीर में अवस्थित इकाईयों को पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अवस्थित इकाईयों की तरह घटाये गये विनिर्दिष्ट ईओ की अनुमति दी गई है। टीयूएफएस और एकल शून्य ड्यूटी ईपीसीजी का एक साथ लाभ उठाने पर लगाई गई पाबंदियां समाप्त कर दी गई है। परिणामस्वरुप एक एकल निर्यात पश्चात ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप योजना भी अधिसूचित की गई थी। इस योजना में सभी ड्यूटियों का आयात के समय नकद में भुगतान किया जाता है तथा आधारभूत ड्यूटी को, पूरे किये गये निर्यात दायित्व के अनुपात में क्रेडिट स्क्रीप ड्यूटी के रुप में माफ किये जाने के रुप में प्रदान किया जाता है।

(ii) वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक आधार पर वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (फोकस मार्केट स्कीम की एक किस्म) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग फोकस मार्केट स्कीम में संशोधन द्वारा अधिसूचित किया गया था;

(iii) स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ईनामी शेयर (एफ एम एस, एस पी एस, वी के जी यू वाई) सेवाओं के प्रापण पर सेवा कर की अदायगी के लिए उपयोग हेतु सक्षम थे;

(iv) होटल और पर्यटन उद्योग के लिए व्यावसायिक रूप में पंजीकृत पर्यटन वाहनों के रूप में कारों का आयात, आदि भारत से सर्वड स्कीम (एस एफ आई एस) स्क्रिप के उपयोग के अंतर्गत किया गया था और इसे ईपीसीजी स्कीम से हटा दिया गया था।

(v) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) के अंतर्गत प्रतिपाटन शुल्क और सुरक्षा उपाय शुल्क को मात्र वास्तविक प्रयोक्ता के मामले में अनुप्रयोज्य किया गया था। डीएफआईए के अंतरण पर इस प्रसुविधा को वापस ले लिया गया था।

(vi) भारत से सर्वड स्कीम (एस एफ आई एस) ड्यूटी स्क्रिप्स के अंतर्गत ऐसे सेवा प्रदाता के मामले में जो विनिर्माण गतिविधि में भी संलग्न है, इसके विनिर्माण क्षेत्र व्यवसाय से संबंधित पुर्जों सहित पूंजीगत माल के आयात को स्वीकृति दी गई है, जो कतिपय निबंधनों के अध्यधीन है।

(vii) हैसियत धारकों को जारी कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन स्क्रिप (ए आई आई एस) के मामले में किसी समर्थनकारी विनिर्माता को शेयर की हस्तांतरणीयता अनुमत की गई है, जो निबंधनों के अध्यधीन है।

(viii) हैसियत धारकों को जारी हैसियत धारक प्रोत्साहन शेयर (एस एच आई एस) के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की हस्तांतरणीयता समूह कंपनी के भीतर अनुमत की गई है जो एक विनिर्माता है, जो निबंधनों के अध्यधीन है।

(ix) 1992-1997 से 2004-2009 तक की नीतिगत अविध के लिए अग्रिम लाइसेंस, डीईईसी, अग्रिम प्राधिकार, डीएफआईए और ईपीसीजी स्कीम में डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित ईओ में चूक के मामलों को बंद करने के विकल्प के कार्यान्वयन हेतु संशोधन किया गया।

(छ) विदेशी डाकघर, नई दिल्ली को अधिसूचना सं. 38/2013-सीमा शुल्क दिनांक 26.07.2013 द्वारा निर्यात संवर्धन सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट के रूप में शामिल किया गया था।

2.14 **ड्रॉबैक अनुसूची** : शुल्क प्रतिअदायगी अनुसूची 2013-14 की सभी उद्योग दरों को अधिसूचना सं. 98/2013- सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 14.09.2013 द्वारा 21.09.2013 से अधिसूचित किया गया है। अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(क) अनेक मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी की सभी उद्योग दरें, जो पहले से ही डीईपीबी मदों के समावेशन से पूर्व प्रतिअदायगी अनुसूची के अंतर्गत पहले से ही समाविष्ट थीं, घटा दी गई हैं और सोने व चांदी के गहने, रेशम के धागे, रेशमी परिधान, रेशमी कपड़े और मेड-अप्स, काष्ट कला के बर्तन आदि जैसी कुछ मदों पर बढ़ाया गया है।

(ख) 1 प्रतिशत (संयुक्त) और 0.3 प्रतिशत (सीमा शुल्क) का अवशिष्ट एआईआर अध्याय 4,15,22 अध्याय 24 में कुछ मदों और मामले में तथा अध्याय 35 में इसके व्युत्पन्न के अंतर्गत अब तक शून्य दर की मदों हेतु प्रदान किया गया है। सोने/ चांदी के गहनों पर यथा अनुप्रयोज्य समान निबंधनों के अध्यधीन एआईआर चांदी की वस्तुओं (सुनार-बर्तनों) हेतु भी प्रदान किया गया है और उक्त अधिसूचना के नोट और शर्तें (22)/(23) भी प्रासंगिक होंगी।

(ग) टैरिफ मद सं. 22071090 के अंतर्गत ईथेनॉल/ ईएनए हेतु प्रदत्त निश्चित दर 1 प्रतिशत (संयुक्त) और 0.3 प्रतिशत (सीमा शुल्क) पर बदल दी गई है। यथा मूल्य दरों का अध्याय 37 की कतिपय मदों और अध्याय 71 के गहनों हेतु प्रावधान किया गया है।

(घ) यद्यपि, 1 प्रतिशत यथा मूल्य (संयुक्त) और 0.3 प्रतिशत (सीमा शुल्क) की विद्यमान अवशिष्ट दर बनी हुई है, उच्चतर अवशिष्ट दरें 1.5 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत (सीमा शुल्क) तक अथवा 2 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत (सीमा शुल्क) तक, जैसा भी मामला हो, घटा दी गई है।

(ड.) पूर्व डीईपीबी स्कीम से प्रतिअदायगी अनुसूची में समावेषित मदों पर, दरों के पुनःसंरेखण की प्रक्रिया इन दरों की युक्तिसंगत व्याख्या के साथ जारी है। सामान्यतः, इन मदों पर ए आई आर कुछ प्रयोज्य अवशिष्ट दरों सहित घटाई गई हैं। अध्याय 84, 85 अथवा 93 के कतिपय इलेक्ट्रॉनिक सामान के मामले में, अवशिष्ट दर 1 प्रतिशत (सीमा शुल्क) पर दिए गए हैं।

(च) 2 प्रतिशत से अधिक यथामूल्य सभी उद्योग दरों सहित अधिकांश टैरिफ मदों के मामले में, दरें प्रतिअदायगी कैप्स के साथ अनुपूरक की गई हैं।

(छ) पृथक टैरिफ प्रविष्टियां सूती बैगों, धूसर और सूत के बुने हुए रंगे कपड़े, एमएमएफ के, सम्मिश्रण के जहां सूत प्रबल होता है और जहां एमएमएफ प्रबल है के सम्मिश्रण का, लाइक्रा के साथ धूसर और रंगे सूती कपड़े, महिलाओं के/ लड़कियों के टॉप्स, एमएमएफ के कशीदाकारी कपड़े, कांच के बनावटी गहने, गियर हब्स के साथ पूर्ण बहु-गति साइकिल, एल्यूमीनियम के बने क्रैन्क्स, एकल गति चेन पहिया और क्रैन्क (एल्यूमीनियम के बने क्रैन्क), तकिये/ गद्दे/ रजाइयों/पोली-फिल/पोलीफिल्स से भरे पॉफल्स, आदि का सृजन किया गया है। विभिन्न चार अंकों के स्तरों के अंतर्गत समान दरों और कैप्स से कुछ टैरिफ मदों की प्रतिकृति भी गई है और कतिपय टैरिफ मदों के वर्णन को वर्गीकरण मुद्दों के अभिभाषण हेतु सुधारा गया है।

(ज) शुल्क प्रतिअदायगी का एआईआर दुग्ध, दुग्ध उत्पादों, केसीन और इसके व्युत्पन्न तथा गेहूं पर आहरित ए आई आर पर प्रदान किया गया है।

2.15 **प्रतिअदायगी से संबद्ध अन्य पहलू** : अनंतिम ब्रांड दर की मंजूरी संबंधी फॉर्म फा. सं. 609/110/2005- डीबीके जारी किए गए बोर्ड के अनुदेश दिनांक 26.08.2005, दिनांक 11.10.2013 के अनुदेशों द्वारा दोहराए गए थे और यदि दावा प्रतिअदायगी नियमावली,1995 के नियम 7 के अंतर्गत किया गया हो तो अनंतिम ब्रांड दर को जारी किए जाने हेतु सात दिन की समय-सीमा नियत की गई थी।

2.16 **सुधार और व्यापार प्रसुविधा उपाय** : सीबीईसी सुधारों को आरम्भ किए जाने में एक प्रारम्भिक शुरुआतकर्ता रहा है और 1994 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि और प्रक्रियाओं में पर्याप्त सुधार पहले ही किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य करदाताओं में एक बड़ा विश्वास रखने और स्वचालन तथा व्यापार प्रसुविधा उपायों के माध्यम से अनुपालन और सुपुर्दगी प्रणाली में पर्याप्त सुधार लाने के लिए किया गया था। सीबीईसी ने भारत में करदाता सेवाओं, पारदर्शिता, जवाबदेही और अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में दक्षता में सुधार के उद्देश्य से अनेक ई-शासन पहलों को भी शुरु किया है। इन अनुप्रयोगों को वेब आधारित और कार्यप्रवाह-आधारित प्रणालियों के माध्यम से सीमाशुल्क, केन्द्रीय उतपाद शुल्क और सेवा कर में सभी मुख्य प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया है जिससे विभगीय अधिकारियों और कर दाताओं के मध्य वास्तविक उपस्थिति को कम करना है ताकि भ्रष्ट अभिक्रियाओं के लिए विवेक और अवसर को कम किया जाए। महत्वपूर्ण व्यापार प्रसुविधा उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

2.17 **सीमा शुल्क** : सीमा शुल्क ने अर्थपूर्ण और प्रभावी व्यापार प्रसुविधा की शुरुआत की है जिसने करदाताओं हेतु निम्नलिखित उपायों के माध्यम से लेन-देन की लागतों को कम किया है।

2.18 **सीमा शुल्क में स्वचलन** : सीबीईसी ने 2009 में भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को सुधारा था जिसे देश में 109 सीमा शुल्क स्थलों में शुरू किया गया है। भारतीय सीमा शुल्क ई डी आई गेट वे (आईसीईजीएटीई), द गेट वे पोर्टल ईडीआई भागीदारों हेतु अनेक सेवाओं की मेजबानी करता है और किसी भी समय (24/7) कहीं से दस्तावेज की ई-फाइलिंग हेतु

प्रसुविधा प्रदान करता है। आईसीईजीएटीजीएटीई और आईसीईएस 1.5 लगभग 6.7 लाख आयातकों/ निर्यातकों को सेवा दे रहे हैं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 98 प्रतिशत का निर्वहन कर रहे हैं। सीबीईसी अग्रणी विभागों में से है जिसने एक लगातार ढंग में अंतिम प्रयोक्ताओं तक आईटी सेवाओं को प्रदान किए जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना लाइब्रेरी(आईटीआईएल) को अंगीकृत किया है। निम्नलिखित करदाता सेवाएं आयातकों और निर्यातकों को प्रदान की गई हैं :-

(क) प्रविष्टि के बिलों की ई-फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक पावतियों सहित आईजीएम/ ईजीएम

(ख) एक मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) जिसके द्वारा विश्वसनीय आयातकों को फास्ट ट्रैक सीमा शुल्क अदायगी की सुविधा में बढ़ोत्तरी की गई है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से अभिरक्षक, बंदरगाह प्राधिकारी, शिपिंग लाइनें, एयरलाइंस, सीमा शुल्क दलालों, डीजीएफटी, बैंकों और अन्य सरकारी अभिकरणों जैसे 17 प्रकार के पणधारियों के साथ सम्बद्धता। इससे अभिकरणों और स्थलों के मध्य कागजी कार्यवाही को समाप्त किया गया है।

(घ) शुल्कों की इलेक्ट्रॉनिक अदायगी की प्रसुविधा।

(ड.) जोखिम प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से चयनित मूल्यांकन और परीक्षा

(च) सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रविष्टि के बिलों और शिपिंग/बिलों को फाइल किए जाने की प्रसुविधा।

(छ) पहले आओ-पहले पाओ के आधार और स्थिति पर कार्यवाही किए गए दस्तावेज का पता लगाया जा सकता है।

(ज) प्रतिअदायगी सीधे ही निर्यातकों के बैंक खातों में जमा की गई है।

(झ) निर्यातों पर अदा किए गए सेवा कर की इलेक्ट्रॉनिक वापसी।

(अ) देश भर में शुल्क दरों और व्यापार नीति की एक रूप प्रयोज्यता।

(ट) केन्द्रीकृत बांड प्रबंधन और मोचित परामर्शों का विमोचन ने किसी स्थल से बांड फाइल करने और किसी अन्य स्थल से प्रभावी निकासी हेतु व्यापारियों को समर्थ बनया है।

(ठ) डीजीएफटी को शिपिंग बिलों के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण और लाइसेंसों की ऑनलाइन प्राप्ति ने विभागों के साथ वास्तविक इंटरफेस को कम किया है और लेन-देन के समय और लागत को भी कम किया है।

(ड) टोल-फ्री नम्बर के साथ चौबीस घण्टे का सहायता केन्द्र।

(ढ) स्वचालित रिकॉर्डिंग और लक्ष्य निर्धारण प्रणाली (एआरटीएस) बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण प्रदान करती है।

2.19 **स्वमूल्याकन** : आयातकों अथवा निर्यातकों द्वारा सीमा शुल्क का स्व मूल्यांकन वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा शुरू किया गया था। यह विभागीय अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन से एक विश्वसनीयता आधारित स्वमूल्यांकन प्रणाली का एक प्रतिमान बदलाव है। इसका उद्देश्य आयातित/ निर्यातित सामान के त्वरित निर्गमन से है। सही उद्घोषणाओं और शुल्क अदायगी सुनिश्चय के अनुसार राजस्व का हित एक इलेक्ट्रॉनिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली(आरएमएस) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जो आकलन अथवा परीक्षण अथवा दोनों के लिए जोखिम भरे समनुदेशनों की पहचान करता है। स्व आकलन को अंतरण क्रमशः इस समय के 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत, 70 प्रतिशतऔर 60 प्रतिशत हवाई, समुद्री और अंतःस्थलीय कंटेनर डिपो (आईसीडीज) के माध्यम से आयातित समनुदेशनों के सुविधा स्तर को बढ़ाने के प्रति लक्षित है।

2.20 **स्थान विशेष पर ही डाक निकासी लेखापरीक्षा (ओ एस पी सी ए)** : 'स्थान विशेष पर ही डाक निकासी लेखापरीक्षा' की स्कीम सीमाशुल्क अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के अंतर्गत पंजीकृत आयातकों हेतु लागू की गई है। यह स्कीम सामान की सीमा शुल्क निकासी प्रसुविधा और इसमें लगने वाले समय को कम करने के प्रति लक्षित है। इसी समय में, राजस्व का हित वार्षिक आधार पर आयातक/निर्यातक के परिसरों में रिकॉर्डस और दस्तावेज के समग्र सत्यापन द्वारा सुरक्षित रखा गया है। आयातकों/ निर्यातकों की अन्य श्रेणियों पर बाद में समावेशन हेतु विचार किया जाएगा।

2.21 **प्राधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम**: भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकृत आर्थिक संचालक (एईओ) कार्यक्रम को सुरक्षा मानक ढांचे का अंगीकरण विश्व सीमा शुल्क संगठन के अनुसरण में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य एक सुरक्षित आपूर्ति श्रंखला में एक व्यावसायिक भूमिका तथा कानूनों के अनुपालन की प्रमुखता देने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गुणवत्ता कार्य सहित अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रंखला में व्यवसाय प्रदान करना है। पूर्णरूपेण भारतीय एईओ कार्यक्रम 2012 में सीबीईसी

द्वारा शुरु किया गया था और वर्तमान में 16 आवेदन क्षेत्रीय एककों के साथ-साथ मुख्यालय स्थित एईओ केन्द्रों पर कार्यवाही की जा रही है। एईओ कार्यक्रम के बृहत्त प्रचार हेतु फैम्फलेट और विज्ञापन प्रचार-प्रसार और लोक सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों और स्थानीय समाचार पत्रों के मध्य परिचालित किए गए हैं। क्षेत्रों में व्यापार संवेदीकरण कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है।

2.22 24x7 सीमा शुल्क निकासी :

(i) आयातकों और निर्यातकों की सुविधा के लिए आदेश में, सीबीईसी ने आयातों और निर्यातों की कतिपय श्रेणियों के संबंध में पहचाने गए एयर कार्गो परिसरों अर्थात, बैंगलोर, चेन्नै, दिल्ली और मुम्बई; और समुद्री बंदरगाहों अर्थात, न्हावाशेवा, कांडला, चेन्नै और कोलकाता पर 2012 से चौबीस घण्टे सीमा शुल्क निकासी आरम्भ की। इस प्रसुविधा को अब बढ़ा दिया गया है और इस समय 17 एअर कार्गो परिसर और 4 समुद्री बंदरगाह इसके तहत आते हैं।

(ii) देश में ही निर्मित सामान की निकासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन और प्रस्थान हाल में स्थित शुल्क मुक्त दुकानों हेतु अनुमत की गई है। प्रतिबंधों और निषेधों सहित यदि स्वदेशी माल की खरीद के लिए चालक दल और यात्रियों पर लागू कोई अनुमेय भत्ता हो तो वह समान सामान नियमों जो आयातित सामान का नियंत्रण करता है द्वारा नियंत्रित है।

(iii) निर्यातकों द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को पटपड़गंज और मुलुन्द स्थित आईसीडीज पर 15.07.2013 से प्रारम्भ की गई थी। इसका लक्ष्य जोखिम मापदंडों के आधार पर जोखिम समनुदेशनों की जांच-पड़ताल को सीमित कर बंदरगाह संकुलन के समय को कम करने, निर्यात माल के प्रवाह में तेजी लाना है।

2.23 **अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रभाग** : आयातित खाद्य तेलों (जो अगस्त, 2006 से अब तक संशोधित नहीं किया गया था) के टैरिफ मूल्यों को अस्थिर करने का प्रस्ताव सीसीईए के अनुमोदन प्राप्ति पर कार्यान्वित किया गा था। यह भी एक राजस्व के प्रति सकारात्मक उपाय है क्योंकि यह 70 प्रतिशत से अधिक टैरिफ मूल्यों में बढ़ोत्तरी में परिणत हुआ। टैरिफ मूल्य अधो-मूल्यांकन पर अंकुश लगाने के लिए सुपारी पर शुरु किया गया है। अधिकांश आयातित समनुदेशनों का मूल्य सबसे पहले 700-800 यूएस डॉलर प्रति मीट्रिक टन की सीमा में घोषित किया जा रहा था। वर्तमान टैरिफ मूल्य 1816/एमटी यूएस डॉलर है। इस विभाग ने देश की सीमाओं पर व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न सीमा अभिकरणों के साथ समन्वय में एक केन्द्रीय भूमिका ले ली है। इसमें नियामक अपेक्षाओं पर पणधारियों हेतु शैक्षिक संगोष्ठियां करने और संकल्प हेतु अन्य मंत्रालयों के साथ ओजीए अपेक्षाओं के मुद्दे का अनुकरण शामिल है। इस संबंध में, गुवाहाटी और अमृतसर में दो संगोष्ठियां आयोजित की गई जहां आयातों/ निर्यातों के साथ संबद्ध नियामक अभिकरणों के प्रतिनिधियों ने व्यापारियों के साथ परस्पर विमर्श किया। सीमा शुल्क, 1962 की धारा 69 डाक के माध्यम से सामान के पुनः निर्यात हेतु अनुमत किए जानेके लिए संशोधित किया गया था जो परिवहन के किसी माध्यम से पूर्व में आयात किए गए थे और माल गोदाम, अनुमोदित किया गया था। इससे एक मुख्य अंतरण हब बनने हेतु भारतीय एफपीओ को मदद मिल सकती है। निर्यात संवर्धन पुरस्कार स्कीम्स के अंतर्गत डाक के माध्यम से निर्यातों को अनुभव किए जाने हेतु एक स्कीम संचालित की गई है।

2.24 **इंटरएक्टिव वेबसाट** :भारतीय सीमा शुल्क ने सामान की निकासी के लिए टैरिफ वर्गीकरण, सीमाशुल्क की प्रयोजय दर और अन्य नियामक अपेक्षाओं को जानने के लिए आयातकों/निर्यातकों को समर्थ बनाने के लिए एक प्रयोक्ता अनुकूल अन्योन्यक्रिया वेबसाइट विकसित की है। इंटरएक्टिव वेबसाइट सीमा शुल्क में स्वमूल्यांकन की शुरुआत के पश्चात शुल्क का सही आकलन किए जाने हेतु व्यापारियों को शिक्षित किए जाने के लिए मदद का एक प्रभावी साधन है।

2.25 **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर** : सीबीईसी ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत भारत सरकार के एक मीशन मोड परियोजना (एमएमपी), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचलन (एसीईएस)का कार्यान्वयन किया है। एसीईएस ने विभाग के साथ उनका व्यवसाय संचालन किए जाने हेतु लगभग 20 लाख अप्रत्यक्ष करदाताओं की राह को बदल दिया है। यह आवेदन सभी 104 आयुक्तालयों में 2009 में राष्ट्रीय रूप में चल रहा है।

निम्नलिखित करदाता सेवाओं को एसीईएस के अंतर्गत प्रदान किया गया है:

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आकलन का ऑन-लाइन पैन-आधारित पंजीकरण और ऑनलाइन संशोधन। एसीईएस आयकर डाटाबेस के साथ पैन की ऑनलाइन वैधता हेतु प्रावधान करता है ताकि जब कोई करदाता एक गलत पैन डालता है तो प्रणाली इसको दर्शाएगी।

(ii) दावों, अनुमति, संसूचनाओं और इसके प्रसंस्करण की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग।

(iii) दस्तावेज पहचान संख्या सहित दस्तावेज की त्वरित ई-पावती।

(iv) ऑन-लाइन दस्तावेज की स्थिति को देखना, दाखिल करना ओर नजर रखना।

(v) ई-भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन स्थिति की जांच करना।

(vi) ऑन लाइन राजस्व सुलह।

(vii) व्यवसाय संबंधी मामलों पर प्रयोक्ताओं को ऑनलाइन संदेश/ चेतावनियां

(viii) अधिनिर्णयन प्राधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना, व्यक्तिगत सुनवाई और पारित आदेशों के बारे में निर्धारितियों को ऑनलाइन सूचना

(ix) कारण बताओ नोटिस के उत्तरों को ऑनलाइन दर्ज करना।

(x) अनंतिम आकलन हेतु आवेदन को ऑनलाइन दर्ज करना।

(xi) रिफंड दावों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रसंस्करण।

(xii) चुनिंदा निर्यात संबद्ध दस्तावेज की ऑनलाइन फाइलिंग।

2.26 **सरलीकृत सेवाकर रिफंड प्रक्रिया** : निर्यातक समुदाय, विशेषकर व्यापार निर्यातकों के लिए लाभकारी एक सरलीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवा कर रिफंड तंत्र को शुरू किया गया था जिसमें कर रिफंड प्रक्रिया, जो पदनामित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अधिकारियों द्वारा पेश किया जाता है को सीमा शुल्क आवेदन- आईसीईएस 1.5 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से समर्थ बनया गया है।

2.27 **सेवोत्तम** : लोक सेवाओं की गुणवत्ता को उन्नत किए जाने हेतु केन्द्र सरकार पहल के एक भाग के रूप में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) लोक सेवाओं हेतु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए बृहत्त नागरिकों का सामना करने के साथ 10 संगठनों में से एक के रूप में पहचाना गया है। यह 'सेवोत्तम' के नाम के अंतर्गत, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा तैयार किए गए, भारतीय मानक आईएस : 15700 : 2005 पर आधारित है। जैसे कि इस समय सीबीईसी के अंतर्गत 13 अधिकारी सेवोत्तम प्रमाणित है और 8 और सेवोत्तम अधिकारी प्रमाणन लेखापरीक्षा के लिए तैयार है। विभाग ने चरण-III शुरू किए जाने कि लिए 47 आयुक्तालयों को भी चुना है।

2.28 **सीबीईसी की संवर्ग समीक्षा** : कर्मचारियों की कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने और संगठनात्मक ढांचे को व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने सीबीईसी के संवर्ग पुनर्गठन को मंजूरी दी है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों पर 18067 अतिरिक्त पदों का सृजन हुआ है। सीबीईसी ने सभी आरआरएस (सीएंडसीई) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को डिजिटल किया है।

2.29 **ई-हेल्पलाइन** : सीबीईसी ने विभाग के कार्यालयों में निर्धारितियों के आए बिना एक प्रशासकीय अनुकूल ढंग में व्यापार और उद्योग की शंकाओं के स्पष्टीकरण हेतु जोनल स्तरों पर एक ई-हेल्पलाइन प्रसुविधा की शुरूआत की है। करदाता प्रक्रियात्मक विलम्बों के समाधान हेतु- ई-हेल्पलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं।

3. राज्य कर

3.1 **मूल्य वर्धित कर (वैट)** : चूंकि मूल्य वर्धित कर राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र सरकार ने वैट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभाई है। केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

- वैट को लागू करने के कारण किसी राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए पैकेज कार्यान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के लिए राज्यों द्वारा दायर दावों के कारण आज की तारीख तक राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा 19002.82 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है।
- पूर्वोत्तर राज्यों को 100 प्रतिशत आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे अपने वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण करने में समर्थ हो सके। हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में वैट प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण के लिए 40.49 करोड़ रूपये की समग्र लागत की एक परियोजना स्वीकृत की गयी है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वैट प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना आरंभ की गयी है।

- अन्तरराज्यीय लेन-देनों पर नजर रखने के लिए कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) (टिनेक्स) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति को 50 प्रतिशत निधि प्रदान की जा रही है।

- दो संस्थानों, कराधान अध्ययन केन्द्र, केरल तथा सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कोलकाता को संस्थागत क्षमता के निर्माण तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लोक वित्त एवं नीति संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु सहायता के रूप में प्रत्येक को 14 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

3.2 **केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी)** : यद्यपि, केन्द्रीय बिक्री कर उद्गम आधारित गैर छूट प्राप्त कर होने के कारण वैट की अवधारणा के अनुरूप नहीं है जो कि गंतव्य आधारित कर है। केन्द्रीय बिक्री कर को 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है और केंद्रीय बिक्री कर को 1 जून, 2008 से और कम करके 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया गया है। केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए पैकेज पर सहमति हो गई है। राज्यों को राजस्व वृद्धि उपायों व बजटीय सहायता के सम्मिलित उपायों के द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही है। चूंकि राजस्व बढ़ाने हेतु उपायों तथा इसके द्वारा राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा रही है, सरकारी विभागों द्वारा फार्म-घ के विरुद्ध केंद्रीय बिक्री कर की रियायती दरों पर अंतरराज्यीय खरीद की सुविधा को 1.04.2007 से वापस ले लिया था। इसके अलावा, राज्यों को केन्द्रीय करों के हस्तांतरण के किसी भी भाग की हानि के बगैर तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर राज्यों द्वारा वैट लगाने के लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त शेष हानि के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की दर की कटौती के कारण होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में आज की तारीख तक राज्यों को 30860.42 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है। भारतीय संघ सरकार द्वारा राज्यों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2013-14 के बजट में 9000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

3.3 **माल एवं सेवा कर (जी एस टी)** : राज्यों के साथ लंबी चर्चा के पश्चात जीएसटी को लागू करने में समर्थ होने के लिए संविधान को और संशोधित करने के लिए संविधान (115 वां संशोधन) विधेयक दिनांक 22.03.2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। प्रथा के अनुसार विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति (एसएफसी), लोक सभा के विचारार्थ भेजा गया था। एसएफसी ने अपनी रिपोर्ट 7 अगस्त, 2013 को लोक सभा को प्रस्तुत की। वर्तमान में अधिकार-प्राप्त समिति/राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया जारी है।

3.4 **भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899** : भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की एक व्यापक समीक्षा की गई है। राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श कर लिया गया है। भारतीय स्टांप (संशोधन) विधेयक के मसौदे की विधायी कार्य विभाग तथा विधायी विभाग और राज्यों (केंद्रीय मंत्रालयों) से परामर्श करके विधीक्षा की जा रही है।

3.5 **पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के विकास पर किए गए कार्य** : पूर्वोत्तर राज्यों के वैट प्रशासन (एनईवीएटी) के कम्प्यूटरीकरण की योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। यह परियोजना मैसर्स टीसीएस के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही थी। परियोजना के एएमसी संविदा की अवधि 31.3.2011 को समाप्त हुई और सामान्य आस्तियों को छोड़कर परियोजना की सभी आस्तियों को संबंधित राज्यों के बीच वितरित किया गया। उसके पश्चात पूर्वोत्तर राज्यों के वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण वाणिज्यिक करों की मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-सीटी) के तहत जारी रखा गया, जिसमें भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को अपने वाणिज्यिक कर प्रशासनों की अपनी आईटी प्रणालियों को विकसित और उन्नत करने के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

3.6 ई-प्रशासन कार्यकलाप :

3.6.1 **माल और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन व्हीकल** : जीएसटी का निर्बाध आगे बढ़ना कर प्रशासन के सुदृढ़ कम्प्यूटरीकृत परिवेश पर निर्भर करेगा। तदनुसार, मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में दिनांक 28 फरवरी, 2013 को सरकार द्वारा आई टी आवश्यकता की देखभाल के लिए जीएसटी नेटवर्क के लिए एसपीवी की स्थापना की गई है। श्री नवीन कुमार को जीएसटीएन-एसपीवी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

3.6.2 **वाणिज्यिक करों संबंधी मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-सीटी)** : राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एन ई जी पी) के तहत राजस्व विभाग ने वाणिज्यिक करों के लिए एक मिशन मोड परियोजना को लागू कर दिया है। मंत्रिमंडल ने फरवरी, 2010 में एन ई जी पी के तहत एम एम पी-सी टी को अनुमोदन प्रदान किया था। यह परियोजना, जिसकी कुल लागत 1133.44 करोड़ रूपये है, से राज्यों को अपने वाणिज्यिक कर प्रशासनों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित तथा उन्नत करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना का उद्देश्य जहां एक ओर डीलरों को बेहतर सेवाएं मुहैया करना है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों की वाणिज्यिक

कर प्रशासनों की दक्षता में सुधार लाना है। राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अधिकार समिति (पी ई सी) का गठन किया गया है, जो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली व्यक्तिगत परियोजनाओं पर विचार तथा अनुमोदित करेगी। पी ई सी ने अब तक 33 राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों की जांच की है और इन्हें 1029.70 करोड़ रुपए की समग्र परियोजना लागत के साथ अनुमोदित किया है, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 725 करोड़ रुपए है। 570.69 करोड़ रुपए की राशि पहले से ही केंद्रीय हिस्से के रूप में संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को 30 नवंबर, 2013 को जारी की गई है।

3.6.3 **जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए वैट कम्प्यूटरीकरण** : जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के वैट कम्प्यूटरीकरण के लिए 40.49 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से एक परियोजना अनुमोदित की गई है, जिसमें केन्द्र की सहायता का भाग 25.33 करोड़ रुपए है। इन राज्यों के अनुरोध पर जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए वैट कम्प्यूटरीकरण को करने की जिम्मेदारी राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) को सौंपी गई है। 30 नवंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार, अनुमोदित परियोजना कार्यकलापों के लिए राजस्व विभाग द्वारा ईसी को 12.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। परियोजना को नियमित आधार पर मानीटर करने के लिए केन्द्र के स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर परियोजना मानीटरिंग समितियां गठित की गई हैं।

3.6.4 **कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टीआईएनएक्सएसवाईएस)** : कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) एक परियोजना है, जो अंतरराज्यीय संव्यवहारों पर प्रभावी ढंग से निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। इस परियोजना को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर विभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिससे वे अन्तरराज्यीय व्यापार के संबंध में डाटा आदान-प्रदान कर सकें और कर-अपवंचन की जांच करने में उन्हें सहायता मिल सके। इस परियोजना को 1 नवंबर, 2004 से राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस परियोजना की लागत की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की है जबकि शेष राशि राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से वहन की जाएगी।

टीआईएनएक्सएसवाईएस परियोजना की समीक्षा करने के लिए अपर सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में 21 मई, 2013 को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान यह नोट किया गया कि इस परियोजना को लगभग नौ वर्ष तक भारत सरकार की सहायता प्राप्त हुई है और 31 मार्च, 2013 के बाद भारत सरकार से और सहायता मिलना संभव नहीं था। यह महसूस किया गया कि राज्य आसानी से अंशदान दे सकते हैं और परियोजना को जारी रख सकते हैं। यदि अधिकार-प्राप्त समिति महसूस करती है कि इस परियोजना को और आगे जारी रखना आवश्यक है, तो इसे राज्यों से शत-प्रतिशत सहायता से जारी रखा जा सकता है।

4. **आर्थिक सुरक्षा कक्ष** : धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 के पश्चात निम्नलिखित नियम तैयार/संशोधित किए गए:-

(i) धन शोधन निवारण (अनंतिम कुर्की आदेश) नियमावली, 2013 [सा. का. नि 557 (अ) दिनांक 19 अगस्त, 2013 के तहत अधिसूचित]।

(ii) धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट कुर्क अथवा अवरुद्ध संपत्तियों पर कब्जा) नियमावली, 2013 [सा. का. नि 558 (अ) दिनांक 19 अगस्त, 2013 के तहत अधिसूचित]।

(iii) धन शोधन निवारण (स्वरूप तलाशी व जब्ती अथवा अवरोधन, तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को प्रयोजन व सामग्री के प्रेषण की शैली, रिकार्ड का परिबंधन एवं अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) (संशोधन) नियमावली, 2013 [सा.का.नि. 559(अ.) दिनांक 19 अगस्त, 2013 के तहत अधिसूचित]।

(iv) धन-शोधन निवारण (रिकार्ड का रख-रखाव (संशोधन) नियमावली, 2013 [सा.का.नि. 576 (अ) दिनांक 27 अगस्त, 2013 के तहत अधिसूचित]।

5. **केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी)** : सीईआईबी, जो आर्थिक आसूचना पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसकी वर्तमान में अध्यक्षता विशेष सचिव-सह-महानिदेशक कर रहे हैं, की सहायता दो उप महानिदेशक और एक संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) करते हैं। ब्यूरो की कुल स्वीकृत संख्या 113 है जबकि वर्तमान में केवल 63 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। मौजूदा चार्टर के अनुसार यह आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है ; और आर्थिक आसूचना का समन्वयकर्ता और निधान (संग्रह) है, और केंद्र सरकार के स्तर पर कोफेपोसा अधिनियम, 1974 को प्रशासित करता है। इसके कार्यों के भाग के रूप में यह आर्थिक अपराधियों और अपराधों के डाटा आधार का रख-रखव करता है, आर्थिक अपराधों से संबंधित मुद्दों पर राजस्व विभाग के

लिए विचार मंच के रूप में कार्य करता है, 22 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (आरईआईसी) के कार्यों का पर्यावेक्षाण करता है और राजस्व विभाग के आधिकारियों/आरईआईसी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ईआईसी की पिछली बैठक दिनांक 13.09.2013 को माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ब्यूरो ने दिनांक 21.05.2013 और 10.12.2013 को राजस्व सचिव की अध्यक्षता में ईआईसी से संबंधित आसूचना उपकरण पर कार्यकारी समूह की दो बैठकें आयोजित कीं।

5.1 **अप्रैल से नवम्बर, 2013 की अवधि के दौरान ब्यूरो द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां** :

- चालू वर्ष के दौरान ब्यूरो के द्वारा विकसित आसूचना इनपुट के साथ-साथ अन्य एजेंसियों से प्राप्त इनपुट को आगे कार्रवाई के लिए सदस्य एजेंसियों को प्रसारित किया, जो विभिन्न विषयों जैसे कर अपवंचन, बैंक धोखाधड़ियों, एफआईसीएन आदि को आर्थिक सहायता के दुरुपयोग को कवर करती हैं।

- बहुस्तरीय विपणन के मुद्दे पर बनाए गए अध्ययन समूह पर कार्यकारी समूह की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। अध्ययन समूह ने विवेकी जांच करने के लिए एक केंदीय एजेंसी की शक्ति देने से संबंधित कतिपय उपायों की सिफारिश की जिसके लिए सीईआईबी का प्रयोग यह निर्णय करने के लिए कि किस एजेंसी का अग्रणी भूमिका का निर्णय लेने के लिए कोर समूह हेतु प्लेटफार्म के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

- ब्यूरो ने अंतर मंत्रालीय समूह (आईएमजी) द्वारा तैयार किए गए इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 से संबंधित मसौदा संशोधन विधेयक की जांच की और कतिपय सिफारिशें कीं।

- आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट में विहित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में सूचना से संबंधित आरबीआई और सीईआईबी के बीच इनपुट को साझा करने के संस्थागत तंत्र को तैयार करने के लिए एसएस-सह-डीजी की अध्यक्षता में शहरी कोआपरेटिव बैंकों के दुरुपयोग पर एक अंतर मंत्रालीय समूह का गठन किया गया था।

- सीईआईबी द्वारा संगत और भरसक प्रयास आयकर विवरणी फार्म में संशोधनों को लाने में परिणत हुए जिसके द्वारा अन्य विधानों को प्रभावित करने वाली ऐसी घोषित अतिरिक्त आय के पहलुओं का पता लगाने के लिए ''अन्य स्रोतों से आय'' के स्रोत/स्रोतों को प्रकट करने को अनिवार्य बनाया गया ।

- ब्यूरो ने अवैध अफीम के पोस्त की खेती का पता लगाने और नष्ट करने का समन्वय किया।

- यह आसूचना इनपुट को आनलाइन आदान-प्रदान के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित प्रचालनात्मक नेटवर्क का रख-रखाव करता है।

- यह आर्थिक अपराधियों और अपराधों के व्यापक डाटा आधार का रख-रखाव और इसको विकसित करता है।

- ब्यूरो में समन्वित कुछ प्रमुख मामले निम्नानुसार हैं :

  - अप्रकट आय को वापिस लाने के संबंध में सीईआईबी से सूचना के आधार पर डीजीआईटी (जांच), कोलकाता कंपनियों के एक समूह द्वारा 1337 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय के निषेचन का पता लगाने में समर्थ हुआ था।

  - सीईआईबी ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले को प्रकट किया जिसमें 08 कपंनियों के एक समूह ने जाली/नकली दस्तावेजों को प्रस्तुत करके विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 3000 करोड़ रुपए से अधिक लिए थे और इस धनराशि को अनुमोदित परियोजनाओं में निवेश करने की बजाए इसका 95 प्रतिशत से अधिक का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया।

  - दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने कर्मचारियों और संबंधियों को बाजार कीमतों से कम मूल्य पर काल प्रभार देकर ड्यूटी/कर का अपवंचन किया गया जिसमें अनुषंगी लाभ के साथ-साथ सेवा कर का अपवंचन भी शामिल है।

  - केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने निजी प्लेसमेंट कार्यक्रम जो कि एक कपटपूर्ण निवेश स्कीम है, की नई कार्य प्रणाली से संबंधित सूचना पर कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप अभी तक (लगभग) 2280 करोड़ रू0 की बेहिसाबी आय का पता लगा।

  - केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के बारे में सूचना तैयार की जिसके माध्यम से एक विनिर्माता द्वारा की गई 60 करोड़ रू0 की गुप्त निकासी का पता चला।

- ब्यूरो ने उन भारतीय मूल के 600 व्यक्तियों/निकायों के नामों और पतों की सूची विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अग्रेषित की है जिन्हेंने संभवतः कर-पनाह देने वाले देशों में निधियों को रखा है।

- ब्यूरो ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उन कतिपय समूहों के संबंध में सूचना तैयार की है जो विभिन्न कंपनियों को बिना सामग्री की आपूर्ति के 2000 करोड़ रू0 से अधिक मूल्य के बोगस बिल जारी कर रहें हैं।

- ब्यूरो ने भारतीय मर्केंटाइल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ के माध्यम से शोधित की गई बहुत बड़ी बेहिसाबी धन राशि के संबंध में सीबीडीटी के साथ सूचना को साझा किया।

- वर्ष 2013 के दौरान, सीबीईसी और सीबीडीटी की ओर से ब्यूरो में प्राप्त रिपोर्टों में से सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर संबंधी 3096 करोड़ रू0 के शूल्क अपवचंन और 4219 करोड़ रू0 की अप्रकटित आय के 1685 मामलों को अलग चुना गया है ।

- ब्यूरो ने देश में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से प्राप्त 29,354 चल मुद्रा घोषणा प्रपत्रों (सीडीएफ) का विश्लेषण किया और संबंधित आसूचना और पूछताछ एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा किया।

- मुंबई में बिक्री कर विभाग ने 25000 करोड़ रू0 (लगभग) राशि के जाली (बोगस) बिक्री बिलों की कार्य प्रणाली का पता लगाया इस जानकारी को आरईआईसी के साथ साझा किया गया। ब्यूरो ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को कार्य प्रणाली के विवरण और की जाने वाली कार्रवाई को प्रसारित किया।

- ईआईसी की बैठकों में बहुस्तरीय विपणन (एमएलएमएस) स्कीम और इन स्कीमों से संबंधित सूचना को तत्संबंधी राज्यों तक निरंतर प्रसारित करने संबंधी मुद्दे को शामिल करने की सीईआईबी की सतत कार्रवाई के परिणामस्वरूप एफआईयू-इंड से सीईआईबी में 33 संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्टें (एसटीआर) और उन दो राज्यों अर्थात केरल और कर्नाटक जिन्होंने कुछ एमएलएम स्कीमों को बंद करने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं तथा कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनकी परिसंपत्तियों को जब्त किया है, की ओर से प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई है।

- जाली भारतीय मुद्रा नोट संबंधी रिपोर्टः मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के निदेशों के अनुपालन में, सीईआईबी जाली भारतीय मुद्रा के मुद्रण, तस्करी और परिचरण के संबंध में आरबीआई, सभी केंद्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य पुलिस से निर्धारित प्रपत्र में आंकड़े एकत्र करता है और इस मामले पर एक अर्द्धवार्षिक राष्ट्र स्तरीय व्यापक विश्लेषण रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट को ऐसी 22 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों के साथ भी साझा किया गया था जिनमें केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सभी आर्थिक और अन्य विधि एजेंसियों के भी भागीदार हैं।

- कोफेपोसा अधिनियम, 1974 का समग्र प्रशासन सीईआईबी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में से एक है। जनवरी से नवंबर,2013 तक की अवधि के दौरान इस अधिनियम के तहत, 40 नजरबंदी आदेश जारी किए गए थे। उक्त अवधि के दौरान वास्तव में 33 व्यक्ति कैद किए गए थे जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें ये आदेश विगत वर्षों में जारी किए गए थे।

- ब्यूरो को 2013-14 (02.12.2013 तक) की अवधि के दौरान 39 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 6 आवेदनों को संबंधित जन प्राधिकारियों के पास हस्तांतरित किया गया था, 22 आवेदनों को अधिनियम की धारा 24(1) के तहत सूचना नहीं दी गई थी और 05 को जवाब दे दिया गया था।

- ब्यूरो ने वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों के आसूचना एकत्र करने की तकनीक संबंधी पूछताछ कौशल को बढ़ाने के लिए 5 कार्यक्रम आयोजित किए।

6. एकीकृत वित्त प्रभागः

6.1 एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा किये गये कार्यकलापः एकीकृत वित्त प्रभाग की तीनों यूनिटें बजट तैयार करने, आवंटन, व्यय मॉनिटरिंग, नियंत्रण, अर्थव्यवस्था लागू करना, क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे व्यय प्रस्तावों की संवीक्षा एवं मंजूरी के संबंध में राजस्व विभाग के अंतर्गत उन सभी कार्यालयों को सेवाएं प्रदान करती हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ राजस्व मुख्यालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, स्वापक नियंत्रण प्रभाग, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, मुख्य नियंत्रक फैक्टरी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक/(वि0आ0ए0-भा0),प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपील अधिकरण(सीस्टेट), समझौता आयोग(आई टी/डब्ल्यू टी), अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, पी एम एल ए के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, आयकर लोकपाल, राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संवर्धन समिति, आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें आयकर (प्रणाली) महानिदेशालय, आयकर (विधिक एवं अनुसंधान) महानिदेशालय, आयकर (संगठन और प्रबंध सेवा) निदेशालय, आयकर (अवसंरचना) निदेशालय, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है, केन्द्रीय उ.शु. एवं सी.शु. के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन महानिदेशालय, मानव संसाधन विकास निदेशालय, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, केन्द्रीय उ.शु. आसूचना महानिदेशालय, सेवा कर महानिदेशालय, राष्ट्रीय सी.शु.उ.शु. एवं स्वापक अकादमी, आदि शामिल हैं।

6.2 व्यय एवं वित्तीय प्रस्तावों के विवरण जिनकी संवीक्षा की गई व मंजूर किये गयेः

(क) राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए पदों का सृजन एवं जारी रखना, रिहायशी आवासों के साथ-साथ कार्यालयों का विनिर्माण/क्रय/किराये पर लेना।

(ख) तस्करी रोधी उपकरणों जैसे स्कैनर व जलयान प्राप्त करने सहित सामान व सेवाएं उपलब्ध करना।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागीय अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव।

(घ) पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संघटक एककों में कार्मिकों की पुनः तैनाती।

(ड.) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों एवं आयकर क्षेत्रीय कार्यालयों सहित राजस्व विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण।

(च) मूल्यवर्धित कर (वैट) के प्रयोजनों के लिए राज्यों का कम्प्यूटरीकरण।

(छ) सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य (जी ओ ए डब्ल्यू) के कार्यों की देखभाल करने वाली राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रबंधन समिति(सी ओ एम) से प्राप्त प्रस्ताव।

(ज) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान तथा केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड को सहायता अनुदान।

(झ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/के.उ.शु. एव सी.शु. बोर्ड की व्यापक कम्प्यूटरीकरण योजना, पूंजीगत व्यय, जिनमें तीनों विभागों के लिए कार्यालय/आवासीय परिसरों एवं निर्मित कार्यालय/आवासीय भवनों का निर्माण, वाणिज्यिक करों हेतु मिशन मोड परियोजना (एम एम पी-सी टी) तथा पूर्वोत्तर वैट(एन ई वैट) कंप्यूटरीकरण परियोजना शामिल है, के संबंध में स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी), योजनेतर व्यय समिति (सी एन ई) एवं आर्थिक कार्यों के लिए मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) हेतु प्रस्ताव।

(ञ) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि एवं विशेष उपकरण निधि से वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव। मनोरंजन/खेलकूद क्लब, जिम्नेजियम्स, विभागीय कैन्टीन, विभागीय अधिकारियों के बच्चों के लिए क्रेच तथा अतिथि गृह स्थापित करने/उन्हें पुनः सजाने के संबंध में मानकों का पुनरीक्षण को अंतिम रूप प्रदान किया गया। बालिकाओं और श्घ' वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को विशेष महत्व देते हुए मेधावी बच्चों के लिए नकद पुरस्कार योजना के स्कोप को संशोधित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के कई और बच्चों को लाभ मिला।

(ट) सक्षम प्राधिकारी मंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के लिए 1 प्रतिशत वृद्धिशील राजस्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान का उपयोग करने के लिए के0प्र0क0बोर्ड/के0उ0शु0सी0 बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाएं ।

(ठ) वित्तीय नियमों में छूट/व्याख्या संबंधी प्रस्ताव तथा ऐसे सभी प्रस्ताव जिन्हें विचारार्थ व्यय विभाग को भेजना अपेक्षित है।

6.3 राजस्व विभाग का व्यय बजट/कर रहित राजस्व प्राप्तियां, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों का बजट अनुमान 2013-14/ संशोधित अनुमान 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 तैयार किया गया, सचिव (व्यय) के साथ इन पर विचार-विमर्श किया गया तथा निम्न प्रकार से अंतिम रूप दिया गया :-

(करोड़ रूपये में)

अनुदान	अनुदान सं0	2013-14		2014-15
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
राजस्व विभाग	42	10217.90	773.36	16732.90
प्रत्यक्ष कर	43	4361.89	4177.54	5092.89
अप्रत्यक्ष कर	44	3979.50	3943.56	5155.33

6.4 एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान उठाये गये कदम/की गई पहल इस प्रकार है :-

(i) बजट प्रभाग द्वारा यथा परिकल्पित मासिक व्यय योजना (एम ई पी) एवं त्रैमासिक व्यय हेतु आवंटनों (क्यू ई ए) के अनुसार नकद प्रबंध योजना का कार्यान्वयन।

(ii) बजटीय आवंटनों एवं मासिक व्यय योजना (एम ई पी)/त्रैमासिक व्यय हेतु आवंटनों की तुलना में मासिक व तिमाही व्यय की समीक्षा करना, तथा त्रैमासिक डी ओ पत्रों के माध्यम से राजस्व सचिव एवं व्यय सचिव को रिपोर्ट करना।

(iii) व्यय विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों के अनुरूप खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए व्यय करने वाले प्राधिकारियों को परामर्श देना तथा किये गये खर्च की आवधिक समीक्षा द्वारा खर्च में किफायत के अनुदेशों को लागू करना।

(iv) परिणामी बजट को तैयार करना व इसकी समीक्षा, तथा महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे वैट/केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) लागू करने से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति तथा वैट योजना के कार्यान्वयन के संबंध में लक्ष्यों व बजटीय आवंटन के संदर्भ में आउटपुट्स की मॉनिटरिंग की गई; कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टिनेकस) स्थापित करना; सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य, आयकर विभाग का व्यापक कम्प्यूटरीकरण; आवासीय एवं कार्यालय हेतु स्थान का अभिग्रहण; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ई-प्रशासन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना; समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए जहाजों और बेड़े प्राप्त करना और तस्करी रोधी उपकरण प्राप्त करना।

6.5 इसके अतिरिक्त, अग्रिमों, जैसे गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम आदि से संबंधित बजट का आवंटन एवं मॉनिटरिंग भी की गई।

6.6 एकीकृत वित्त प्रभाग महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों की स्कीमों को तैयार करने की प्रारंभिक अवस्था से उन पर नजर रखता रहा है तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, ड्राफ्ट लेखा परीक्षा पैरों तथा पी ए सी/स्थायी समिति की रिपोर्टों के निपटान पर भी नजर रख रहा है।

7. **वित्त आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-आईएनडी)** : भारत सरकार ने भारत-वित्त आसूचना एकक की स्थापना धन शोधन व इससे संबंधित अपराधों को रोकने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक नेटवर्क के जरिए वित्त आसूचना के संग्रहण व आदान-प्रदान के समन्वय व सुदृढ़ीकरण के लिए दिनांक 18 नवंबर, 2004 के कार्यालय ज्ञापन के तहत की थी। आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) को रिपोर्ट करने वाला यह एक स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रयोजनार्थ भारत-वित्त आसूचना एकक राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन है। जैसा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है, भारत-वित्त आसूचना एकक नकद लेन-देनों, संदिग्ध लेन-देनों, जाली मुद्रा वाले लेन-देनों तथा गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा प्राप्त निधियों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करता है। ये रिपोर्टें रिपोर्टकर्ता बैंकों, इकाईयां जैसे वित्तीय संस्थानों तथा पूँजी-बाजार मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा भेजी जाती हैं। वायदा बाजार कमीशन, कमोडिटी ब्रोकर, इंडिया-पोस्ट, पेंशन फंड एवं नामित गैर-वित्तीय व्यापार एवं व्यावसाय (डीएनएफबीपी) जैसे संपत्ति रजिस्ट्रार एवं उप-रजिस्ट्रार, बहुमूल्य धातु एवं माल के डीलरों, स्थावर संपत्ति के एजेंटों (यथा अधिसूचित) को धन शोधन निवारण

अधिनियम, 2002 के संशोधनों के परिणामस्वरूप नई रिपोर्टकर्ता इकाइयों के रूप में 15.02.2013 को जोड़ा गया है। धन शोधन निवारण नियमावली के संशोधनों को 27.08.2013 को अधिसूचित किया गया है और रिपोर्टकर्ता इकाइयों द्वारा भारत-वित्त आसूचना एकक को भेजी जाने वाली रिपोर्टों की सूची में सीमा पार वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (सीबीडब्ल्यूटीआर) तथा अचल संपत्ति रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट (आईपीआर) को जोड़ा गया है। भारत-वित्त आसूचना एकक प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण करता है और पीएमएलए की धारा 66 में विनिर्दिष्ट या उसके अंतर्गत अधिसूचित एजेंसियों से आसूचना साझा करता है। भारत-वित्त आसूचना एकक रिपोर्ट किए गए वित्तीय संव्यवहारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस रखता है और यह स्वतः या अनुरोध किए जाने पर जानकारी प्रवर्तन तथा आसूचना एजेंसियों से साझा करता है। भारत-वित्त आसूचना एकक अपने इस डाटाबेस के विश्लेषण के आधार पर महत्वपूर्ण व प्रमुख धन शोधन प्रवृत्तियों, तरीकों तथा गतिविधियों की पहचान और मॉनिटरिंग भी करता है।

7.1 कैलेंडर वर्ष 2013 (नवंबर, 2013 तक) के दौरान किए गए भारत-वित्त आसूचना एकक के कार्याकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा

7.1.1 भारत-वित्त आसूचना एकक की उपलब्धियों तथा मुख्य कार्यों का सार निम्न प्रकार है:-

i. नकद संव्यवहार रिपोर्टों (सीटीआर) तथा संदिग्ध संव्यवहार रिपोर्टों (एसटीआर) सहित सभी निर्धारित रिपोर्ट शत-प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में प्राप्त हुई।

ii. रिपोर्टकर्ता इकाईयों से 60, 939 संदिग्ध संव्यवहार रिपोर्टें (एसटीआर) प्राप्त हुई। एक महीने में औसतन 5,500 से अधिक एसटीआर प्राप्त हुई।

iii. अधिकांश संदिग्ध संव्यवहार रिपोर्टों की जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (3,650) तथा आसूचना एजेंसियों (758) और उनके बाद विनियामकों व अन्यों (85) को दी गई।

iv. वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (21,46,203), निजी भारतीय बैंकों (16,94,592), निजी विदेशी बैंकों (57,033) तथा अन्यों (2,30,451) से कुल 41,28,689 नकद संव्यवहार रिपोर्टें प्राप्त हुई। एक महीने में औसतन 3.75 लाख से अधिक सीटीआर प्राप्त हुई।

v. 2.98 लाख से अधिक जाली मुद्रा संबंधी रिपोर्ट (सीसीआर) प्राप्त हुई जिनका अंकित मूल्य 23.84 करोड़ रुपए से अधिक था।

vi. वर्ष के दौरान रिपोर्टकर्ता इकाइयों के लिए 30 सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें लगभग 2,483 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

vii. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टकर्ता इकाइयों के प्रधान अधिकारियों से 21 समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

viii. कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए 20 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए जिनमें 813 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ix. भारत-वित्त आसूचना एकक ने आसूचना जानकारी साझा करने के लिए विदेशी वित्त आसूचना एककों से 65 अनुरोध किए और विदेशी आसूचना एककों से 85 अनुरोध प्राप्त किए।

x. भारत-वित्त आसूचना एकक ने जानकारी साझा करने के लिए घरेलू आसूचना एजेंसियों से 333 अनुरोध प्राप्त किए और घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों से 176 अनुरोध प्राप्त किए।

8. कर प्रशासन सुधार आयोग

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बजट में घोषणा की थी कि यह वैश्विक रूप से अनुकूल प्रथाओं के संदर्भ में कर नीतियों और कर कानूनों के अनुप्रयोजन की समीक्षा करने के लिए कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) की स्थापना करेगी और इसकी प्रभाविता और कुशलता को बढ़ाने के लिए कर प्रशासन में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करेगी। तदनुसार, सरकार ने टीएआरसी को बनाने के लिए 21.08.2013 को अधिसूचित किया और इसके अध्यक्ष के रूप में डा. पार्थसारथी शोम होंगे। टीएआरसी के दो पूर्णकालिक सदस्य और चार आंशकालिक सदस्य हैं, आंशकालिक सदस्यों में से दो सदस्य निजी क्षेत्र से हैं।

2. आयोग अप्रैल-मई, 2014 तक ग्यारह विचारार्थ विषयों में से चार पर अपनी पहली रिपोर्ट देगा। आयोग ने निजी क्षेत्र से भी व्यापक सहभागिता के साथ विभिन्न स्थानों में उद्योग और व्यापार संघों के साथ परामर्श भी किए हैं।

अध्याय IV

विनिवेश विभाग पर संक्षेपण

विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसम्बर, 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और बाद में 06 सितम्बर, 2001 को इसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया था।

27 मई, 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है।

1. कार्य

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार सीपीएसईस में सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश के लिए विनिवेश विभाग उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, ये पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उन सभी मामलों पर कार्रवाई करेगा, जो बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित हैं।

2. विनिवेश नीति

2.1 विनिवेश नीति में विचार किया गया है किः

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध, लाभ कमाने वाले उद्यम (जो 10% की आम जनमानस की शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते) उन्हें सरकार द्वारा "बिक्री की पेशकश" या सीपीएसई द्वारा शेयरों के नए निर्गम या दोनों के संयोजन के साथ इस शर्त का अनुपालक बनाना;

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे सभी असूचीबद्ध उद्यम, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है, जिनका कोई संचित घाटा नहीं है तथा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है, उन्हें सरकार द्वारा बिक्री की पेशकशष या सीपीएसई द्वारा शेयरों के नए निर्गम या दोनों के संयोजन के साथ सूचीबद्ध किया जाना;

(iii) अपनी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सार्वजनिक पेशकशों पर विचार किया जाएगा और ऐसे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से अपनी इक्विटी के एक हिस्से की पेशकश कर सकती है।

(iv) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से विनिवेश के सभी मामलों में, सरकार कम से कम 51% इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखे।

(v) घाटे में चलने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार के प्रयास जब विफल हो जाएं, तो उनकी मामला-दर-मामला आधार पर सामरिक बिक्री पर विचार किया जाता है।

3. लक्ष्य और उपलब्धियां

3.1 कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान विनिवेश से प्राप्त बजटीय लक्ष्य और प्राप्तियों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः-

वित्त वर्ष	बजटीय लक्ष्य (करोड़ रु. में)	विनिवेश से प्राप्तियां (करोड़ रु. में)	विनिवेश सौदों का ब्यौरा (करोड़ रु. में)	
2012-13	30,000	6,905.27 (अप्रैल से दिसंबर 2012)	राष्ट्रीय भवन निर्माण कार्पोरेशन लि.	124.97
			हिन्दुस्तान कॉपर लि.	807.03
			एनएमडीसी लि.	5973.27
		17,050.78 (जनवरी से मार्च 2013)	ऑयल इंडिया लि.	1341.51
			एनटीपीसीलि.	11456.78
			राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	310.15
			स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	1514.50
			राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि.	627.84

*** नोटः 31 मार्च, 2013 तक विभाग की योजना लक्ष्य को स्थायी रूप से प्राप्त करने की है।**

वित्त वर्ष	बजटीय लक्ष्य (करोड़ रु. में)	विनिवेश से प्राप्तियां (करोड़ रु. में)	विनिवेश सौदों का ब्यौरा (करोड़ रु. में)	
2013-14	40,000.00	5,093.82 (अप्रैल से दिसंबर 2013)*	एमएमटीसी लि.	571.71
			हिन्दुस्तान कॉपर लि.	259.56
			नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	358.21
			नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	101.08
			राज्य व्यापार निगम लि.	4.54
			भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.	30.17
			एनएचपीसी लि.	2131.28
			पीजीसीआईएल	1637.32

3.2 इन सात सीपीएसईस क्रमशः, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि., एमएमटीसी लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि, भारतीय पर्यटन विकास निगम, राज्य व्यापार निगम लि. और नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. को न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्त की अपेक्षिता के साथ अनुपालनीय बनाया गया।

3.3 इसके अतिरिक्त, नीचे उल्लिखित छह घाटे में चलने वाली कंपनियों को न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्त की अपेक्षिता के साथ अनुपालनीय बनाया गया। अगस्त, 2013 में एक विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना की गई है, जिसमें इन कंपनियों के शेयरों को अपरिवर्तनीय आधार पर अंतरित किया गया है और इनको पांच साल के अंदर बेचा जाएगा तथा प्राप्त धनराशि का सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में उपयोग किया जाएगा :

(1) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि.
(2) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.
(3) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन लि.
(4) एचएमटी लि.
(5) आईटीआई लि.
(6) स्कूटर्स इंडिया लि.

4. कार्यान्वयन के अधीन विनिवेश मामले

4.1 वर्ष 2013-14 के दौरान विनिवेश के लिए निम्नलिखित मामले अनुमोदित किये गये हैं और प्रक्रिया में हैः

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	विनिवेश का प्रतिशत
1.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	10
2.	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.	10
3.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	10
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	5
5.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	10
6.	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	

5. विनिवेश की प्राप्तियों का उपयोग

5.1 सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से विनिवेश से प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा किया जाएगा और ये प्राप्तियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सीपीएसईस आदि के पुनः पूंजीकरण की आवश्यकता के लिए उपलब्ध होंगी। ये प्राप्तियां मेट्रो परियोजना और रेलवे को बजटीय सहायता के लिए इक्विटी सहयोग के लिए भी उपलब्ध होंगी।

अध्याय V

वित्तीय सेवाएं विभाग

1. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार द्वारा पूंजी निवेश दो उद्देश्यों- देश के उत्पादक क्षेत्रों की पूंजी आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करने तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विनियामकीय पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
- भारत सरकार मुख्य शेयरधारक के रूप में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में पर्याप्त पूंजी रखे जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार का पूंजी निवेश टियर-I सीआरएआर को सुविधाजनक स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंकों को सक्षम बनाने हेतु आंतरिक पूंजी सृजन के अतिरिक्त किया जाता है।
- वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 13 बैंकों में 12,517 करोड़ रु. की राशि का निवेश किया गया था।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 14,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। ईक्विटी के अधिमान्य आवंटन के जरिए सरकारी क्षेत्र के 20 बैंकों में पूंजी निवेश की प्रक्रिया चल रही है। यूको बैंक को छोड़कर जहां वार्षिक आम बैठक अभी आयोजित की जानी है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी का निवेश कर दिया गया है।

2. बीमा ब्रोकिंग व्यवसाय में बैंकों की प्रविष्टि-बजट घोषणा

- माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि बैंकों को बीमा ब्रोकरों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी ताकि बैंक शाखाओं के संपूर्ण नेटवर्क का प्रयोग इसके विस्तार के लिए किया जाए।
- घोषणा के अनुसरण में आईआरडीए ने बैंकों को बीमा ब्रोकिंग का व्यवसाय विभागीय तौर पर आरंभ करने में सक्षम बनाने हेतु आईआरडीए (बैंकों को बीमा ब्रोकर के रूप में लाईसेंस प्रदान करने) विनियमन, 2013 को तैयार किया एवं इसे अधिसूचित किया।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 29.11.2013 को दिशानिर्देश जारी किया है और न्यूनतम पात्रता मानदंड सहित आवश्यकता के अध्याधीन बैंकों को बीमा ब्रोकिंग व्यवसाय आरंभ करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के संदर्भ में इस विभाग ने इस निर्णय को लागू करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को दिनांक 20.12.2013 को परामर्शिका जारी की है।

3. महिला बैंक-भारतीय महिला बैंक

- सरकार द्वारा भारत के पहले महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) की स्थापना, महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें बैंकिंग सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने, विविध आस्ति स्वामित्वाधिकार तथा महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने सहित कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थी ताकि समावेशी विकास की प्रक्रिया को गति दी जा सके।
- भारतीय महिला बैंक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई में दिनांक 19.11.2013 को किया गया था और इसने 8 और केंद्रों यथा अहमदाबाद, बैंगलुरू, चेन्नई, गुवाहाटी, इंदौर, कोलकाता, लखनऊ और नई दिल्ली में अपना परिचालन आरंभ कर दिया है। अपने आरंभिक विस्तार योजना के भाग के रूप में भारतीय महिला बैंक द्वारा मार्च, 2014 तक सभी राज्यों की राजधानी में एक शाखा खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

4. निजी क्षेत्र में नए बैंकिंग लाइसेंस

- भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 22.02.2013 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा ''निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देश'' जारी किए हैं।

- दिशानिर्देश की मुख्य विशेषताओं में पात्र प्रवर्तक, समुचित और उपयुक्त मानदंड; गैर-परिचालनीय वित्तीय धारिता कंपनी (एनओएचएफसी) की कारपोरेट संरचना; बैंक के लिए न्यूनतम दत्तमत इक्विटी पूंजी आवश्यकताओं तथा एनओएचएफसी द्वारा शेयरधारिता; विनियामकीय ढांचा; बैंक में विदेशी शेयरधारिता; एनओएचएफसी का कारपोरेट शासन; एनओएचएफसी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड; जोखिम मानदंड; बैंक के लिए व्यवसाय योजना; बैंक के लिए अन्य शर्तें तथा बैंक के रूप में संवर्धन/परिवर्तन हेतु एनबीएफसी के लिए अतिरिक्त शर्तें शामिल हैं।

- दिशानिर्देश वित्तीय समावेशन पर जोर देता है। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ वित्तीय समावेशन हेतु अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इन दिशानिर्देशों में महानगरीय क्षेत्रों तथा शहरों, जहां पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं पहले से मौजूद हैं, में अपनी शाखाओं को अत्यधिक केंद्रित करने से बचने के लिए (अद्यतन जनगणना के अनुसार 9,999 तक की जनसंख्या वाले) बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत बैंक शाखाएं खोलने की अनिवार्यता करके प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह को सामाजिक दायित्व दिया गया है और मौजूदा घरेलू बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्य भी लागू है।

- नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01.07.2013 थी। कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक को 26 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक आवेदन वापस ले लिया गया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के आवेदन की जांच के लिए डॉ. विमल जालान भूतपूर्व गवर्नर (भारतीय रिजर्व बैंक) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। यह आशा है कि समिति वर्ष 2014 की प्रथम तिमाही तक अपना कार्य पूरा कर लेगी और सिफारिश सहित अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर देगी।

5. ऋण वसूली अधिकरण

- केंद्र सरकार ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के त्वरित समायोजन तथा शीघ्र वसूली के लिए पूरे देश में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अंतर्गत 33 ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) तथा 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरएटी) की स्थापना की है।

- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी), जिसमें पीड़ित पक्ष को डीआरटी के समक्ष अपील करने का उपबंध किया गया है, को अधिनियमित करके ऋण वसूली अधिकरणों की भूमिका को और बढ़ाया गया है।

- उपर्युक्त दो अधिनियमों के अंतर्गत वसूली की प्रक्रिया आरंभ करने में बैंकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए 04 जनवरी, 2013 को प्रतिभूति हित प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 को अधिनियमित किया गया है।

- वर्ष 2012 में निपटाए गए 9395 मामलों, जिनमें लगभग 16,321 करोड़ रुपए की वसूली शामिल थी, की तुलना में वर्ष 2013 में 11,036 मामलों, जिनमें लगभग 21,337 करोड़ रुपए की वसूली शामिल थी, को निपटाया गया है।

6. वित्तीय समावेशन

- **सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा एटीएम नेटवर्क का विस्तार**

  बजट घोषणा 2013-14 के अनुसरण में बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साइट एटीएम सुनिश्चित करना अपेक्षित था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित किए जाने हेतु पहचान किए गए 34,668 ऑन-साइट एटीएम में से दिसंबर, 2013 के अंत तक 14,309 एटीएम स्थापित किए गए हैं।

- **सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा शाखा का विस्तार**

  अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 8,023 शाखाएं खोलने की योजना तैयार की है, इनमें से दिसंबर 2013 के अंत तक 4,258 शाखाएं खोली गई हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2011-12 में 4,805 शाखाएं तथा वर्ष 2012-13 में 4,432 शाखाएं खोली गई हैं।

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तथा एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल)**

  वित्तीय समावेशन के अंतर्गत एक मुख्य लक्ष्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी/डीबीटीएल) से संबंधित है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत धन राशि सीधे लाभार्थियों को

और बिना किसी विलंब के मिल रही है। डीबीटी/डीबीटीएल के कार्यान्वयन में बैंक मुख्य भूमिका निभाते हैं और इसमें 4 महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं, अर्थात्

(क) सभी लाभार्थियों के खाते खोलना;

(ख) आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ना तथा इसे एनपीसीआई मैपर पर अपलोड करना;

(ग) राष्ट्रीय स्वचलित समाशोधन गृह - आधार भुगतान योजक प्रणाली (एनएसीएच-एपीबीएस) का प्रयोग करके निधियों का अंतरण आरंभ करना;

(घ) लाभार्थियों को धन राशि के आहरण में सक्षम बनाने हेतु बैंकिंग अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की प्रगति**

इस योजना को देश में जनवरी, 2013 में आरंभ किया गया था और इस समय 121 जिलों को शामिल करते हुए इसे चरणबद्ध रूप में आरंभ किया गया है।

121 जिलों, जहां 27.12.2013 की स्थिति के अनुसार डीबीटी के अंतर्गत 25 योजनाएं आरंभ की गई हैं, में बैंक खाता खोलने तथा उन्हें आधार संख्या से जोड़ने की स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैः

क्र.सं.	विवरण	चरण-I	चरण-II	योग (चरण-I और चरण-II)
(1)	जिला प्रशासन द्वारा सूचित किए गए लाभार्थियों की संख्या	15.71 लाख	27.42 लाख	43.13 लाख
(2)	उपर्युक्त (1) में से एलडीएम द्वारा प्राप्त लाभार्थियों का ब्यौरा	14.07 लाख (89.59%)	23.33 लाख (85.08%)	37.40 लाख (86.71%)
(3)	उपर्युक्त (2) में से उन लाभार्थियों की सं. जिनके खाते खोले गए	14.07 लाख (100.00%)	22.94 लाख (98.27%)	37.01 लाख (98.95%)
(4)	उपर्युक्त (3) में से डेबिट कार्ड जारी किए गए लाभार्थियों की सं.	5.75 लाख (40.88%)	7.66 लाख (33.43%)	13.41 लाख (36.23%)
(5)	उपर्युक्त (3) में से खाते से जोड़े गए आधार की संख्या	9.73 लाख (69.16%)	8.68 लाख (37.89%)	18.41 लाख (49.74%)
(6)	उपर्युक्त (5) में से एनपीसीआई के द्वारा मैपिंग किए गए आधार की सं.	9.58 लाख (98.42%)	8.56 लाख (98.54%)	18.14 लाख (98.53%)

स्रोतः आईबीए

- **एलपीजी के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) की प्रगति**

ग्राहकों के लिए एलपीजी के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) को दिनांक 01.06.2013 से 18 जिलों में चरण-I के अंतर्गत आरंभ किया गया था और तत्पश्चात अन्य 5 चरणों में इसका विस्तार पूरे देश के 291 जिलों में किया गया है। 30.12.2013 की स्थिति के अनुसार आधार को जोड़ने की समग्र स्थिति चरण-I (20 जिले), चरण-II (34 जिले) और चरण-III (43 जिले) निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	विवरण	**चरण-I** (आरंभ करने की तिथि (01.08.2013)	**चरण-II** (आरंभ करने की तिथि (01.09.2013)	**चरण-III** (आरंभ करने की तिथि (01.10.2013)
1	एलपीजी ग्राहकों की कुल सं.	76.66 लाख	151.34 लाख	164.66 लाख
2	उपर्युक्त (1) में से ओएमसी डाटा से जोड़े गए	65.09 लाख (84.91%)	100.38 लाख (66.33%)	70.95 लाख (43.09%)
3	उपर्युक्त (1) में से बैंक खातों से जोड़े गए	58.77 लाख (76.66%)	76.35 लाख (50.45%)	41.87 लाख (25.49%)

स्रोतः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

7. लोक शिकायत

01.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि के दौरान सीपीजीआरएएमएस के संबंध में बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र से संबंधित लोक शिकायतों के निपटान के संबंध में प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार हैः

क्षेत्र	प्रस्तुत किए गए	उक्त अवधि के दौरान प्राप्त	उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए	लंबित	31.12.2013 की स्थिति के अनुसार निपटान की प्रतिशतता
बैंकिंग	4983	10835	14148	1670*	96%
बीमा	1028	1826	2550	304*	96%

*सरकारी क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों के पास लंबित।

8. अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

अल्पसंख्यक समुदायों के पास बकाया कुल ऋण जो 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार 1,75,293 करोड़ रु. था 31 दिसंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 2,11,167 करोड़ रु. (अनंतिम) हो गया।

9. शिक्षा ऋण योजना

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल बकाया शिक्षा ऋण जो 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार 52,982 करोड़ रु. था, 31 दिसंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 54,666 करोड़ रु. (अनंतिम) हो गया।

10. महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि

महिलाओं को सशक्त करने और उनके स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देने के लिए एक महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि गठित की गई है जिसे नाबार्ड द्वारा परिचालित किया जा रहा है। यह योजना 2011-12 में घोषित की गई थी। इसे वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) जिलों सहित 150 अति पिछड़े जिलों में परिचालित किया जा रहा है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि 30 नवम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार इन जिलों में 1,07,630 महिला एवं स्व-सहायता समूहों को बचत से जोड़ा गया है और इनमें से 15,981 को क्रेडिट से जोडा गया है।

11. भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

- भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली भारत अवसंरचना वित्त कं. लि. को अवसंरचना क्षेत्रों को दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराने के लिए 2006 में निगमित किया गया था। 2013-14 के दौरान 31 दिसंबर, 2013 तक 30,990 करोड़ रुपए के संचयी संवितरण सहित आईआईएफसीएल का संवितरण 4,408 करोड़ रुपए था। अपनी टेकआउट वित्त स्कीम के तहत आईआईएफसीएल द्वारा दिसम्बर, 2013 तक कुल 5,110 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और 27 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से 3,795 करोड़ रुपए का अन्तरण (टेकआउट) वित्त पूरा किया गया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल अपनी ऋण वृद्धि पहल के अंतर्गत प्रायोगिक लेन-देन भी कर रही है और आज की तारीख तक इसने लगभग 2,200 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बॉंड इश्यू सहित चार प्रायोगिक लेन-देने को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया है।

- आईआईएफसी (यूके) जो कि भारत में अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा पूंजी उपस्कर के आयात के वित्त पोषण के उद्देश्य से लंदन में स्थापित आईएफसीएल के पूर्णतया स्वामित्व वाली अनुषंगी है, ने 2013-14 के दौरान 31 दिसम्बर 2013 तक 904 मिलियन यूएसडी, 198 मिलियन यूएसडी के बकाया चुकौती आश्वासन पत्र सहित 1102 मिलियन यूएसडी के साथ उनके संचयी संवितरण सहित 202 मिलियन यूएसडी संवितरित किया है। 31 दिसम्बर, 2013 तक आईआईएफसी (यूके) की संचयी सकल स्वीकृति 6.76 मिलियन यूएसडी थी। आईआईएफसीएल ने अवसंरचना ऋण निधि अनुषंगी की भी स्थापना की है जिसनें 2013-14 के दौरान म्युचुअल फंड रूट के जरिए प्रथम अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) आरम्भ की है।

12. भारत निर्यात आयात बैंक

- एक्जिम बैंक ने अपनी ऋण परिसम्पत्ति सहित कारोबार में वृद्धि प्राप्त की है जो वर्ष 2012-13 में 65,563 करोड़ रुपए हो गया है। उसी वर्ष में उधार 64,485 करोड़ रुपए था। बैंक का निवल लाभ (कर उपरान्त) 742 करोड़ रुपए था और पूंजी पर रिटर्न के रूप में 263 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दिया गया था।

- वर्ष के दौरान बैंक ने भारत से परियोजना वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को सहायता देने के लिए 16 नई ऋण व्यवस्थाएं (एलओसी) उपलब्ध कराई है जिसमे कुल 833.59 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध कराना है। मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक की निवल मालियत बढ़कर 7349 करोड़ रुपए हो गई है।

13. वित्तीय समावेशन योजना

बजट भाषण (2013-14) के दौरान वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार, ''10,000 या अधिक की जनसंख्या वाले भारत के सभी कस्बों में एलआईसी का कार्यालय होगा और सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी का कम से कम एक कार्यालय होगा।'' इस कार्य को 31.3.2014 तक पूरा किया जाना है। (इस लक्ष्य के प्रति एलआईसी ने जिन शहरों में उनकी उपस्थिति नही है, उनमें खोले जाने वाले 1700 कार्यालयों में से 31.12.2013 तक 1199 मिनी कार्यालय खोल दिए हैं।) एलआईसी को सलाह दी गई है कि वे शेष कार्यालय 21 जनवरी, 2014 तक खोल लें। सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों ने 1859 शहरों जहां उनकी उपस्थिति नहीं है, में से अप्रैल 2013 से 11 जनवरी, 2014 तक 1847 शहरों में अपने कार्यालय खोले हैं और केवल 12 कार्यालय खोले जाने शेष है जिसे 21 जनवरी, 2014 तक खोला जाएगा।

14. लोक अदालत के जरिए एमएसीटी मामलों का निपटान

बजट भाषण 2013-14 में माननीय वित्ती मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ''लगभग 10,00,000 मोटर तृतीय पक्ष दावे हैं जो कि अधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष लम्बित हैं। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां दावों का निपटान करने के लिए लोक अदालतें आयोजित करेंगी तथा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत देंगी'' इस पहल के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के 1,40,420 मामले लोक अदालतों को भेजे गए जिनमें से 31.12.2013 तक 70,592 मामलों का निपटान किया गया अर्थात निपटान अनुपात 50.27% था। नियमित लोक अदालतों, जिनके जरिए उक्त प्रगति की गई है, के अलावा सभी राज्यों में 23 नवम्बर, 2103 से 30 नवम्बर, 2013 तक मेगा लोक अदालतें आयोजित की गई। 23 नवम्बर से 30 नवम्बर तक आयोजित मेगा लोक अदालतों में सार्वजनिक क्षेत्रों की 4 साधारण बीमा कंपनियों ने 62750 मामले भेजे जिनमें से 40,310 मामलों का निपटान किया गया जिसके फलस्वरूप निपटान 64.24% रहा।

15. आपदा जोखिम में कमी के लिए जोखिम अन्तरण तंत्र हेतु कार्य योजना

इस विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना पर विचार किया और संभावित अंशदाताओं के साथ उनकी आवश्यकता की पहचान करने/आकलन करने के लिए इन बीमा उत्पादों के लिए निम्नलिखित छः कार्य बिन्दुओं का पता लगाने और इन उत्पादों के प्रावधान के संबंध में संभावनाओं का आकलन करने हेतु बीमा कंपनियां और इरडा तथा विस्तृत शर्ते जिन पर वे उपलब्ध हो सके, का समर्थन किया। .

1. बीमा खरीदने के लिए एसडीआरएफ के भाग का प्रयोग करने हेतु राज्यों को सक्षम बनाना-

   i). एसडीआर योजनाओं द्वारा कवर न की गई राहत को पूरा करने के लिए;

   ii). आपदा के पश्चात मरम्मत/पुनर्गठन व्यय के लिए

2. निम्न तीव्रता, भारी प्रभाव वाले भूकम्प तथा एनडीआरएफ के लिए चक्रवात जोखिम के संबंध में पैरामैट्रिक बीमा समाधान ।

3 मानक कवरेज तथा शर्ते, के साथ गैर बीपीएल लोगों के लिए वैकल्पिक सरल भारतीय प्राकृतिक आपदा बीमा पॉलिसियां।

4. उच्च आपदा संभावित शहरी क्षेत्रों (भूकंप और चक्रवात के साथ) में रहने वाले सम्पत्ति करदाताओं के संबंध में अनिवार्य संपत्ति बीमा समाधान।

5. सार्वजनिक स्थलों, वाणिज्यिक, गैर औद्योगिक तथा औद्योगिक जोखिम, जहां पर्यटक हों या जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हों, को कवर करने के लिए सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के क्षेत्र में विस्तार करना।

6. महत्वपूर्ण अवसंरचना/जनोपयोगी सेवा के लिए बीमा ।

इसके अलावा, इसने एनडीएमए को सलाह दी है कि वैश्विक सर्वोत्कृष्ट पद्धति का भी मूल्यांकन किया जाए तथा बीमा कंपनियों को आईआरडीए द्वारा निर्धारित ढांचे के भीतर संभावित ग्राहकों की कथित आवश्यकताओं के आधार पर उत्पाद उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

16. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आमेलन

सरकार, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंकों के परामर्श से राज्य में भौगोलिक रूप से निकटवर्ती आरआरबी के आमेलन की प्रक्रिया आरंभ की है। 31 दिसम्बर, 2013 तक 43 आरआरबी को 18 आरआरबी में आमेलित किया गया है जिससे आरआरबी की सं. 82 से कम होकर 57 हो गई है।

17. पुनर्पूंजीकरण

चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों के आधार पर 31 मार्च, 2012 तक आरआरबी के सीआरएआर को 9 प्रतिशत के स्तर तक सुदृढ़ करने के लिए 82 आरआरबी में से 40 आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2010-11 में आरंभ की गई थी तथा शेयरधारक (भारत सरकार/प्रायोजक बैंक/राज्य सरकार) वार अनुपात क्रमशः 50:35:15 है। 2200 करोड़ रुपये में से केन्द्र सरकार का भाग 1100 करोड़ रुपये है जिसकी तुलना में केन्द्र सरकार ने अभी तक 1031.91 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है और 40 आरआरबी में से 37 आरआरबी में पुनर्पूंजीकरण सहायता पूरी हो चुकी है।

18. शाखा विस्तार कार्यक्रम/कोर बैंकिंग समाधान

31.3.2013 की स्थिति के अनुसार आरआरबी की कुल संख्या 17,856 थी, जो 30.9.2013 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 18,039 हो गई। आरआरबी की सभी शाखाएं कोर बैंकिंग समाधान से जुड़े है।

19. आरआरबी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

वर्तमान में देश में 57 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। आरआरबी अधिनियम, 1976 की धारा 9(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार प्रत्येक आरआरबी के बोर्ड में दो निदेशकों की नियुक्ति करती है, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), प्रायोजक बैंक अथवा किसी भी अन्य बैंक में अधिकारी न हों। इसलिए, निदेशकों की 114 पद खाली हैं जिनकी नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता है। उनमें से, सरकार ने वर्तमान में निदेशकों को हटाकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड में अब तक 61 नये गैर सरकारी निदेशक नामित किये हैं।

20. आरआरबी - कार्य निष्पादन संबंधी मुख्य निर्देशकों की तुलनात्मक स्थिति

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार 302721.04 करोड़ रुपये की तुलना में आरआरबी का व्यवसाय **31.3.2013** की स्थिति के अनुसार 351294.80 करोड़ रुपये था। केवल एक को छोड़कर सभी आरआरबी लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

21. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीए)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीए) 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई है। 7 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल 42,684 करोड़ रुपए के साथ एनपीएस के तहत कुल 58.83 लाख उपभोक्ताओं का नामांकन किया गया है। स्वावलम्बन, गैर संस्थागत क्षेत्र के लिए एक सह-अंशदायी योजना, जिसे 2016-17 तक बढ़ा दिया गया था, द्वारा 4 जनवरी, 2014 तक कुल 5.74 लाख लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हो चुका है।

22. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विधेयक, 2013

सरकार द्वारा सुधारात्मक पहल के रूप में शुरू किया गया पीएफआरडीए विधेयक, 2013, सितंबर, 2013 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन निधि को स्थापित करके, विकसित करके और नियंत्रित करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सुनिर्धारित शक्तियों के साथ सांविधिक विनियामकीय निकास को स्थापित करना प्रार्थित है। पीएफआरडीए विधेयक के पारित होने से पीएफआरडीए अपनी विनियामकीय और विकासात्मक भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाने में सक्षम होगा। उत्साही पेंशन क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए दीर्घावधि बचत के प्रवाह को सुचारू बनायेगा और देश में विश्वसनीय और वित्तीय रूप से स्थिर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने में भी सहायक होगा।

23. राष्ट्रीय आवास बैकं (एनएचबी)

वर्ष 2012-13 के दौरान, पुनर्वित्त संवितरण ने 17,541.64 करोड़ रुपये के अब तक के सबसे उँचे आंकड़े को छुआ,जिसमें वर्ष 2011-12 में 14,389.91 करोड़ रुपये की तुलना में 22% की वृद्धि दर्ज हुई है। इन संवितरणों में से 7,717.60 करोड़ रुपये का संवितरण बैंक की दो ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजनाः गोल्डन जुबली ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना, समग्र संवितरण (जीजेआरएचआरएस) और ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) के अंतर्गत किया गया, इन दोनों का कुल संवितरण समग्र संवितरण का 40% था।

24. 2012-2013 तक संचयी पुनर्वित्त संवितरण

बैंक ने ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) और ऊर्जा कुशल आवास के लिए पुनर्वित्त के तहत कुल 1,02,628.61 करोड़ रुपये का संचयी संवितरण (आरंभ से 30.06.2013 तक) किया है।

एनएचबी ने दो नई योजनाएं प्रारंभ की हैं :

1. अल्प आय आवास के लिए पुनर्वित्त
2. सोलर वाटर हिटिंग और सोलर लाइटिंग उपस्करों की स्थापना के लिए योजना

एनएचबी ने घरों में सोलर वाटर हिटिंग और सोलर लाइट उपकरणों को लगाने के लिए पुनर्वित्त योजना भी आरम्भ की है, जिससे सौर उपकरण का प्रयोग करके ऊर्जा संरक्षित की जा सके और जीवाश्य ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके। .

25. वर्ष 2013-14 के दौरान घोषित नई पुनर्वित्त योजना (जुलाई 2013-दिसम्बर 2013)

1. शहरी आवास निधि (यूएचएफ):
2. शहरी अल्प आय आवास के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना
3. महिलाओं के लिए पुनर्वित्त योजना
4. ऊर्जा कुशल आवास पुनर्वित्त योजना (ईईएचआरएस)
5. सोलर वाटर हिटिंग और सोलर लाइट उपकरणों की स्थापना के लिए पुनर्वित्त योजना।
6. सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए निर्माण संबंधी वित्त हेतु पुनर्वित्त योजना
7. ईसीबी उधारी के तहत पुनर्वित्त योजना

वर्ष 2013-14 के दौरान (जुलाई-दिसम्बर 2013), बैंक ने 9800 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 की पहली छमाही में 8113 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त संवितरित कर दिया है। 31-12-2013 तक कुल स्वीकृति 23955 करोड़ रुपये थी।

26. कर मुक्त बॉण्ड

कर मुक्त बॉण्ड को जारी करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को 5000 करोड़ रुपये आवंटित करने की तुलना में वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जुटाई गई राशि 640 करोड़ रुपये थी। कर मुक्त बॉण्ड के तहत राशि प्राइवेट प्लेसमेंट (444 करोड़ रुपये) और सार्वजनिक प्रस्ताव (196 करोड़ रुपये) दोनों के माध्यम से जुटायी गयी थी। इन बॉण्डों पर कूपन की सीमा 6.87% प्रति वर्ष से 7.19% प्रति वर्ष के बीच थी और इसकी अवधि 10 वर्ष थी।

वित्तीय वर्ष 2013-14 (जुलाई-दिसंबर 2013) के दौरान एनएचबी ने कुल 3000 करोड़ रुपये की राशि जुटा ली है।

27. सिडबी

भारतीय सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधिः चालू वर्ष के आवंटन में से, सिडबी को 100 करोड़ रुपए संवितरित किए गए है और सिडबी को अन्य 100 करोड़ रुपए दिनांक 24.01.2014 को जारी किया जाना है।

सूक्ष्म और लघु उद्यम पुनर्वित्त निधिःवैश्विक एवं घरेलू मंदी से निपटने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम की सहायता हेतु, केन्द्रीय बजट, 2008-09 से भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को लाभ देने के लिए पुनर्वित्त क्षमता को बढ़ाने के लिए सिडबी की सहायता निधि को बढ़ाया है। यह राशि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में कमी को दूर करने हेतु सिडबी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधि आवंटन के माध्यम से प्रदान की गयी है। अब तक 21,326 करोड़ रुपए के संचयी आवंटन के अंतर्गत सिडबी ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को 21375.54 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं, जिन्होंने लगभग 12 लाख जीवनक्षम एवं सुपात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लाभ देने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में 36,100 करोड़ रुपए ऋण संवितरित किए हैं।

सिडबी के पुनर्वित्त क्षमता के चालू स्तर को विद्यमान 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने के लिए केन्द्रीय बजट 2013-14 में की गई घोषणा से एमएसएमई क्षेत्र की ऋण प्रवाह में और वृद्धि होगी, विशेष रूप से तब जब अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी के प्रभाव से निपटने की कोशिश कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने दिनांक 28 जून, 2013 के पत्र के द्वारा सिडबी को सूक्ष्म और लघु उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। निधि में से अब तक

कुल मिलाकर 275 करोड़ रुपए संवितरित किया गया है। सिडबी ने केवल उन ऋणों की कवरेज की शर्तों में छूट संबंधी मामले को आरबीआई के साथ उठाया है जिनमें आधार दर प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के समान है।

28. सतर्कता मामलेः

लक्ष्य	उपलब्धि
सरकारी क्षेत्र के बैंकों/पीएसआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक के पदों के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की मंजूरी	वर्ष 2013 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के 24 मामलों में एवं ईडी के 25 मामलों में नियुक्ति के लिए सीवीसी की मंजूरी प्राप्त की गई है।
सरकारी क्षेत्र के बैंक/पीएसआई में सीवीओ की नियुक्ति	मुख्य सतर्कता आयोग की सहमति से मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में 6 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
नीति प्रारूप	सरकारी क्षेत्र के बैंकों/पीएसआई में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में नीति तैयार की गई है और इसे मुख्य सतर्कता आयुक्त की सहमति के लिए भेज दिया गया है।

29. आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई):

सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जीवन बीमा कवर के संबंध में बेहतर प्रशासन तथा सेवा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 01.01.2013 से सामाजिक क्षेत्र की दो जीवन बीमा योजनाओं, अर्थात जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) और **आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)** का आम आदमी बीमा योजना में विलय किया है।

इस योजना का 18 से 59 वर्ष के आयु के बीच व्यक्तियों के जीवन और अपंगता को कवर करने, 47 पहचान किए गए व्यावसायिक/पेशागत समूहों, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों सहित, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर रहने वालों के लिए विस्तार किया गया था, बशर्ते सदस्य को परिवार का मुखिया होना या पात्र समूह के अंतर्गत परिवार का एक अर्जक सदस्य होना चाहिए। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कवर श्रेणियों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, आम आदमी बीमा योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के सभी लाभार्थियों के लिए भी बढ़ाया गया है, बशर्ते कि आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत अन्य योग्य शर्तों को पूरा करते हों। यह योजना देश भर में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 30 नवंबर, 2013 तक देश भर में आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कुल 5,05,24,630 जीवन कवर किए गए थे।

यह योजना स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000/- रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 75,000/- रुपए, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अपंगता (एक आंख या एक अंग) के मामले में 37,500/- रुपए, दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से स्थायी अपंगता (दो आंख या दो अंग या एक आंख और एक अंग) के मामले में 75,000/- रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराती है। इस योजना में अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जाता है, जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को प्रति बच्चा 100 रुपए प्रति माह की दर से अर्द्धवार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी वार्षिक प्रीमियम 200/- रुपए है, जिसमें से 50 प्रतिशत का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा सृजित तथा एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मामले में प्रीमियम के शेष 50 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है तथा अन्य समूहों के लिए यह अंशदान राज्य सरकार/नोडल एजेंसी/लोगों द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था/पंजीकृत गैर-सहकारी संगठन नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की श्रेणी के मामले में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र नोडल एजेंसी होती हैं।

अनुबंध

आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए व्यवसाय/पेशा

क्र.सं.	व्यवसाय	क्र.सं.	व्यवसाय
1	बीड़ी श्रमिक	25	खाद्य सामग्री जैसे खांड साड़ी/शुगर
2	ईंट भट्टा श्रमिक	26	वस्त्र
3	बढ़ई	27	ऊन उत्पाद के विनिर्माण
4	मोची	28	कागज उत्पाद के विनिर्माण
5	मछुआरा	29	चमड़ा उत्पाद के विनिर्माण
6	हैमल्स	30	मुद्रण
7	हस्तशिल्प कारीगर	31	रबड़ एवं कोयला उत्पाद
8	हथ-करघा बुनकर	32	रसायनिक उत्पाद जैसे मोमबत्ती विनिर्माण
9	हथ-करघा एवं खादी बुनकर	33	खनिज उत्पाद जैसे मिट्टी के खिलौने का विनिर्माण
10	लेडी टेलर्स	34	किसान
11	चमड़ा एवं चर्मकार	35	परिवहन चालक एसोसिएशन
12	सेवा से जुड़े पपेड (कठपुतली) श्रमिक	36	परिवहन कर्मचारी
13	शारीरिक रूप से विकलांग स्व-नियोजित	37	ग्रामीण क्षेत्र के गरीब
14	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक	38	निर्माण श्रमिक
15	रिक्शा/ऑटो चालक	39	पटाखा बनाने वाले श्रमिक
16	सफाई कर्मचारी	40	कोकोनट प्रोसेसर
17	नमक बनाने वाला	41	आंगनबाड़ी
18	तेंदु पत्ता एकत्र करने वाला	42	कोतवाल
19	शहरी गरीबों के लिए योजना	43	बाग श्रमिक
20	वन श्रमिक	44	स्व-सहायता समूह सहित नारी सहायता
21	रेशमकीट पालन करने वाला	45	भेड़ पालने वाला
22	टोड्डी टैपर्स	46	विदेशी भारतीय श्रमिक
23	बिजली करघा श्रमिक	47	भूमिहीन बेघर ग्रामीण
24	पहाड़ी क्षेत्र की औरतें		

***** राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 50% प्रीमियम दिया जाना है।